पंचम माला, खंड 61, अंक 39 शुक्रवार, 14 मई, 1976/24 वैशाख, 1898 (शक)
Fifth Series, Vol. LXI No. 39 Friday, May 14, 1976/Vaisakha 24, 1898 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[16 वां सत्र
Sixteenth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 61 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. LXI contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches, etc., in English/Hindi]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 39, शुक्रवार, 14 मई, 1976/24 वैशाख, 1898 (शक)

No. 39, *Friday, May* 14, 1976/*Vaisakha* 24, 1898 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Page
	*तारांकित प्रश्न संख्या 795 से 797, 801, 805, 808, 811 और 814	*Starred Questions Nos. 795 to 797, 801, 805, 808, 811 and 814 . . .	1-14

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

तारांकित प्रश्न संख्या 798 से 800, 802, 804, 806, 807, 809, 810, 812, 813 और 815	Starred Questions Nos. 798 to 800, 802 to 804, 806, 807, 809 810, 812 813 and 815. . .	15-22
अतारांकित प्रश्न संख्या 3868 से 3977	Unstarred Questions Nos. 3868 to 3977. . .	22-81
सभा पटल पर रखे गये पत्र	**Papers Laid on the Table**	81-82
सभा का कार्य	**Business of the House**	82-83
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	**Calling Attention to matter of Urgent Public Importance—** .	
ब्रिटेन में भारतीय नागरिकों को ब्रिटेन की नागरिकता ग्रहण करने अथवा ब्रिटेन छोड़ने के लिए बाध्य करने का ब्रिटिश सरकार का निर्णय—	Reported move by the U. K. Government to compel Indian Nationals in U.K. to adopt British citizenship .	
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	83-85
श्री यशवन्त राव चव्हाण—	Shri Yeshwantrao Chavan . . .	83-86

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

1—3 LSS/ND/76

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
वित्त विधेयक 1976—	**Finance Bill 1976—**	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा	Shri Sukhdeo Prasad Verma . . .	86-87
श्री समर मुखर्जी	Shri Samar Mukherjee	87-90
डा० वी० के० आर० वर्दराज राव	Dr. V. K. R. Varada-Raja Rao . .	90-92
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel	92-93
श्री डी० एन० तिवारी	Shri D. N. Tiwary	93-94
श्री शक्ति कुमार सरकार	Shri Sakati Kumar Sarkar . .	94
श्री गेंदा सिंह	Shri Genda Singh	95
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	95-96
श्री चिरंजीव झा	Shri Chiranjib Jha	96-97
प्रो० एस० एल० सक्सेना	Prof. S. L. Saksena	97-98
श्री श्याम सुन्दर महापात्र	Shri Shyam Sunder Mohapatra	98-99
श्री प्रणब कुमार मुखर्जी	Shri Pranb Kumar Mukherjee	99-102
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—64वां प्रतिवेदन	**Committee on Private Members' Bills and Resolutions Sixty Fourth Report**	102
संविधान के अन्तर्गत प्रदत्त स्वतंत्रता की बहाली के बारे में वक्तव्य—अस्वीकृत	**Resolution Re. Restoration of Freedoms of Provided under the Constitution—*Negatived***	
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya	103-104
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B. R. Shukla	104-105
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga	105-106
श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा	Shri Satyendra Narayan Sinha	106-108

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री राम सिंह भाई	Shri Ram Singh Bhai	109
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen	109-110
श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik	110
श्री एफ० एच० मोहसिन	Shri F. H. Mohsin	110-113
राष्ट्रीय वन नीती के बारे में संकल्प—	**Resolution Re. National Forest Policy—**	
श्री पी० के० देव	**Shri P. K. Deo**	113-115

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 14 मई, 1976/24 वैशाख, 1898 (शक)
Friday, May 14, 1976/Vaisakha 24, 1898 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

पाकिस्तान से रुई का आयात

*795. **श्री राम प्रकाश** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान से रूई आयात करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय रूई और पाकिस्तान से आयात की जाने वाली रूई के तुलनात्मक मूल्य क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Shri Ram Prakash : It has been said just now that there is no such proposal under the consideration of Government. But may I know whether, in view of the talks being held in Islamabad, Government would consider such a proposal after the relations between the two countries have normalized ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : पहली समस्या यह है कि पाकिस्तान में इस वर्ष रुई की फसल कम हुई है । उसके उत्पादन में 7 लाख गांठों की कमी हुई है । अत: वह किसी भी हालत में निर्यात नहीं कर सकेगा । अगर हम मंगाना भी चाहें तो भी पाकिस्तान नहीं भेज पायेगा । वास्तव में उसने रुई के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है । जहाँ तक सम्बन्धों के सामान्य होने का प्रश्न है यह एक व्यापक प्रश्न है । व्यापार क्षेत्र में पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों को सामान्य बनाने का प्रश्न दोनों देशों द्वारा स्वीकृत मदों में से एक है ।

Shri Ram Prakash : May I know whether we are self sufficient in matter of cotton ?

Mr. Speaker : This is too big a question. Self sufficiency and import from Pakistan are two different points.

प्रो० चट्टोपाध्याय : सामान्य रूप से हम आत्मनिर्भर हैं । पर इस वर्ष वास्तविक फसल और हमारे द्वारा अनुमानित फसल में थोडा अन्तर रहा है और थोड़ीसी कमी है । पर इस कमी से चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री एम० एम० गोपाल रेड्डी : सरकार की नीति के कारण रुई की फसल में काफी घट-बढ़ होती रहती है । क्या मंत्री जी किसी अच्छी नीति का अनुसरण करेंगे जिससे कि इस प्रकार की घट-बढ़ न हो ? कभी हम इसका आयात करते हैं और कभी निर्यात ।

अध्यक्ष महोदय : यह इतना बड़ा प्रश्न है कि इसे प्रश्न-काल में नहीं पूछा जाना चाहिए ।

श्री एम० एम० गोपाल रेड्डी : मंत्री जी ने कहा है कि रुई की थोडी सी कमी है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न विशिष्टत: पाकिस्तान से आयात के सम्बन्ध में है । इसका उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री प्रबोध चन्द्र : हाल ही में वाणिज्य मण्डल को सम्बोधित उनके नाम से इस आशय का वक्तव्य जारी किया गया कि यदि रूई की कीमतें बढ़ी तो सरकार को अन्य देशों से रूई मंगाने को मजबूर होना पड़ेगा । यदि यह सही है तो मंत्री जी आज यह कैसे कह रहे हैं कि आयात नहीं किया जायेगा ?

श्री० डी० पी० चट्टोपाध्याय : अनुदानों की मांगों पर चर्चा का उत्तर देते हुए मने इस सभा में कहा था कि यदि कीमतें जिस प्रकार बढ़ रही हैं उसी प्रकार बढ़ती रहीं तो सरकार को आयात करने की बात पर विचार करना पड़ेगा । पर मैंने आयात के स्रोतों का उल्लेख नहीं किया । अब मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि हम पाकिस्तान से आयात करने की बात पर विचार नहीं कर रहे हैं । अत: मैंने जो पहले कहा उसका मैं प्रतिवाद नहीं कर रहा हूं ।

Prize Scheme in Nationalised Banks

*796. **Shri Chiranjib Jha :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government propose to introduce a prize scheme in the nationalised banks also on the pattern of Post Office Savings Bank Prize Incentive Scheme; and

(b) if so, the main features thereof?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) सदन के पटल पर एक विवरण रखा जा रहा है ।

विवरण

यह बैंकों का काम है कि वे जिन सम्भावित जमा-कर्त्ताओं को प्रेरणा देना चाहते हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज की दरों को ध्यान में रखकर जमाएं जुटाने की विभिन्न योजनाएं बनाएं । इनमें इनामों के अंश वाली योजनाएं भी शामिल हैं । रिजर्व बैंक ने सुचित किया है कि सरकारी क्षेत्र के कई बैंकों की ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिनमें इनामों का अंश है ।

Shri Chiranjib Zha : In the statement laid on the Table it has been stated that many public sector banks are already having schemes which contain an element of prize. I would like to know from the Minister whether Central Bank of India and the State Bank of India have any such scheme, and if so, the details thereof ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : प्रश्न के पहले भाग का उत्तर 'नहीं' है । इनाम के बारे में कुछ विशेष योजनाएं हैं और यदि आप उनका ब्यौरा जानना चाहते हैं तो मैं बता सकता हूं । उदाहरण के लिए, सेंट्रल बैंक की योजना के अन्तर्गत एक जमाकर्ता को सारे कलैंडर-वर्ष के दौरान अपने बचत खाते में कम से कम 400 रु० जमा रखना पड़ता है । 'इनाम में रेफ्रीजरेटर, टी० वी० सेट आदि दिये जाते हैं । उनमें 'लकी' ड्रा भी हैं । इसी प्रकार की योजनाएं स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने भी चलाई हैं । उदाहरणार्थ, इस बैंक के एक सहायक बैंक की एक फियेट कार के 'लकी' ड्रा की योजना है । इसके अलावा, कुछ बैंक उनमें राशि जमा करने के लिए विशेषकर लम्बी अवधि के लिए पैसा रखने के लिए विज्ञापनों के माध्यम से प्रोत्साहन देते हैं । वह प्रतिमास ब्याज अदा करते हैं । एक यह भी योजना है जिसके अन्तर्गत 5,000 रु० की जमा राशि 20 वर्ष में 35 हजार रु० हो जाती है । इस प्रकार कई योजनाएं लागू की जा रही हैं तथा इनके फलस्वरूप जमा राशियों में हमारी आशानुकूल वृद्धि हो रही है ।

Shri Chiranjib Zha: Sir, my second question is this. What is the percentage increase in the bank deposits following the introduction of these schemes and the amount distributed by way of these prizes as also the number of deposities given such prizes?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को मिला कर 1969 से दिसम्बर, 1975 के अन्त तक जमा राशि में 190 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

श्री पी० वेंकटासुबैया : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या इन प्रोत्साहन योजनाओं के चलाने से ग्रामीण क्षेत्रों में जमा राशियों में वृद्धि हुई है, क्योंकि ऐसी धारणा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आशा के अनुकूल धन राशि जमा नहीं हुई हैं ।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : वास्तव में धारणा इसके विपरीत है क्योंकि इसी सभा में मुझसे यह प्रश्न पूछा गया था कि यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों से हम अधिक साधन जुटा रहे हैं किन्तु इसका हम वहां उपयोग नहीं कर रहे हैं । वाणिज्यिक बैंकों के ग्रामीण क्षेत्र का विस्तार हुआ है और मालूम हुआ है कि छः वर्ष के समय में ये 1,700 से बढ़ कर 7,000 हो गये हैं अतः जमा राशियों में भी तदनुरूप वृद्धि हो रही है ।

डा० रामेश्वर सेन : क्या मैं जान सकता हूं कि मंत्री महोदय को यह बात मालूम है कि इन इनाम योजनाओं के कारण राष्ट्रीयकृत बैंकों में कुछ अनुचित प्रतियोगिता हुई है जिसके परिणामस्वरूप रिजर्व बैंक सारी बात को सुचारू रूप देने तथा मानक बनाने पर विचार कर रहा है? यदि हां तो क्या सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में इस अनुचित प्रतियोगिता का कैसे सामना किया जा सकता है ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : कभी कभी सरकार तथा रिजर्व बैंक का इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है कि अधिक राशि जमा करने के लिए प्रतियोगिता में गलत तरीके अपनाये जा रहे हैं और रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर आवश्यक अनुदेश जारी किये जाते हैं किन्तु यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां बैंकों से अपने ही विषय के बारे में इस मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुसार कि वे 10 प्रतिशत से अधिक ब्याज की दर नहीं दे सकते, कार्य करने की आशा की जाती है । जब भी कहीं कुछ उल्लंघन होता है तो हम उन्हें आवश्यक अनुदेश देते हैं ।

Shri Ramavatar Shastri: It transpires from the statement that unexpetced success is being achieved after introducing prize schemes. When it is so, whether Government propose to introduce such prize schemes in all the nationalised banks?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि इनामों के रूप में सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में कुछ प्रोत्साहन की व्यवस्था है किन्तु सम्भवत: यह कहना सही नहीं है कि जमा राशियों में वृद्धि केवल इन प्रोत्साहनों के कारण हो रही है क्योंकि जैसे ही अधिक शाखाएं खोली जा रही है, लोगों को बैंकों में जमा करने के अवसर मिल रहे हैं ।

पंजाब सरकार द्वारा मकानों के निर्माण हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ऋण दिये जाने के लिए अनुरोध

*797. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने मकानों के निर्माण हेतु ऋण दिये जाने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई निर्णय लिया गया है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्यमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी):(क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों के वास्ते मकान की जमीन की व्यवस्था करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा बनाई गई योजना के अंतर्गत भूमिहीन मजदूरों को मकान के लिए दी गयी जमीन पर मकान बनाने के लिए पंजाब सरकार ने जीवन बीमा निगम के मार्फत, विभेदी ब्याज दर पर, ऋण सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार को लिखा था । उन्हें सलाह दी गयी कि योजना में की गयी व्यवस्था के अनुसार भूमिहीन परिवारों के वास्ते मकान बनाने के लिए स्वैच्छिक श्रम जुटाने के बारे में आवश्यक कार्रवाई करे और मकान के लिए भूमि पाने वालों को अपनी वार्षिक योजन की नियत राशि में से, इमारती सामान आदि के रूप में, सहायता देने की संभावना पर विचार करे ।

पंजाब सरकार ने अपनी विभिन्न सामाजिक आवासन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण दिलाने के लिए भी केन्द्रीय सरकार को पृथक रूप से लिखा था । उन्हें सलाह दी गयी कि 1975-76 वर्ष में तो राज्य सरकार को अतिरिक्त धन देना सम्भव नहीं है किन्तु 1976-77 वर्ष के लिए धन निर्धारित करते समय उनके अनुरोध को ध्यान में रखा जायेगा ।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : पंजाब में गांवों में भूमिहीन मजदूरों को मकानों का निर्माण करने के लिए तीन लाख प्लाट वितरित किये हैं और बुनियादी समस्या भारी रकम के निवेश की है । अत: पंजाब सरकार ने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को निवेदन किया है और उनसे जीवन बीमा निगम अथवा राष्ट्रीयकृत बैंकों को कुछ निदेश देने के लिए कहा है ताकि उन्हें ऋण मिल सके । मंत्री महोदय से मैं जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने जीवन बीमा निगम अथवा बकों को इस सम्बन्ध में कोई निदेश दिये हैं और यदि हां तो क्या दरों में अन्तर होगा अथवा वे सामान्य होंगी ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : जहां तक पंजाब सरकार की भारत सरकार से प्रार्थना का सम्बन्ध है पंजाब के मुख्य मंत्री और भारत सरकार के निर्माण और आवास मंत्री के बीच बहुत पत्राचार हुआ है और निर्माण और आवास मंत्री ने इस सम्बन्ध में वास्तविक स्थति के बारे में विस्तार से

बताया है । वास्तव में आवास योजनाओं में सहायताकार्य के लिए बैंकों का सीधा दायित्व नहीं है किन्तु विभिन्न आवास बोर्डों द्वारा जारी किये गये ऋण पत्रों में अंशदान देकर वे योगदान करते हैं । दिसम्बर, 1975 के अन्त तक इस सम्बन्ध में बैंकों द्वारा किया गया अंशदान 30 करोड़ रुपये से अधिक है । कन्तु जीवन बीमा निगम राज्य सरकारों को आवास मंत्रालय अथवा सहकारी संस्थाओं को सहायता देकर या हुडको के माध्यम से सहायता देकर या राष्ट्रीय आपात स्थिति के कुछ मामलों में सहायता देकर सीधे धन राशि का नियतन कर रहा है । सहकारी संस्थाओं और हुडको के लिए ब्याज की दरें 7-$\frac{1}{2}$ और 8 प्रतिशत के बीच होती है कन्तु इस सम्बन्ध में कोई भी निदेश न आवश्यक है और न वांच्छनीय है क्योंकि यह ऐसा मामला है जिस पर योजना आयोग और निर्माण और आवास मंत्रालय ने कार्यवाही आरम्भ की है और इस आवास कार्यक्रम को एक समेकित राज्य योजना के रूप में लिया जाता है ।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार 1976-77 के लिए इस प्रयोजन के लिए अधिक धन राशि नियत करने के पंजाब सरकार के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : यह सरकार के विचाराधीन है ।

Shri Narsingh Narain Pandey: For the success of 20-point programme it is necessary that those who are being given land for housing purposes should be given assistance by the nationalised banks by all possible means. This is not the question of Punjab only. This is all India question. You should consider giving help to the people by the nationalised banks in accordance with the model of the house by preparing housing schemes.

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : जहां तक आवास कार्यक्रम का सम्बन्ध है विभिन्न राज्य सरकारों ने भारत सरकार के निर्माण मंत्रालय के परामर्श से विभिन्न योजनाएं आरम्भ की है । जहां तक उन्हें वित्तीय सहायता देने का प्रश्न है मैंने जीवन बीमा निगम के माध्यम से वित्त घोषित करने का एक तरीका बताया है और बैंक भी विभिन्न आवास बोर्डों तथा प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये ऋणपत्रों में अंशदान कर सहायता कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त कुछ बैंकों ने कुछ व्यक्तियों को मकान बनाने के लिए सीधे सहायता देने की योजना आरम्भ की है । हम भी एक समेकित योजना जाने का विचार कर रहे है जिसमें...

अध्यक्ष महोदय : आपने जो स्पष्टीकरण किया है वह सहकारी समितियों और चन्दे के वर्तमान प्रबन्ध के बारे में है । परन्तु यह बहुत बड़ी विकराल समस्या है और विचारणीय है कि क्या वर्तमान उपबन्धों में वित्त-व्यवस्था भी शामिल या धनाभाव के कारण ऐसा हुआ है ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : वास्तव में, वर्तमान अनुमानों के अनुसार कुल 30,000 करोड़ रुपये से लेकर 50,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी क्योंकि निर्माण के लिए योजना आयोग ने 1.55 करोड़ एककों का लक्ष्य नियत किया है । मुझे आशंका है कि इस समय जितने संसाधन सरकार के पास उपलब्ध है उनके सहारे यह सम्भव नहीं है । परन्तु हम इस बात पर विचार कर रहे है कि वर्तमान एजेन्सियों की ओर बड़े पैमाने पर कैसे अनुपूर्ति की जाये और राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से उन्हें कैसे धन उपलब्ध कराया जाए।

राष्ट्रीय कपडा निगम के पास पूंजी की कमी

*801. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम को पूंजी की कमी का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) कार्यकारी पूंजी की कमी बजट सम्बन्धी सहायता के जरिए, पूरी की जा रही है और पर्याप्त बैंक वित्त प्राप्त करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं ।

Shri Jagannath Mishra : I would like to know the reasons for which this corporation is experience the paucity of capital.

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : नकद राशि की कमी कार्यकारी पूंजी की कमी का कारण है ।

Shri Jagannath Mishra : The reply is very typical. These are not the reasons. Instead of raising a dispute, I want to know the number of mills which have been closed down and how much money would you require at present for resumption their work.

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों में से एक मिल तो बन्द पड़ी है और अन्य मिलें चालू स्थिति में हैं । इस वर्ष के प्रारम्भ में अनुदान लगाया गया था कि 8.69 करोड रुपये की कार्यकारी पूंजी कम है ।

Shri Jagannath Mishra : The answer is vogue.

श्री दीनेश भट्टाचार्य : मैं मंत्री महोदय से यह जाँनना चाहता हूं कि क्या पश्चिमी बंगाल में सभी मिलें जो राष्ट्रीय कपड़ा निगम के नियंत्रणाधीन हैं, अर्थात 14 मिलें किन्हीं कारणों से हानि में चल रही हैं और उनके लिए पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकार ने भी केन्द्रीय सरकार से एक बड़ी एरकम मांगी है और क्या केन्द्रीय सरकार ने अभी तक इतनी धनराशि के लिए मंजूरी नही दी है जिसके फलस्वरूप धनाभाव के कारण ये मिलें अभी तक भविष्य निधि के लिए अपना अंशदान जमा नहीं करा सकी हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जहां पश्चिमी बंगाल का सम्बन्ध है, ये मिलें भारी हानि में चल रही हैं । परन्तु कुछ सुधार भी हुआ है, मार्च-अप्रैल, 1975 में प्रति माह 65 लाख रुपये की हानि हो रही थी और अब यह हानि प्रति माह 15 लाख रुपये की है ।

मैंने जिस वित्तभाव का उल्लेख किया वह समग्र रूप में हैं और समूचे राष्ट्रीय कपड़ा निगम में बंटा हुआ है । भविष्य निधि अंशदान जमा न कर सकने के बारे में मेरे पास इस समय अद्यतन आंकड़े उपलब्ध नहीं है ।

Shri D. N. Tiwari : The hon. Minister has stated in his reply that the working capital shortage is met in two ways, one is through budgetary provisions and another is through borrowings. May I know the extent to which these two ways have been adopted and whether the interest has to be paid at uniform or different rates

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : नकद हानि की पूर्ति के लिए बजट की वित्त व्यवस्था की जाती है टंडन समिति की रिपोर्ट के अनुसार आशा है कि 28.7 करोड़ रुपये की वित्त-व्यवस्था अपने संसाधनों से अर्थात राष्ट्रीय कपड़ा निगम के द्वारा की जायेगी । बैंकों से 86.25 करोड़ रुपये की वित्त-व्यवस्था होने की आशा है जिनमें से 62 करोड़ रुपये की वित्त व्यवस्था के लिए बैंकों ने वचन दे दिया है । इस धनराशि में से राष्ट्रीयकरण के पहले के 23 करोड़ रुपये काट लिये हैं । इस प्रकार बैंकों से उपलब्ध होनेवाली धनराशि 39 करोड़ रुपये ही है । चूंकि इसे वित्तीय संस्थान का ऋण माना गया है इसलिए ब्याज दर में रियायत होगी अर्थात् 10 प्रतिशत के बजाये 7 1/2 प्रतिशत की ब्याज दर होगी ।

डा० रानेन सेन : क्या यह सच है कि न केवल पश्चिमी बंगाल स्थित राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलें वरन स्वयं राष्ट्रीय कपड़ा निगम भी भविष्य निधि की जमा राशि कर्मचारियों को अदा करने में असमर्थ है ? यदि हां, तो सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ताकि कर्मचारियों की कम से कम भविष्य निधि तो सुरक्षित रहे ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : भविष्य निधि की अधिकांश राशि राष्ट्रीय करण से पहले की है। इसके बारे में इकतीस आंकड़े देने के लिए मुझे जांच पड़ताल करनी पड़ेगी परन्तु राष्ट्रीयकरण के बाद की भविष्य निधिकी अधिकांश राशि अदा कर दी गई है और उसकी अधिक रकम बकाया नहीं हैं। मैंने अभी जो बताया वह प्रति मास 15 लाख रुपये के बजाय प्रति माह 59 लाख रुपये हैं।

डा० रानेन सेन : क्या मैं यह समझूं कि राष्ट्रीयकरण से पहले की भविष्य निधि अभी तक अदा नहीं की गई है ? यदि ऐसा है, तो सरकार यह बकाया राशि पूरी अदा करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इसके लिए एक मुआवजा आयुक्त शीघ्र नियुक्त किया जाने वाला है और उसकी नियुक्ति हो जाने के बाद इस मामले पर ध्यान दिया जायेगा।

इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा "भारत दर्शन (डिस्कवर इंडिया)" कार्यक्रम के बारे में रियायती किराये का प्रस्ताव

*805. **श्री राजदेव सिंह : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या इण्डियन एयर लाइन्स की विदेशी पर्यटकों को क्रमश: 200 डालर और 275 डालर में "14 दिन में भारत दर्शन (डिस्कवर इंडिया 14 डेज) और "21 दिन में भारत दर्शन (डिस्कवर इंडिया 21 डेज)" के प्रस्ताव के अच्छे परिणाम निकले हैं और यह प्रस्ताव पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो ये प्रस्ताव किये जाने के बाद पर्यटकों की संख्या में औसतन कितनी वृद्धी हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) जी हां।

(ख) सितम्बर 1975 से 31 मार्च, 1976 तक की अवधि के दौरान 7638 पर्यटकों ने 'डिस्कवर इंडिया' तथा "यूथ फेयरस" से लाभ उठाया, जबकि 1974-75 की इसी अवधि में ऐसे पर्यटकों की संख्या 4657 थी। इससे पता चलता है कि पर्यटक यातायात में 64 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

Shri Rajdeo Singh: The growth rate of 64% in tourist traffic under these schemes is very encouraging. Do Government keep a watch or record on the motive or visit of foreign tourists availing these 14 days 'Discover India' and 24 days 'Youth fares'? Can they give as their number categoriwise? Some tourists are interested in religion, some in historical study, some in nature etc.

Shri Raj Bahadur: We do not have any information about the object of their visit. Every visitor comes here on a passport. After a security immigration check we treat him as a tourist.

Shri Rajdeo Singh: There were press reports recently that C. I. A. is indulging in sabotage in other countries by sending its agents there. Can you say that there are no C. I. A. agents among them?

Shri Raj Bahadur: We will examine information given by the hon. Member.

श्री बी० वी० नायक : हमारे विशाल देश को देखने के 14 से 21 दिनों के इस पैकेज कार्यक्रम में किन पहलुओं पर जोर दिया जाता है और किन-किन राज्यों की यात्रा की जाती है ?

श्री राज बहादूर : हमारा विचार रियायती किरायों की व्यवस्था करना है, जिनका विदेशी लोग लाभ उठा सकें और कहीं भी घूम सके तथा यथा संभव अधिक से अधिक भारत देख सकें।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : हमारे देश के पर्यटन विभाग द्वारा बनाये गये यह 'डिस्कवर इंडिया' कार्यक्रम के अंतर्गत अधिक विदेशी भारत आयेंगे और इससे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सहायता मिलेगी तथा हमें विदेशियों को अपनी संस्कृति और परम्परा दिखाने का भी अवसर मिलेगा। क्या उनका मंत्रालय देश के विभिन्न भागों की यात्रा करने के बाद पर्यटकों को पंडित जवाहर लाल नेहरु की कृति "डिस्कवरी ऑफ इंडिया" की एक प्रति भेंट करने पर विचार करेगा ताकि वे सच्ची भावना में भारत को अपने दिल में लेकर वापस जायें ?

दूसरे, इस समय टाइगर हिल्स देखने जाने के लिये दार्जिलिंग के लिये बागडोगरा होकर एक ही विमान सेवा है। क्या सरकार दार्जिलिंग के लिये विमान सेवाओं की संख्या बढ़ाने पर विचार करेगी ?

श्री राज बहादूर : दोनों सुझाव हैं। मैं उनपर विचार करुंगा।

Advancing of loans to weaker and backward sections through SBI under 20-Point Economic Programme

***808. Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated a scheme to advance loans to persons belonging to weaker and backward sections of the society through the State Bank under 20-Point Economic Programme; and

(b) the achievements made in this regard so far?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): (क) और (ख) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

भारतीय स्टेट बैंक ने एक विशेष योजना बनाई है और 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम से लाभान्वितों के विभिन्न वर्गों को, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों को, ऋण देना आरम्भ कर दिया है जिनमें भूमिहीन मजदूर, सीमांतिक और छोटे किसान, अतिरिक्त भूमि को पाने वाले व्यक्ति, मुक्त बंधुआ मजदूर, हथकरघा बुनकर और ग्रामीण शिल्पी आते हैं।

इन योजनाओं का निर्माण तथा कार्यान्वयन विभिन्न अवस्थाओं में चल रहा है, इसलिए सारे देश में बैंक के कार्यसम्पादन का ठीक-ठीक परिभाषा सूचक मुल्यांकन करना संभव नहीं है।

Shri Ramavatar Shastri: I wanted to know through this question the arrangements made for advancing loans by banks to the landless labour, marginal and small farmers, weavers, bonded labour etc. May I know the states where the work or giving loans to persons of these categories has been started and the statewise amount of loans advanced by the State Bank? We can judge the real progress in the implementation of the 20-point economic programme from the reply of the hon. Minister.

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि स्टेट बैंक आफइंडिया की सारे देश में 2,000 शाखाएं हैं और वे प्रत्येक शाखा में विभिन्न योजनायें प्रारम्भ कर रहे हैं। इसी कारण से मैंने उनके काम करने की मोटी रूपरेखा बनाई है। परन्तु मैं माननीय सदस्यों को बता सकता हूं कि मैंने प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक को निदेश दिये हैं कि वह उनके द्वारा किये गये उपाय, उन उपायों से लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या तथा दी गई राशि का ब्यौरा दर्शाने वाला एक त्रमासिक विवरण तैयार करें और माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये उनके पास भेजें ताकि सब का समय बच सके और माननीय सदस्य को वास्तविक कार्यवाही की जानकारी भी मिल सके।

अध्यक्ष महोदय : पहला त्रैमासिक विवरण कब आयेगा ?

श्री रामावतार शास्त्री : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। वे हमें कुछ अधिक ब्यौरा दें।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : मैं उन्हें सामान्य जानकारी ही दे सकता हूं। उदाहरण के लिये स्टेट बैंक की सारे देश में कृषि विकास शाखाएं हैं : 215 शाखाएं कार्य कर रही हैं, और दिसम्बर 1975 के अन्त तक 3,68,000 व्यक्तियों को, जिसमें से काफी लोग निर्बल वर्गों के हैं, कुल मिलाकर 83 करोड़ रुपए की सहायता दी गई। दूसरे, सारे देश में भिन्न ब्याज दर योजना चल रही है—ब्याज की दर 4 प्रतिशत है—जो मुख्यत: निर्बल वर्गों के लिये है और गत वर्ष के अन्त तक लगभग 5 लाख लोगों को 20.5 करोड़ रुपए के ऋण दिये गये। इसके अतिरिक्त अन्य अनेक योजनायें हैं। उदाहरण के लिये हथकरघा क्षेत्र को लीजिए। हथकरघा क्षेत्र में अधिकांश लोग समाज के दुर्बल वर्गों के हैं और हम हथकरघा क्षेत्र को सहायता दे रहे हैं। सारे देश में विभिन्न शाखाओं से विस्तृत जानकारी इकट्ठी करना और देना संभव नहीं है। इसके लिए की गई व्यवस्था की जानकारी मैं दे चुका हूं।

Shri Ramavatar Shastri : The hon. Minister has given a general reply which is not going to satisfy the people particularly the weaker sections of our country. I have recently visited 28 villages in my constituency and have found that none has received any loan from any bank. I want to know whether any constructive work has been done under 20-point economic programme.

May I also know whether any funds have been earmarked for advancing loans through banks to the people particularly the weaker sections in the country and if so, the funds so allocated to each State particularly the State of Bihar ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : मैंने मुख्य मुख्य बातें पहले ही स्पष्ट कर दी हैं। परन्तु इस प्रकार कोई रकम निर्धारित नहीं की जा सकती है। कमज़ोर वर्ग सभी जातियों में हैं और वे अलग अलग धन्धों में लगे हुए हैं। अत: सहायता तो विशिष्ट परियोजनाओं के अन्तर्गत दी जाति है। मैंने बैंकों को त्रैमासिक विवरण तैयार करने के लिये कहा है जिसमें यह दर्शाया गया हो कि बैंक ने कितनी परियोजनाएं आरम्भ की उनसे कितने लोगों को लाभ हुआ और कितनी सहायता दी गई। मैं ये विवरण माननीय सदस्यों को पेश करुंगा। परन्तु बैंकों की 20,000 शाखाओं से यह जानकारी एकत्र करना मेरे लिये सम्भव नहीं है।

Shri M. C. Daga : Now-a-days moneylenders have stopped giving loans to agricultural labour and rural artisans because the latter have neither gold nor silver to pledge as security for loans. In view of this fact whether Government have formulated any scheme to advance loans to them to enable them to erect their future requirements or whether the nationalised banks advance loans to them ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : कुछ राष्ट्रीयकृत बैंक ऋण देते हैं । हां, यह ठीक है कि वह पर्याप्त नहीं है और हमें इसके लिये पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी । माननीय सदस्य भी यह मानेंगे कि विभिन्न मंत्रालयों द्वारा दिये गये आंकड़ों के अनुसार गांवों से ऋणता समाप्त करने के लिये तीन चार करोड़ रुपये अपेक्षित हैं । हमारे पास और इस क्षेत्र में कार्यरत प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों सहकारी समितियों और वाणिज्यक बैंकों की गांवों में शाखाओं जैसे अभिकरणों के पास जितने कुल संसाधन हैं वे पर्याप्त नहीं हैं । इसीलिये हमने एक समिति नियुक्त की है जो इस सारे प्रश्न पर विचार करे उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया और हमने इसके बारे में विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श करना आरम्भ कर दिया है कि इस आवश्यकता को कहां तक पूरा किया जा सकता है ।

श्री नवल किशोर सिंह : कुछ दिन पहले सभा में यह बात उठाई गई थी कि दूरस्त क्षेत्रों में बैंकों की शाखाओं पर शायद यह प्रतिबन्ध लगा दिया गया है कि वे ऐसे आवेदकों के प्रार्थनापत्रों पर विचार न करें जो शाखा के कार्यालय से आठ किलोमीटर से दूर रहते हों । जैसा कि मुझे याद है, माननीय मंत्री ने इस प्रतिबन्ध में कुछ ढील देने के लिये कहा था क्या ऐसा कर दिया गया है ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : जैसा मैंने उस दिन स्पष्ट किया था, बैंकों का अधिकार क्षेत्र 8 किलो मीटर नहीं है बल्कि यह 10 मील है । परन्तु इस बारे में कोई इतना अधिक कड़ा नियम नहीं हैं । बैंक विभाग की हिदायतों के बिना भी 10 मील की अधिक दूरी वाले क्षेत्रों में भी काम कर सकते हैं परन्तु वे ऐसा कर नहीं रहे हैं क्यों कि इतनी दूर के क्षेत्रों में काम करने के लिये न ही उन के पास इतने अधिक कर्मचारी हैं और न ही इतने अधिक संसाधन ही हैं । इसके कारण उनकी कार्य कुशलता पर भी कुप्रभाव पड़ेगा । इसी लिये हम क्षेत्र को बढ़ा कर इस समस्या को हल करने का प्रयत्न कर रहे हैं । इस के साथ साथ हमने ऐसे स्थानों को भी बैंकों के अधिकार क्षेत्र में लाना हैं, जहां अभी बैंक नहीं हैं । हमने हिदायतें दी है कि जहां कहीं भी ऋण की अत्याधिक आवश्यकता हो, वहां बैंक 10 मील की सीमा का ध्यान न करके इस से आगे क्षेत्रों में भी ऋण दे दें । परन्तु इस के साथ साथ हमें इस बात का ध्यान रखना होगा ...

अध्यक्ष महोदय : 'जहां कहीं भी आवश्यकता हो...' –आवश्यकता तो हर जगह है । क्या आप बता सकते हैं कि कुछ क्षेत्रों में अधिक आवश्यकता है ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : इस के साथ साथ हमें ध्यान में रखना होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की 7,000 शाखायें हैं और 600,000 से अधिक गांव हैं । ये 7,000 शाखायें 600,000 गांवों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती है । कुछ समय के लिये कोई न कोई अड़चन पड़ती ही रहेगी..... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत बड़ी समस्या है ।

श्री इंद्रजीत गुप्त : नि सन्देह, यह एक बहुत बड़ी समस्या है । परन्तु जिन रिपोर्टों को हम पढ़ते है उनमें कभी कभी कुछ परस्पर विरोधी बातें होती हैं । उदाहरणार्थ, अभी अभी मंत्री महोदय ने बताया कि जहां तक हो सकेगा 10 मील वाले प्रादेशिक सम्बन्धों प्रतिबन्ध में कुछ ढील देने का प्रयत्न किया जायेगा जिससे बैंक इस सीमा से बाहर वाले मामलों में भी ऋण दे सकें । ऐसा केवल अन्य शाखाए खोलकर किया जा सकता है । परन्तु प्रश्न यह है कि कुछ दिन पहले समाचारपत्रों में एक समाचार प्रकाशित हुआ था कि राष्ट्रीयकृत बैंकों का मुनाफा बढ़ गया है जिसके लिए प्रत्येक व्यक्ति उन्हें अर्थात वित्त जगत के उच्च पदधारियों को, बधाई दे रहा है । मुनाफा बढ़ने का एक कारण यह था कि देहाती क्षेत्रों में बड़ी धीमी गति से अब शाखाएं खोली जाती है तथा दूसरे

विद्यमान शाखाओं को कम करने से उनका कार्य व्याप कम हो गया है जिससे उन्हें अधिक मुनाफा हुआ है । समाचार पत्रों में ऐसी खबर छपी है । अतः क्या यह बात परस्पर विरोधी नहीं है कि एक और तो बैंकों को यह कहा जा रहा है कि अधिक मुनाफा कमाने के लिए खर्च कम करो तथा उन्हें दूरस्थ देहाती क्षेत्रो में कम शाखाएं खोलने के लिए ललचाया जा रहा है । दूसरी ओर यहां पर सदस्य यह चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं कि इस समस्या का समाधान करने के लिए बैंकिंग व्यवस्था पर्याप्त नहीं है तथा 10 मील के प्रतिबन्ध से बहुत क्षेत्रों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है । इस दो तरफां विचारधारा के प्रति आप की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : जब हम बैंकों की कार्यसंचालन लागत में मितव्ययता करने की बात करते हैं तो इसका यह अर्थ नहीं कि यह मितव्ययता बैंकों का विस्तार न करके की जाए । हमें और शाखाओं की आवश्यकता है । परन्तु प्रश्न यह नहीं है । हम राष्ट्रीयकृत बैंको को कह रहे हैं कि वे जितनी तेजी से विस्तार कर सकते हैं करें । केवल यही नहीं । हम एक नया अभिकरण अर्थात प्रादेशिक ग्रामीण बैंक स्थापित कर रहे हैं तथा जैसाकि माननीय सदस्यों को विदित ही है हम अब तक 20 प्रादेशिक ग्रामीण बैंक खोल चुके हैं तथा ऐसी आशा की जाती है कि प्रत्येक बैंक की कम से कम 100 शाखाएं होगी । अतः प्रश्न यह नहीं है । परन्तु फिर भी इस शून्य को पूरा करने में कुछ और समय लगेगा । । यह शून्य इतना बड़ा है कि हमारे अधिक के अधिक प्रयासों के बाबजूद भी हम इसे इतनी जल्दी पूरा नहीं कर सकेंगे जितनी जल्दी हम इसे पूरा करना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : किन्तु मनोबल कम नहीं हुआ है ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : जी, नहीं, यह कम नहीं हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न । श्री जगन्नाथ मिश्र ।

निर्यात-आदेश से मुक्त रसायन

*811. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सत्रह रसायनों को निर्यात-आदेश से मुक्त कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) तथा (ख) जी हां । ऐसे निर्णय लेने के लिए घरेलू मांग तथा सप्लाई स्थिति और अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों को ध्यान में रखा जाता है ।

श्री जगन्नाथ मिश्र : मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर को दृष्टि में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि किन-किन रसायनों को किन-किन परिस्थितियों में निर्यात आदेशों से मुक्त रखा गया है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या इनकी कोई लम्बी सूची है या चन्द एक मदें हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : लगभग 17 मदें हैं । उनकी एक लम्बी सूची है ।

श्री जगन्नाथ मिश्र : वह परिस्थितियों का उल्लेख कर सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप अभी कारण ही बतायें ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इस के दो कारण हैं। एक कारण तो यह है कि इन वस्तुओं की देश में सप्लाई सुलभ हो गई है और वे आवश्यकता पूरी करने के बाद भी बच जाती हैं तथा हमने उनका निर्यात करने की अनुमति दे दी है और प्रतिबन्ध को उठा लिया है क्योंकि स्टाक इकट्ठा होना शुरु हो गया था। दूसरा कारण यह था कि देश में उनका मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य से बहुत अधिक था और उनका निर्यात करना बिल्कुल आसान हो गया था अत: इस सूची को बनाए रखने में कोई तुक नहीं था क्योंकि उनका निर्यात नहीं हो रहा था।

श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने विदेशी मुद्रा कमाने के उद्देश्य से सदा की भान्ती इन रसायनों का निर्यात करने के लिए क्या उपाय किए हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह उन रसायनों की बात है जो निर्यात आदेश से मुक्त हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : उनकी संख्या 17 है। जहां तक उन रसायनों का सम्बन्ध है जिन का निर्यात किया जा सकता है उनके लिए अतिरिक्त क्षमता की मंजूरी दे दी जाती है।

श्री बी० वी० नायक : माननीय मंत्री ने बताया है कि ये वस्तुएं आवश्यकता से अधिक हैं क्योंकि उनका उत्पादन अधिक है। क्या यही कारण है कि इसका निर्यात करने की अनुमति दी जाती है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : निर्यात की अनुमति इन दोनों कारणों से दी गई है। उन्हें पृथक पृथक जोन को आवेदन करना होता है।

अध्यक्ष महोदय : रसायनों की संख्या 17 है। आप एक या दो महत्वपूर्ण रसायनों के नाम बता सकते हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : अनीलीन नाइट्रो बेनजीन, डी० एम० टी० साइट्रिक एसिड इत्यादि।

जहां कच्चा माल की सप्लाई आवश्यकता से अधिक हो वहां हम उसका निर्यात करने की अनुमति दे देते हैं लेकिन जहां मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य से अधिक हो हम निर्यात करने की अनुमति नहीं देते।

श्री डी० एन० तिवारी : इन रसायनों का कुल उत्पादन कितना है तथा उनकी देश में कितनी खपत होती है जिससे हमें कम होने और आवश्यकता से अतिरिक्त होने का पता चल सके।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मेरे पास इसके सही सही आंकड़े नहीं है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को सहायता

*814. **श्री पी० गंगादेव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अधिकतम सहायता देने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा किस प्रकार की योजनाओं पर बल दिया जायेगा ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

अपने चार्टर की शर्तों के अनुसार 'भारतीय औद्योगिक विकास बैंक' उद्योग के वित्त पोषण, संवर्धन और विकास में लगी संस्थाओं के कार्य के राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप समन्वय ; इस प्रकार की संस्थाओं के विकास में सहायता और उद्योग के विकास के लिए ऋण और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने विषयक प्रमुख वित्तीय संस्था है । अत: यह पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत औद्योगीकरण के लिये सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों के समान्य ढांचे के भीतर ही कार्य करती है ।

यह बड़े और मध्यम पैमाने के क्षेत्र में उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है और छोटे पैमाने के उदयोगों को सहायता देने वाली अन्य वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त प्रदान करती है । भारतीय औदयोगिक विकास बैंक की यह नीति रही है कि वह यह सुनिश्चित करे कि धन कि कमी के कारण कोई भी अर्थक्षम-परियोजना खटाई में न पड़ने पाये ।

उन परियोजनाओं को जिन्हें सहायता स्वीकृत की जा चुकी है और जो उद्यमकर्ता के नियंत्रण से बाहर के कारणों से लागत-आधिक्य का सामना कर रही हैं, पूरा करने पर जोर देने के साथ साथ, भारतीय औदयोगिक विकास बैंक नई परियोजनाओं को ऋण देने में या मौजूदा परियोजनाओं के विस्तार में या अन्य संस्थाओं को पुनर्वित्त सहायता देने में प्राय: निम्न मापदण्डों को ध्यान में रखता है :

(1) ये परियोजनायें सरकार द्वारा घोषित उद्योगों के 'कीर' (अत्यंत महत्वपूर्ण) क्षेत्र में और विशेषरूप से उद्योगों के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में होनी चाहियें जैसे : उर्वरक, सूती वस्त्र, सीमेंट, कागज और चीनी ।

(2) वे परियोजनायें उन क्षेत्रों में अवस्थित हों जिन्हें पिछड़े हुए क्षत्र घोषित किया गया है ;

(3) वे परियोजनायें जो विदेशी मुद्रा में अच्छी खासी बचत करे या विदेशी मुद्रा का उपार्जन करे ।

(4) तकनीकी व्यक्तियों या नये उद्यमियों द्वारा प्रेरित परियोजनायें ;

(5) वे परियोजनायें जो जन साधारण के उपभोग की आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने वाली हों और अल्पावधि में पूर्ण होने वाली हों क्योंकि वे अर्थ व्यवस्था पर मुद्रास्फिति विरोधी अनुकूल प्रभाव डालती हैं ; और

(6) उन संस्थाओं को पुनर्वित्त प्रदान करना जो छोटे पैमाने के उद्योगों को सहायता देती हैं ।

श्री पी० गंगादेव : ऐसी एक रिपोर्ट है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास वित्त की कमी है, इस बात को देखते हुए मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि उसकी ऋणदात्री क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है और क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को जनता से ऋण लेने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री प्रणबकुमार मुखर्जी : हम उसे सहायता देने के लिए बजट में तो कोई उपबन्ध नहीं कर रहे हैं लेकिन सरकार ने उसे बाजार से ऋण देकर अपनी पूंजी बढ़ाने की अनुमति दे दी है ।

श्री पी० गंगादेव : भारतीय विकास बैंक ने उद्योगपतियों को कितना ऋण दिया है, कितना ऋण वसूल हो चुका है और ब्याज में कितनी रकम प्राप्त हुई है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या ये चीजे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित नहीं हुई हैं ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : जी हां, प्रकाशित हुई हैं ।

अध्यक्ष महोदय : तो फिर आंकड़े देने की कोई जरूरत नहीं ।

श्री यमुना प्रसाद मंडल : आधार बहुत आकर्षक निर्धारित किया गया है जो छह सूत्रों में विभाजित है ।

बिहार सरकार ने ग्रैफाइट इलैक्ट्रों नामक उद्योग के मामले में भारतीय औद्योगिक विकास से आवेदन किया। यह ग्रैफाइट-इलैक्ट्रो उत्तर बिहार में है और पिछड़े क्षेत्र में होने के कारण निर्धारित आधार के अन्तर्गत आता है । इसका निर्धारित सूत्र विदेशी मुद्रा बचाने या कमाने के बारे में हैं । इस ग्रैफाइट-इलैक्ट्रो ने भारतीय औद्योगिक बैंक से बार-बार अनुरोध किया...

अध्यक्ष महोदय : यह केवल एक उद्योग के बारे में हैं। आप मंत्री जी को लिख सकते हैं।

श्री यमुना प्रसाद मंडल : मैं मंत्री जी से हमें यह बताने का अनुरोध करता हूं कि क्या आधार सूत्रों का पूर्णतया पालन किया जाता है, क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मंत्री महोदय को लिख सकते हैं। वह सदस्य को जानकारी दे देंगे क्योंकि उनके पास इस विशेष उद्योग के बारे में इस समय जानकारी नहीं हो सकती है ।

श्री एस० आर० दामाणी : कुछ समय पूर्व माननीय मंत्री जी ने बताया था कि भारतीय औद्योगिक विकास निगम रूग्ण कपड़ा अथवा पटसन मिलों को विशेष मदद देने की व्यवस्था करेगा । यह व्यवस्था कब से सुरु की जायेगी ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : रुग्ण उद्योगों के विशेषतः प्राथमिकता प्राप्त सेक्टर के बारे में जांच करने के लिए वह एक विशेष अनुभाग स्थापित कर रहा है । कपड़ा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत आता है । वह इस विशेष व्यवस्था का आरम्भ कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इस मौके पर भी कोई सदस्य जिनके नाम प्रश्न सूची में हैं, उपस्थित नहीं है।

प्रश्न सूची समाप्त हो गई है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा नई विमान सेवाएं

*798. **श्री एन० आर० बेकारिया :**
श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975–76 में इंडियन एयरलाइन्स द्वारा कुछ मार्गों पर विमान सेवाएं आरम्भ करने के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां। सरकार को कई अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं।

(ख) कई मार्गों पर परिचालनों में थोड़ा परिवर्तन करके कारपोरेशन ने अब निम्न सेवाएं उपलब्ध करा दी हैं :—

(1) बम्बई—पोरबन्दर

(2) दिल्ली—रायपुर

(3) बंगलौर—मंगलौर

कारपोरेशन का बम्बई—केशोद और हैदराबाद—विशाखापत्तनम के मध्य भी निकट भविष्य में विमान सेवायें पुनः चालू करने का प्रस्ताव है। इंडियन एयरलाइन्स अपनी 1976 की शीतकालीन समय-सारणी में बंगलौर व गोआ को भी विमानसेवा से जोड़ने पर विचार कर रही है।

भारतीय पटसन निगम द्वारा कच्चे पटसन के आयात के लिये करारों पर हस्ताक्षर

*799. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पटसन निगम ने कच्चे पटसन के आयात के लिये अनेक करारों पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय पटसन निगम ने बंगलादेश को निम्न ग्रेड के पटसन की लगभग 4 लाख गांठें और थाईलैण्ड से मेस्टा के आयात के लिये संविदाएं की हैं। आयात वार्ता द्वारा तय की गई कीमतों पर किये जायेंगे और भुगतान पक्के तथा अपरिवर्तनीय साख पत्रों द्वारा किये जायेंगे। 2.15 लाख गांठें प्राप्त हो चुकी हैं और आशा है कि शेष मात्रा जून, 1976 के अन्त से पहले प्राप्त हो जायेंगी।

राज्य व्यापार निगम का पटसन की बनी वस्तुओं के निर्यात व्यापार में शामिल होने का निर्णय

*800. **श्री मान सिंह भौरा :**

श्री एच० एन० मुकर्जी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने पटसन की बनी वस्तुओं के निर्यात व्यापार में शामिल होने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मोटी रूपरेखा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) राज्य व्यापार निगम पिछले कई वर्षों से पटसन माल का निर्यात व्यापार कर रहा है और इसलिए इस संबंध में राज्य व्यापार निगम की ओर से कोई नया निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु में पर्यटन का विकास

*802. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा तमिलनाडु में पर्यटन के विकास के लिए क्या उपाय किए जायग?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : भारत पर्यटन विकास निगम के इस समय महाबलीपुरम में कुटीर तथा मदुरई और तंजौर और तिरूचिरापल्ली और कांचीपुरम् में यात्री-लॉज हैं। उन्होंने महाबलीपुरम में एक रेस्टोरेंट, मद्रास में एक-युक्त शुक्त दुकान और 28 मोटर गाडियों 8 म्बसेडर कारों, 13 लिमूसीन गाडियों, 5 बडी कोचों और 2 मिनी कोचों की व्यवस्था की है।

वर्तमान आधारभूत उपादानों में वृद्धि करने के लिये भारत पर्यटन विकास निगम की पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की गई स्कीमों में निम्नलिखित शामिल ह:

(i) 25 लाख रुपये की अनुमानित लागत से महाबलीपुरम में 25 अतिरिक्त कुटीरों का निर्माण ।

(ii) 15 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 25 कमरों। 150 शय्या ओ का निर्माण करके मदुर के यात्री लॉज का विस्तार।

(iii) 45 लाख रुपए की अनुमानित लागत से कन्याकुमारी में 50 कमरों/100 शय्याओं वाले एक दो स्टार श्रेणी के मोटल का निर्माण / इस स्कीम का अवशिष्ट भाग छटी योजना में पूरा किया जायेगा।

उपयुक्त स्कीमें व्यवहार्यता अध्ययन के सन्तोषजनक होने तथा साधनों की उपलब्धि की अवस्था में ी हाथ में ली जायेंगी।

पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन विभाग ने रामेश्वरम् में एक पर्यटक बंगले का निर्माण पूरा कर लिया तथा मद्रास का युवा होस्टल भी 5.63 लाख रुपये की लागत से पूरा किया जा चुका है। पर्यटन विभाग का यू० एन० डी० पी० के विशेषज्ञ दल की सिफारिशों के अनुसार मद्रास–मामल्लापुरम समुद्र तक का एक अन्तर्राष्ट्रीय समुद्रतटीय एवं पर्यटक विहार के रूप में विकास का भी प्रस्ताव है। विकास की प्रारंभिक कार्यवाही के रूप में तमिलनाडु सरकार से राज्यीय क्षेत्र में मामल्लपुरम का एक मास्टर प्लान तैयार करने का अनुरोध किया गया था। मास्टर प्लान की प्रतीक्षा की जा रही है।

एयर इण्डिया और इंडियन एयरलाइन्स की प्रबन्ध व्यवस्था

*803. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या **पर्यटन और नागर विमान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंण्डिया और इंडियन एयरलाइन्स की प्रबंध व्यवस्थाओं में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) और (ख) फिलहाल एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के प्रबंधक-वर्ग में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। दोनो निगमों के निदेशक-मण्डलो का 31-1-1978 तक की अवधि के लिए हाल ही में पुनर्गठन किया गया है ।

Coordination between SBI and Regional Rural Bank Scheme in regard to banking facilities in rural areas

***804. Shri K. M. Madhukar:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the State Bank of India is going to extend its banking activities to rural areas from where the persons engaged in cottage industries, artisans and small entrepreneurs will be able to get financial assistance; and

(b) if so, how coordination between the Regional Rural Bank Scheme and this Scheme of the State Bank of India is proposed to be maintained?

Minister of State In Charge of Deptt. of Revenue & Banking, (Shri Pranab Kumar Mukherjee): (a) Yes, Sir. The Agricultural Development Branches of the State Bank of India have recently enlarged the scope of their activities to include the lendings to :

(i) cottage and very small agro-based industries;

(ii) artisans engaged in rural arts and crafts;

(iii) small units engaged in rural repair shops; and

(iv) petty rural traders.

(b) A statement is laid on the Table of the House.

In setting up Regional Rural Banks and, particularly their branches, the first precaution that is taken is that in the area of operation of such branches, the coverage by the commercial and cooperative banks is inadequate in so far as the credit requirements, for productive purposes, of really poorer sections of the village community are concerned. Besides, the requirement of credit is so vast in the rural area that there is scope for the Regional Rural Banks to cater to the credit requirement of the poor/marginal farmers, landless labourers, artisans and entrepreneurs with small means, who cannot, be served adequately, for diverse reasons, by the branches of commercial banks.

The Steering Committee on Regional Rural Banks which is entrusted with the task of monitoring the progress of these banks examines in depth the problem of coordination from time to time and also suggest measures for effecting proper coordination among the different institutions extending credit in the rural areas.

निर्यातकों का एक संघ बनाया जाना

*806. **मौलाना सहाक सम्भली :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या निर्यातकों का एक संघ बनाये जाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) निर्यात क्षेत्र में लघु एककों के प्रयासों को समेकित करने हेतु लघु एककों को सहायता देने के लिए सरकार ने छोटे पैमाने के निर्यातकों के सार्थ संघ बनाने को प्रोत्साहित किया है। उन लघु उद्योग एककों को निर्यात सदन प्रमाण-पत्र दिये जाते हैं जो अपने उत्पादों के विपणन के लिए अपना स्वयं के सार्थ संघ स्थापित करते हैं बशर्ते कि वे निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों। इस वर्ष और योजना शुरू की गई है जिस के अन्तर्गत लघु एककों के सार्थ संघ को एक "निर्यात ग्रुप" स्थापित करने की सुविधा दी जायेगी यदि निर्धारित शर्तें पूरी कर दी जाती हैं, भले ही वे पूर्ण निर्यात सदन की कोटि में नहीं आते। ऐसे "निर्यात ग्रुप" अन्य निर्यातकों से हस्तांतरण द्वारा लाइसेंस प्राप्त करने की सुविधा को छोड़कर वही सुविधाएं प्राप्त करने के पात्र होंगे जो अन्य निर्यात सदनों को उपलब्ध होती है।

विदेशी कम्पनियों का भारतीय करण

*807. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में ऐसी विदेशी कम्पनियों की कुल संख्या कितनी है जो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के आधार पर अपनी पूंजी कम करने के लिये सहमत हो गई थी तथा उनका वर्तमान पूंजी निवेश कितना है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 के उपबन्धों के अनुसार अब तक 48 कपनियों ने अपनी सामान्य शेयर-पूंजी में गैर-आवासियों के शेयरों को घटा कर 40 प्रतिशत तक अथवा उससे कम कर दिया है। 5 कम्पनियां विलय / एकीकरण के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29 के अधिकार-क्षेत्र से बाहर हो गई हैं।

उपर्युक्त 48 कम्पनियों के पूंजी-निवेश की मौजूदा स्थिति इस प्रकार है :—

	(करोड़ रुपए)
(क) गैर-निवासी शेयरो को कम करने के बाद कुल चुकता पूंजी	42
(ख) गैर-आवासी शेयरों को कम करने के बाद उपर्युक्त (क) में से गैर-आवासियों द्वारा धारित चुकता पूंजी	14

इसके अलावा, 64 सहायक कम्पनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक को यह बताया है कि वे अपनी विदेशी पूंजी को निर्धारित स्तर तक कम करने के लिए राजी हैं। उनकी कुल सामान्य चुकता पूंजी 1-1-1974 को 28 करोड़ रुपए थी और सामान्य चुकता पूंजी में गैर-आवासियों का हिस्सा 18 करोड़ रुपये था। इसके अतिरिक्त विदेशी कम्पनियो की 101 शाखाएं अपनी गैर-आवासियों की शेयर-पूंजी को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट स्तर तक कम करके अपने आपको भारतीय कम्पनियों में बदलने के लिए राजी हैं।

विदेशी कम्पनियों का भारतीयकरण

*809. **श्री नानुभाई एन० पटेल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपने फार्मुलों की गोपनीयता के आधार पर 100% विदेशी ईक्विटी बनाए रखने के लिए आवेदन-पत्र दिए हैं; और

(ख) क्या वे ये आवेदन पत्र विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की आवश्यकताएं पूरी करते हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) संयुक्त राज्य अमेरिका की मैसर्स कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन नामक एक विदेशी कम्पनी ने प्रस्ताव किया है कि चूंकि उसका फार्मुला गोपनीय है इस लिए उसे उसकी भारतीय शाखा के द्वारा कोका कोला कंसंट्रेट तैयार करने की अनुमति दी जाए। इस कम्पनी ने अपनी भारतीय शाखा के अन्य कार्यों के लिए एक भारतीय कम्पनी स्थापित करने की भी इच्छा व्यक्त की है जिसमें इस कारपोरेशन का हिस्सा 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। कम्पनी के प्रस्तावो पर विचार किया जा रहा है।

चर्म परिष्करण मशीनरी पर आयातशुल्क

*810. **श्री राम सहाय पांडे :**

श्री सी० जनार्दनन् :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चर्म परिष्करण मशीनरी पर आयात शुल्क घटाने का अनुरोध किया गया है जिससे उसे तेजी से तैयार चमड़े में बदला जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय लिया है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) चर्म परिष्करण मशीनरी पर आयातशुल्क कम करने के लिए कुछ सुझाव सरकार को प्राप्त हुए थे। ध्यानपूर्वक जांच करने के बाद सरकार की यह राय थी कि शुल्क में कमी को फिलहाल स्वीकार नहीं किया जा सकता।

लीड बैंकों का कार्यकरण

*812. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लीड बैंकों के कार्यकरण में धीमी प्रगति के कारणों की जांच के लिए रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त की गयी समिति का प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति ने क्या क्या मुख्य सिफारिशें की है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में लीड बैंक योजना के कार्यों की जांच करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित दोनों अध्ययन दलों की एक संयुक्त रिपोर्ट, सरकार को प्राप्त हो गयी है ।

ये अध्ययन दल पश्चिमी क्षेत्र की क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुसरण में, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में लीड बैंक योजना के कार्यों की, निम्नलिखित के संदर्भ में विशेष रूप से समीक्षा करने के लिये गठित किये गये थे —

(i) जिला स्तरीय परामर्शदात्री समितियों का गठन और कार्यचालन ;

(ii) वित्तीय संस्थाओं के बीच सम्पर्क का स्वरूप और सीमा तथा राज्य सरकारों से विभिन्न स्तरों पर स्थापित सम्बन्ध; और

(iii) क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों की तैयारी और क्रियान्वयन में बैंकों के सहयोग की सीमा।

अन्य बातों के साथ साथ इन अध्ययन दलों की मुख्य सिफारिश यह है कि लीड बैंकों को, उपेक्षित वर्गों के व्यापक क्षेत्रों में, तकनीकी रूप से व्यवहारिक और आर्थिक रूप से सक्षम ऐसी ऋण योजनायें तैयार करनी चाहिये जो 3 से 5 वर्ष की अवधि के भीतर क्रियान्वित हो सकती हों और उन्हें सभी वित्तीय संस्थाओं के साथ संयुक्त रूप से इन्हें कार्यान्वित करने का प्रयत्न करना चाहिये। इन अध्ययन दलों ने इन योजनाओं के निर्माण और उन्हें कार्यान्वित करने के कार्य में अन्त: बैंक-सहयोग के विषय में बैंकों द्वारा पालन करने के लिये कुछ 'मौलिक-नियम' बनाये हैं। उन्होंने उन जिला परामर्शदात्री समितियों के कार्यों को और प्रभावी बनाने के लिये भी सिफारिशें की हैं जिन्हें इन योजनाओं के कार्यान्वयन की देख रेख करने और बैंकों तथा जिले के अधिकारियों के बीच और अच्छा समन्वय स्थापित करने का कार्य सौंपा गया है। इन दलों ने इन योजनाओं की समग्र प्रगति की समीक्षा करते रहने के लिये रिजर्व बैंक में एक स्थायी समिति के गठन की भी सिफारिश की है ।

हालांकि, इन अध्ययन दलों की टिप्पणियां तथा सिफारिशें, विशेष रूप से गुजरात और महाराष्ट्र में इस योजना के कार्यचालन से ही संबंधित हैं, परन्तु वे सम्पूर्ण रूप से इस योजना के कार्यान्वयन पर भी सामान्य रूप से लागू होती हैं।

इन अध्ययन दलों की सिफारिश के अनुसरण में, रिजर्व बैंक ने अपने उपगवर्नरों में से एक की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति का गठन किया है। यह समिति, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्न कार्य भी करेगी--

(क) योजना के कारगर परिचालन के लिये नीति संबंधी मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी करना;

(ख) बैंकों द्वारा सूचित, विभिन्न राज्यों में इस योजना के कार्यान्वयन में पेश आने वाली विशिष्ट समस्याओं की जांच करना;

(ग) राज्य सरकारों और रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रेषित समस्याओं की जांच करना तथा आवश्यक निर्देश जारी करना ; और

(च) लीड बैंक योजना के कार्यचालन के मामले में समीक्षा प्राधिकरण के रूप में कार्य करना।

तम्बाकू का निर्यात

813. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वित्तीय वर्षों में तम्बाकू का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया ;

(ख) क्या तम्बाकू उत्पादकों को निर्यात के लिये कोई प्रोत्साहन दिया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) 1973-74 में 78,215 मे० टन और 1974-75 में 74,982 मे० टन/1975-76 के दौरान फरवरी, 1976, तक 65,703 मे० टन (अनुमानित) निर्यात हुए थे।

(ख) और (ग) राज्य क्षेत्र के प्रयत्नों के अतिरिक्त हल्की मिट्टी के क्षेत्रों में वर्जीनिया तम्बाकू के विकास के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना का 1966-67 से क्रियान्वयन किया जा रहा है ताकि निर्यात योग्य किस्मों के तम्बाकू का उत्पादन बढ़ाया जा सके। इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता पैटर्न में बीजांकुरों, बेहतर प्रणाली के साथ प्रदर्शन आयोजित करने तथा धुएं से उपचार के लिए खतों, वायु से उपचार के लिए शेडों आदि के लिए उपदान शामिल हैं। ऐसी स्थिति में जब उपजकर्ता निर्यातक भी हों तो वे सीमा शुल्क में छूट के अलावा प्रयोगशाला उपस्कर रिड्राइंग एप्रनों हैंडलिंग उपस्करों, पोलिथीलिन ग्रेन्यूलों आदि के आयात के लिए निर्यातों के 3 प्रतिशत एफ० ओ० बी० मूल्य की दर से आयत प्रतिपूर्ति के हकदार हैं।

सरकार ने हाल ही में तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के उपबन्धों के अन्तर्गत तम्बाकू बोर्ड नामक वस्तु बोर्ड की स्थापना की है जिसका मुख्यालय आन्ध्र प्रदेश में गुन्टुर में है। अन्य बातों के साथ साथ बोर्ड को भारत तथा विदेशों में वर्जीनिया तम्बाकू की मांग और उसके आन्तरिक वितरण के विनियमन ध्यान में रखते हुए उसके उत्पादन तथा उपचार के विनियमित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि उपजकर्ताओं को उनकी उपज की उचित तथा लाभकारी कीमत मिलना सुनिश्चित हो सके।

विदेश जाने वाले इंजिनियरों को आयकर की रियायत

*815. **सरदार स्वर्ण सिंह सोढी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी के देशों में सेवा के लिए जाने वाले इंजीनियरों से कोई आयकर नहीं लिया जाता है ; और

(ख) क्या उन भारतीय फर्मों को ऐसी रियायतें दी गई हैं जो विदेशों में भेजे जाने के लिए इंजीनियरों को सेवा पर रखते हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) खाड़ी के देशों में सेवा के लिए जाने वालों को कोई विशेष छूट नहीं मिलती है। परन्तु, सेवा के स्वीकृत ठेकों के अन्तर्गत विदेशों में नियोजित भारतीय 'तकनीशनों' को विदेशों में अर्जित पारिश्रमिक पर आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80 आर० आर० ए० के अनुसार, 36 महीनों तक की अवधि के लिये, 50 प्रतिशत तक की कटौती मिल सकती है ।

(ख) स्वीकृत करारों के अन्तर्गत, विदेशों में तकनीकी सेवाएं करने वाली भारतीय कम्पनियों को, आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 80-ओ० की शर्तों के अनुसार, कर में रियायतें मंजूर की जाती हैं ।

Rate of interest paid by Post Office Savings Bank

3868. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the rate of interest on deposits in the Post Office Savings Bank is much lower than the interest paid by banks;

(b) whether due to this the Post Office Savings Bank has much less deposits; and

(c) if so, the steps taken in this regard to ensure increased deposits in the Post Office Savings Bank ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) :

(a) No, Sir.

(b) & (c) Do not arise.

Closure of Cotton Mandis

3869. Shri Bhagirath Bhanwar : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) Whether Government are aware that due to recession, the cotton mandis are lying closed and the farmers are not able to sell the cotton;

(b) whether storage problems have arisen for the farmers as a result thereof; and

(c) the measures proposed to be taken to tide over the crisis ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) No, Sir.

(b) and (c) : Do not arise.

हंगरी के साथ संयुक्त फार्मास्यूटिकल उपक्रम की स्थापना

3870. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हंगरी की भारत के सहयोग से संयुक्त फार्मास्यूटिकल उपक्रम स्थापित करने में रुचि है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) संयुक्त भेषजीय उद्यम स्थापित करने के लिए हंगरी का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है । तथापि हंगेरियन उद्योग ने कतिपय संश्लिष्ट औषधियां तथा एक ऐंटीबायोटिक का विनिर्माण करने के लिए प्रौद्योगिकीय सहायता की पेशकश की है । मामले पर विचार किया जा रहा है ।

जन उपयोग की वस्तुओं का मूल्य

3871. **श्री नरुल हुडा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जन उपयोग की जिन वस्तुओं पर हाल ही के बजट में छूट दी गई है उनके मूल्यों में कोई गिरावट आई है और यदि हां, कितनी ; और

(ख) क्या सरकार ने इस बात को देखने के लिए पर्याप्त कदम उठाये हैं कि कीमतों में बजट राहत के अनुरूप गिरावट आए और कम क्रय शक्ति वाले उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर वस्तुएं प्राप्त हों ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) सरकार ने बजट पेश किए जाने के तत्काल बाद डिब्बाबंद वस्तु विनियमन आदेश (पैकेज्ड कमोडिटीज रेग्युलेशन आर्डर) में संशोधन कर दिया था ताकि उत्पाद शुल्क में राहत का जिन वस्तुओं पर प्रभाव पड़ेगा उन्हें कम कीमत पर बेचा जा सके, चाहे उनकी पैकिंग किसी भी महीने में की गई हो । उपलब्ध सूचना के अनुसार, अनेक निर्माताओं ने, कुल मिलाकर बजट प्रस्तावों के प्रत्याशित प्रभाग के अनुरूप कीमतों में कमी की घोषणा की है ।

Production of Rubber

3872. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the production of rubber in India during the years 1972 to 1975;

(b) whether Central Government have set up any rubber producing centres and if so, their production capacity; and

(c) the quantity of rubber imported from abroad at present and the time by which India is likely to become self-sufficient in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh): (a)

Year	Production of Natural Rubber	Production of Synthetic Rubber
1972	109,137 Tonnes	27,842 Tonnes
1973	123,232 ,,	21,012 ,,
1974	128,351 ,,	17,922 ,,
1975	136,019 ,,	22,961 ,,

(b) Yes, Sir. The annual production capacity is 950 tonnes natural rubber.

(c) Import of natural rubber is not at present allowed. As there is excess of production over consumption, some natural rubber is being exported. Only special purpose synthetic rubber which is not produced in the country is imported to the extent of about 6,500 tonnes annually.

सोवियत संघ से उर्वरकों का आयात

3873. श्री समर गुह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार वर्ष 1976 में सोवियत संघ से उर्वरक आयात करेगी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) 1976 के दौरान सोवियत संघ से उर्वरकों के आयात की व्यवस्था की गई है । इसके ब्यौरे बताना निगम के व्यापारिक हित में नहीं होगा ।

सामान्य अरब करेंसी

3874. श्री मधु दंडवते : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख अरब तेल निर्यातक राष्ट्रों के तेल एवं वित्त मंत्रियों की कुवैत में मई, 1975 में हुई बैठक में सामान्य अरब करेंसी की स्थापना के पहले कदम के रूप में एक नया आर्थिक एकक बनाने का निर्णय किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) पेट्रोलियम का निर्यात करने वाले अरब देशों के संगठन (ओपेक) के मंत्रियों की परिषद की बैठक 3-4 मई, 1975 को कुवैत में हुई थी । इस बैठक में इन देशों के संगठन के संयुक्त उद्यमों में लगाई जाने वाली पूंजी का हिसाब-किताब रखने के लिए मुद्रा का एक यूनिट बनाने के प्रश्न पर विचार किया था । बैठक में यह निर्णय किया गया कि यह सुझाव संगठन के सचिवालय और सदस्य देशों के सक्षम प्राधिकारियों के पास भेज दिया जाना चाहिए जिससे इस पर और आगे विचार किया जा सके । यह स्पष्ट कर दिया गया था कि ऐसी मुद्रा यूनिट का तेल के मूल्यों और भुगतानों से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होगा । इसके अलावा यह भी संकेत दिया गया है कि इस मुद्रा यूनिट का इस्तेमाल मुख्य रूप से अरब पेट्रोलियम इन्वेस्टमेंट कम्पनी की पूंजी और ओपेक तथा अन्य अरब देशों की संयुक्त परियोजनाओं की पूंजी का मूल्यांकन करने के लिए किया जाएगा । इस समय सरकार के लिए इस प्रस्ताव पर कोई टीका-टिप्पणी करना सम्भव नहीं है ।

शिमला में हवाई अड्डा

3875. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शिमला में हवाई अड्डे के निर्माण की योजना में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादूर) : जैसा कि 30 जनवरी, 1976 को दिए गए लिखित प्रश्न संख्या 1506 के उत्तर में कहा गया था, एक स्थान चुन लिया गया है जहांकि हवाई पट्टी का निर्माण किया जा सकेगा । अब नागर विमानन विभाग द्वारा एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है जिसके पूरा हो जाने पर अगली कार्यवाही की जाएगी ।

पटाखों का निर्यात

3876. **श्री वसन्त साठे** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पटाखों के प्रमुख निर्माताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने अमरीका को भारतीय पटाखों के निर्यात की संभावनाओं की खोज करने के लिये हाल ही में अमरीका की यात्रा की थी ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल की यात्रा के क्या परिणाम निकले; और

(ग) क्या पटाखों का निर्यात प्रारम्भ करने के लिये एक विशेष अभियान चलाया गया है और गत तीन वर्षों में उसके क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) यात्रा के परिणाम के सम्बन्ध में प्रतिनिधि मंडल की रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा की जा रही है । पटाखों के निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा है ।

Decline in Export of Handloom Clothes

3877. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether the export of handloom clothes has declined as compared to the export figures of 1974-75; and

(b) if so, the causes thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh): (a) No, Sir. The final figures regarding the exports of handloom goods during the year 1975-76 are not yet available. The estimated figures of exports are Rs. 154 crores which include exports of gaments of the value of Rs. 92 crores, as against the exports of Rs. 105 crores of handloom goods during the year 1974-75 including Rs. 50 crores of garments.

(b) Does not arise.

Availability of varieties of controlled cloth

3878. Shri M. C. Daga: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether there are only one or two varieties of controlled cloth available as a result of which this cloth has no sale;

(b) if so, Government's reaction thereto; and

(c) whether arrangements are proposed to be made by Government for increasing the varieties of controlled cloth ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh: (a) No, Sir.

(b) and (c): Do not arise.

फार्म उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि

3879. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल के सप्ताहों में फार्म उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि होने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या इससे मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति के पुन चालू होने की सम्भावना है ; और

(ग) इस प्रवृत्ति को प्रभावशाली ढंग से रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) 24 अप्रैल, 1976 को समाप्त हुए चार सप्ताहों में सभी वस्तुओं के थोक मूल्यों के सूचक अंक (1961-62=100) में 2.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 1975 की इसी अवधि में 1.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । फिर भी, 24 अप्रैल, 1976 को समाप्त हुए सप्ताह का सामान्य सूचक अंक, जो 290.3 था पिछले वर्ष के सूचक अंक के स्तर से 6.9 प्रतिशत कम है । यद्यपि खेती से पैदा होने वाली कुछ वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है, लेकिन अनाजों के सूचक अंक से जिसमें 24 अप्रैल, 1976 को समाप्त हुए चार सप्ताहों में 0.6 प्रतिशत की कमी हुई थी, अभी भी गिरावट की प्रवृत्ति का पता चलता है । इस अवधि में, मौसमी कारणों से मूल्यों में जो थोड़ी सी वृद्धि हुई है, वह असाधारण नहीं है और उसे मुल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति नहीं माना जाना चाहिए ।

(ख) और (ग) खेती से पैदा होने वाली वस्तुओं के मूल्यों में जो थोड़ी सी मौसमी घट बढ़ हुई है उससे बचा नहीं जा सकता और यहां तक कि कुछ वस्तुओं के मूल्य गिर रहे हैं जबकि दूसरी ओर कुछ अन्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो रही है । मुद्रा संबंधी और राजकोषीय कठोर अनुशासन, कृषि संबंधी और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, सरकार के पास अनाज के बड़े भंडारों को देखते हुए और जमाखोरी व मुनाफाखोरी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने के कारण पूरी-पूरी आशा है कि चालू वर्षों में मूल्यों में उचित सीमा तक स्थिरता आ जाएगी । फिर भी, सरकार स्थिति पर सावधानी से नजर रखती है और जब जरूरी होता है तब स्थिति को सुधारने के लिए कार्रवाई की जाती है ।

पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्य आयात

3880. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी० एल० 480 के अन्तर्गत अमरीका से खाद्य सप्लाई 1972 में रोक दी गई थी और 1975 में फिर से शुरू की गई ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में 1975 में भारत और अमरीका के बीच हुए समझौते की शर्तें क्या हैं ; और

(ग) पी० एल० 480 के अन्तर्गत अमरीका से खाद्य का आयात फिर से आरम्भ किये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां ।

(ख) मार्च, 1975 में जिस करार पर हस्ताक्षर किए गए उसकी शर्तें 9 मई, 1975 को लोक-सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 9363 के उत्तर (प्रति संलग्न) में बताई गई थीं ।

(ग) सरकार का विचार है कि देश में अनाज का काफी बड़ा भंडार बनाना और इस प्रयोजन के लिए सभी संभव स्रोतों का उपयोग करना आवश्यक है ।

"फूड फार पीस" कार्यक्रम के अन्तर्गत अमरीका से गेहूं का आयात

9363. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका भारत को "फूड फार पीस" कार्यक्रम के अन्तर्गत 1280 लाख डालर के मूल्य का 8,00,000 टन गेहूं भेजने पर सहमत हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो समझौते की शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) जी, हां । अमरीकी कृषि व्यापार विकास और सहायता अधिनियम के टाइटल 1 के अन्तर्गत 8,00,000 मेट्रिक टन गेहूं/गेहूं के आटे के आयात के लिए भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के बीच 20 मार्च, 1975 को एक करार पर हस्ताक्षर किये गये थे । इस वस्तु का जहाज पर्यन्त निःशल्क निर्यात मूल्य 1280 लाख डालर होगा । भारत द्वारा इस रकम के पांच प्रतिशत (64 लाख डालर) की अदायगी नकद की जायेगी और शेष (1216 लाख डालर) ऋण के रूप में होगी जो 10 वर्ष की छूट की अवधि सहित 40 वर्ष की अवधि में डालरों में चुकायी जायगी । इस ऋण पर ब्याज की दर पहले 10 वर्षों में 2 प्रतिशत वार्षिक और शेष 30 वर्षों में 3 प्रतिशत वार्षिक होगी ।

इस करार की एक प्रति संसद के पुस्तकालय में रख दी गयी है ।

रेशम का उत्पादन

3881. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि देश में रेशम का उत्पादन हो रहा है, परन्तु विशेषकर पश्चिम बंगाल में इसका प्रति एकड़ उत्पादन और किस्म, अन्य रेशम उत्पादक राष्ट्रों की तुलना मे कम है ; और

(ख) क्या "हाइलोरीडाइनेशन" प्रक्रिया के माध्यम से वर्तमान उत्पादन दो गुना हो सकेगा और जापानी किस्म के आरम्भ किये जाने से किस्म में सुधार होगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) कुछ समय में ही उत्पादन को दुगुना करना सम्भव है । बढ़िया निपज रेशम के उत्पादन के लिये एक योजना पश्चिम बंगाल, जम्मू तथा कश्मीर और कर्नाटक राज्यों में पहले ही कार्यान्वित की जा रही है ।

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयातित औषधियों के फुटकर मूल्य

3882. **श्री के० मालन्ना** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयातित कुछ औषधियों की लाभ सीमा में कमी करने का फुटकर मूल्यों पर भी प्रभाव पड़ेगा; और

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) इस समय ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि यह कटौती भविष्य में लागू होगी । कटौती प्रत्येक मद के बारे में अलग-अलग होगी जो उसमें भारी मात्रा में प्रयुक्त औषध के परिमाण पर निर्भर है ।

भारतीय स्कूटरों की विदेशों में मांग

3883. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बने स्कूटरों की विदेशों में काफी मांग है ; और

(ख) यदि हां, तो किस-किस देश में ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) मुख्यतः हमारे निर्यात इंडोनेसिया, सिंगापुर, ईरान, श्रीलंका तथा थाईलंड को हुए हैं ।

Profit earned by hotels

3884. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the number of Five Star hotels in India under Government management and the hotels among them, which earned profits during the years 1973 to 1975 together with the year-wise break-up thereof; and

(b) the year-wise break-up of the profits earned in Indian currency and in foreign exchange ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh) : (a) There are 3 hotels in India, belonging to the India Tourism Development Corporation, a public sector undertaking, which offer services and amenities of the 5-star deluxe or 5-star category. All of these earned net profits during the years 1973-74 and 1974-75 as follows :

(Rs. in lakhs)

	1973-74	1974-75
Ashoka Hotel, New Delhi	44.94	52.89
Akbar Hotel, New Delhi	5.05	15.41
Hotel Ashoka, Banglore	6.85	5.16

The accounts for the year 1975-76 have yet to be audited.

The Hotel Corporation of India, a subsidiary of Air India, also owns and operates Centaur Hotel at Santa Cruz Airport, Bombay, which offers services and amenities of the 5-star category. However, the hotel was fully completed in January 1976 and its accounts for the year 1975-76 have yet to be finalised.

(b) The break-up of the profits earned in India currency and in foreign exchange is not feasible. However, the foreign exchange earnings of the hotels of the India Tourism Development Corporation, as deposited in the bank, are as follows:-

(Rs. in lakhs)

	1973-74	1974-75
Ashoka Hotel, New Delhi	38.59	42.95
Akbar Hotel, New Delhi	18.79	27.93
Hotel Ashoka, Banglore	9.95	12.93

बिहार में लीड बैंकों की शाखायें

3885. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में लीड बैंक प्रणाली का जिलावार और बैंकवार अद्यतन ब्यौरा क्या है ;

(ख) बिहार के प्रत्येक जिले में बैंक की कुल कितनी शाखाएं हैं और मधुबनी, दरभंगा, सीतामढी और समस्तीपुर जिलो में स्थापित की जाने वाली शाखाओं समेत उनके नाम क्या हैं और गत तीन वर्षों में इन शाखाओं में कितनी धनराशि जमा हुई तथा इन्होंने कितनी राशि के ऋण दिये ; और

(ग) उपर्युक्त अवधि में उक्त चार जिलों में व्यापारवार कुल कितने व्यक्तियों को बैंक ऋण मिले और कुल कितनी राशि के ऋण दि गये और निपटान के लिए प्रत्येक शाखा में कितने आवेदनपत्र विचाराधीन हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) बैंको के तथा बिहार राज्य में उनके लीड दायित्व वाले जिलों के नाम अनुबन्ध **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०–10852/76]** में प्रस्तुत हैं ।

(ख) वाणिज्यिक बैंको की शाखाओ की संख्या के जिलेवार आंकड़े अनुबन्ध-2 **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०–10852/76]** में दिये जा रहे हैं । जिन स्थानो में ये शाखाएं अवस्थित हैं उनकी सूची बनाई जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी । रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि मार्च, 1976 के अंत की स्थिति के अनुसार, शाखाएं खोलने के लिए बैंको के पास बकाया लाइसेंसों/आबंटन पत्रो की संख्या मधुबनी के लिए 8, दरभंगा के लिए 6; सीतामढ़ी के लिए 5 और समस्तीपुर के लिए 7 थी ।

मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी और समस्तीपुर जिलों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको की कुल जमाओं और अग्रिमो की दिसम्बर, 1973 और दिसम्बर, 1974 की स्थिति प्रदर्शित करने वाला ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है :—

(राशि लाख रुपयों में)

जिले का नाम	कुल जमाएं		कुल अग्रिम	
	दिसम्बर, 1973	दिसम्बर, 1974	दिसम्बर, 1973	दिसम्बर, 1974
1. मधुबनी . .	205	291	26	26
2. दरभंगा . .	753	845	151	222
3. सीतामढ़ी . .	210	318	54	60
4. समस्तीपुर . .	335	437	90	89

टिप्पणी : यह सूचना पुनर्गठित जिलों के बारे में है । दिसम्बर, 1972 के तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी और समस्तीपुर जिलों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया ऋणों के व्यवसाय वार वर्गीकरण की दिसम्बर, 1973 और दिसम्बर, 1974 के अंत की स्थिति अनुबन्ध 3 [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-10852/76] में दी गयी है। आंकड़े सूचित करने की वर्तमान प्रणाली में वाणिज्यिक बैंकों के विचाराधीन आवेदन पत्रों की संख्या के बारे में आंकड़ों का संकलन करने की व्यवस्था नहीं हैं। फिर भी, सरकारी क्षेत्र के बैंकों को यह सलाह दी गयी है कि वे 10,000/- रुपये से कम की ऋण सीमाओं के आवेदन पत्रों को उनकी प्राप्ति से साठ दिन के भीतर निपटा देने का प्रयास करें।

श्रीनगर में नया विमान टर्मिनल

3886. **श्री रामभगत पासवान :** क्या पर्यटन और नागर विमान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्रीनगर में एक नये विकास विमान टर्मिनल के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का प्रस्तावित व्यय क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) और (ख) जी, हां। श्रीनगर हवाई अड्डे पर 140.53 लाख रुपये की अनुमानित लागत के एक नये सिविल ऐन्कलेव के निर्माण की स्वीकृति दे दी गयी है।

संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा भारत को पुनः सहायता दिया जाना

3887. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा भारत को सहायता देना शीघ्र ही पुनः आरम्भ होने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में दोनों देशों के बीच कोई बातचीत हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) से (ग) संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मार्च, 1975 और मई, 1976 में रियायती दरों पर अनाज की सप्लाई के लिए किए गए दो करारों, के अलावा, अमेरिका द्वारा भारत को फिर से सहायता दिया जाना शुरू करने के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है।

पटसन के बारे में बंगलादेश के साथ समझौता

3888. **श्री शंकरराव सावंत :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश से आयात किये जाने वाले कच्चे पटसन की मात्रा और मूल्य के बारे में और बंगलादेश को निर्यात किये जाने वाले पटसन उत्पादों की मात्रा तथा मूल्य के बारे में बंगलादेश सरकार के साथ कोई समझौता हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) भारतीय पटसन निगम ने कुछ कच्चे पटसन के आयात के लिये बंगलादेश पटसन निर्यात निगम के साथ संविदाएं की हैं। बंगलादेश से निर्यात की जाने वाली पटसन निर्मित वस्तुओं की कीमत अथवा मात्रा के सम्बन्ध में कोई करार नहीं है।

पर्यटक युवा होस्टल

3889. श्री एन० ई० होरो : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में ऐसे पर्यटक होस्टलों/युवा होस्टलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है, जिन्होंने अपने भवनों का निर्माण करने के लिये गत दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार से अनुदान प्राप्त किये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : केन्द्रीय सरकार पर्यटक बंगलों/युवा होस्टलों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को अनुदान नहीं देती है ; वह कुछ ऐसे पर्यटक बंगलों तथा युवा होस्टलों के निर्माण की लागत का खर्च वहन करती है जिनका केन्द्रीय क्षेत्र में निर्माण के लिए अनुमोदन किया गया हो। पिछले दो वर्षों के दौरान जिन पर्यटक बंगलों तथा युवा होस्टलों के निर्माण पर कार्य जारी रहा, उनकी एक सूची नीचे दी गयी है :—

राज्य	यूनिट	केन्द्रीय सरकार को पड़ी कुल लागत (लाख रुपयों में)
1. आंध्र प्रदेश	पर्यटक बंगला, वारंगल	10.35
	पर्यटक बंगला, मंत्रालयम्	8.03
	युवा होस्टल, हैदराबाद	4.10
2. गोआ	युवा होस्टल, पणजी	5.08
3. गुजरात	पर्यटक बंगला, पोरबंदर	10.93
	युवा होस्टल, गांधीनगर	4.07
4. हरियाणा	युवा होस्टल, पंचकुला	5.71
5. हिमाचल प्रदेश	युवा होस्टल, डलहौजी	3.93
	पर्यटक बंगला, धर्मशाला	13.32*
6. जम्मू और कश्मीर	युवा होस्टल, पटनीटॉप	3.61*
7. केरल	युवा होस्टल, त्रिवेन्द्रम	2.85**
8. मध्य प्रदेश	युवा होस्टल, भोपाल	4.96*
9. महाराष्ट्र	युवा होस्टल, औरंगाबाद	4.00

राज्य	यूनिट	केन्द्रीय सरकार को पड़ी कुल लागत (लाख रुपयों में)
10. उड़ीसा . .	युवा होस्टल, पुरी . .	5.41
11. पंजाब . .	पर्यटक बंगला, लुधियाना . .	10.87
	युवा होस्टल, अमृतसर . .	4.05
12. राजस्थान . .	पर्यटक बंगला, जैसलमेर . .	6.10
13. तमिलनाडू . .	पर्यटक बंगला, रामेश्वरम . .	7.76
	युवा होस्टल, मद्रास . . .	4.65*
14. उत्तर प्रदेश . .	युवा होस्टल, नैनीताल . .	3.55
15. पश्चिम बंगाल .	पर्यटक बंगला, दार्जिलिंग . .	4.85
	युवा होस्टल, दार्जिलिंग . .	4.86

*कुल प्रत्याशित लागत—अंतिम स्वीकृति अभी जारी की जानी है ।

**पुनरीक्षित प्राक्कलनों की प्रतीक्षा की जा रही है ; निर्माण में विलम्ब एक एक विवाद के कारण हुआ ।

श्रीमती गायत्री देवी को 'कारण बताओ नोटिस' दिया जाना

3890. **श्री डी० के० पण्डा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीमती गायत्री देवी और जयपुर परिवार के अन्य सदस्यों को स्वर्ण नियंत्रण आदेश और आयकर कानून का उल्लंघन करने पर 'कारण बताओ' नोटिस दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) जयपुर के भूतपूर्व शासक-परिवार के सदस्यों के विभिन्न परिवारों में स्वर्ण नियन्त्रण प्राधिकारियों के सहयोग से आय कर प्राधिकारियों द्वारा तलाशी लेने और माल पकड़ने की कार्यवाहियां की गयी थी । इन कार्यवाहियों के परिणामत: आय कर विभाग द्वारा 4.99 करोड़ रु० मूल्य की परिसम्पतियां पकड़ी गयी थीं । माल पकड़ने की कार्यवाही के बाद श्रीमती गायत्री देवी तथा अन्य लोगों पर आय कर नियमाबली 1962 के नियम 112 ए के अधीन नोटिस तामील किये गये थे । आय कर अधिनियम 1961 की धारा 132 (5) और/अथवा 132(7) के अन्तर्गत अपेक्षित आदेश जारी किये गये हैं ।

जब कभी भी जिस मामले में आवश्यकता पड़ती है, सम्बंधित व्यक्तियों पर आय कर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत विविध कानूनी नोटिस तामील किये जा रहे हैं ।

श्रीमती गायत्रीदेवी, श्री भवानी सिंह और श्री जय सिंह, प्रत्येक को स्वर्ण (नियन्त्रण) अधिनियम 1968 के अन्तर्गत दो 'कारण बताओ नोटिस' जारी किये गये हैं। एक कारण बताओ नोटिस का सम्बन्ध जयपुर में विभिन्न स्थानों से लगभग 27 किलोग्राम शुद्ध सोना, सोने की वस्तुएं तथा चांदी की कुछ छड़ें/सिक्के स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम 1968 के अन्तर्गत पकड़े जाने से हैं ; और दूसरे का सम्बन्ध जयपुर के मोती डूंगरी महल के सुरक्षित कक्ष (स्ट्रांग रूम) में एक गड्ढे से लगभग 888 किलोग्राम शुद्ध सोना, सोने की वस्तुएं एवं आभूषण और चांदी के कुछ सिक्के उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पकड़े जाने से है। दोनों कारण बताओ नोटिसों में उक्त तीन व्यक्तियों से यह कारण बताने के लिए पूछा गया है कि पकड़ी गयी वस्तुओं को स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम की धारा 71 के अन्तर्गत क्यों न जब्त कर लिया जाय और धारा 8 (1) और 8(3) के अधिलंघन में उक्त वस्तुओं को कब्जे में रखने अधिकार आदि के लिए और स्वर्ण (नियन्त्रण) अधिनियम की धारा 16(1) के अधिलंघन में घोषणा नहीं करने के बारे में, उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध उक्त अधिनियम की धारा 74 के अन्तर्गत दांडिक कार्यवाही क्यों नहीं की जाय। मामले न्याय-निर्णयाधीन हैं।

कपड़ा उद्योग के लिये दीर्घावधि संस्थागत वित्त की व्यवस्था

4891. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन काटन मिल्स फैडरेशन ने सरकार से कपड़ा उद्योग के आधुनिकीकरण के लिये दीर्घावधि संस्थागत वित्तीय व्यवस्था करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सरकार इस विषय से अवगत है और स्थिति का सामना करने के लिए जो भी कार्यवाही आवश्यक समझी जायेगी उसे वह करेगी।

Flights of Air India to Australia

3892. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state the number of new Jumbo flights made by Air-India to Australia and the number of passengers transported since the introduction of the service upto March, 1976 together with the statement of profit or loss in this regard ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation, (Shri R. J. Bahadur) : With effect from 29th March, 1976, Air-India have introduced a twice weekly Jumbo (Boeing 747) service to Australia.

The number of passengers carried by Air-India to Australia since the introduction of their services to Australia, i.e. from 5th October, 1956, are given below :

Year (1.4 to 31.3)	Number of passengers carried
1956/57	3397
1957/58	7964
1958/59	8647
1959/60	6834

Year (1.4 to 31.3)	Number of passengers carried
1960/61	7256
1961/62	8490
1962/63	8603
1963/64	14617
1964/65	15739
1965/66	18606
1966/67	26605
1967/68	36210
1968/69	42520
1969/70	45952
1970/71	36858
1971/72	24288
1972/73	19591
1973/74	21030
1974/75	20936
1975/76	33112 (Provisional)

The Corporation's Profit or Loss is determined for the system as a whole and not in respect of traffic from or to a particular country. However, in order to determine the performance of the various routes/regions, the revenues earned on the various routes and by the regions are ascertained. The route-wise revenue for passenger, cargo, mail and excess baggage on the India/Australia route from 1970/71 onwards is given below:

Earnings before Pool
(Rs. in crores)

Year	Frequency	India/Australia Route
1970/71	Two/One	5.22
1971/72	One	3.65
1972/73	One	3.16
1973/74	One	3.73
1974/75	Two	4.68
1975/76 (Provisional)	Two	7.88

For the year 1970/71, for more than six months of the year, only 1 frequency was operated. In 1974/75, the second frequency was restored but the operations to Australia remained suspended during the period of Pilot's strike lasting over 3 months.

According to the system developed in 1972/73 for the purpose of internal assessment, the route-wise profitability, after apportioning all operating costs (fixed as well as cash), for the India/Australia route is given below from 1972/73 onwards:

(Rs. in crores)

Year	India/Australia Operating Revenue after Pool	Operating Cost	Operating Profit/ (loss)
1972/73	3.10	3.31	(0.21)
1973/74	3.72	3.91	(0.19)
1974/75	**	**	**
1975/76 (Provisional)	7.78	8.32	(0.54)

**The route-wise profitability was not ascertained in view of the substantial non-operation of the route due to the Pilot's strike.

जूट के सामान पर अनुसंधान तथा विकास उप-कर बढ़ाने का प्रस्ताव

3893. **श्री रानेन सेन :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जूट के सामान पर अनुसंधान तथा विकास उप-कर को जो पहली अप्रैल को लागू हुआ था बढ़ाने सम्बन्धी प्रस्ताव उनके मंत्रालय के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या ऐसे प्रस्ताव से उत्पादक-लागत में वृद्धि होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गए नियमों के अनुसार 1 मार्च 1976 से अनुसंधान तथा विकास के लिए पटसन से बने माल पर उपकर लगाया जा रहा है जो 18 फरवरी 1976 को अधिसूचित किया गया था। 1-3-1976 से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध निम्नलिखित विशिष्ट दरें भी अधिसूचित की गई थीं :—

क्रमांक	मद	प्रति मे० टन उपकर
1	कालीन अस्तर	6.30 रु०
2	हेसियन तथा पटसन वस्त्र, टाट, कालीन अस्तर तथा रुई के बौरे छोड़कर	4.50 रु०
3	टाट, टवाइन और यार्न	3.75 रु०
4	रुई के बौरे	2.00 रु०

इस उपकर से उत्पादन लागत में कोई उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना नहीं है।

कच्चे माल का निर्यात करने वाले बहुराष्ट्रीय ग्रुपों का बनाया जाना

3894. **श्री बालकृष्ण वेन्कन्ना नायक** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम निर्यातक देशो के संगठन की तरह ऐसी वस्तुओं के निर्यात के लिये जिनमें भारत को अधिक लाभ हो सकता है, कच्चे माल का निर्यात करने वाले बहुराष्ट्रीय ग्रुप बनाने की संभावनाओं का पता लगाया गया है ;

(ख) क्या उन वस्तुओ का पता लगाया गया है जिनके लिये इस प्रकार का संगठन बनाये जा सकता है ;

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या पहल की है ; और

(घ) अब तक उसके क्या परिणाम निकले है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

पश्चिम बंगाल में पटसन मिलों में आग लगने की घटनायें

3895. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः महीनों में पश्चिम बंगाल में विभिन्न पटसन मिलो में आग लगने की अनेक घटनाएं घटी थीं ;

(ख) क्या सरकार ने आग लगने की इन घटनाओ के कारणो की जांच की है जिनके परिणामस्वरूप उद्योग को गम्भीर हानि हुई ; और

(ग) यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले छः महीनों में पटसन मिलो में आग की कुछ घटनाएं हुई थीं ।

(ख) तथा (ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने 6 जनवरी, 1976 को नेशनल कं० लि० नं० 2 मिल में हुई दुर्घटना की जांच करने के लिए, कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 90 के अन्तर्गत एक सक्षम व्यक्ति को नियुक्ति की है । "सक्षम व्यक्ति" के निष्कर्ष अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं ।

उन के बुने हुए वस्त्रों तथा ऊनी वस्त्रों के लिए क्रयादेश

3896. **श्री भाऊसाहेब धामनकर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान ऊन के बुने हुए वस्त्रों तथा ऊनी वस्त्रों का कितने कितने मूल्य का निर्यात किया गया ; और

(ख) इस समय ऊन के बुने हुए वस्त्रो के लिए कितनी राशि के क्रयादेश हाथ मे है और क्या हाल ही में कोई क्रयादेश मिले है और यदि हां, तो कितनी राशि के ;

वाणिज्य मन्त्रालयमें उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों में ऊनी निटवियर तथा ऊनी परिधानों के निर्यातों का मूल्य निम्नांकित रहा :—

उत्पाद	निर्यात (लाख रु० में)		
	1972–73	1973–74	1974–75
(1) ऊनी निटवियर	1,638	1,801	2,000
(2) ऊनी परिधान	130	90	223

1975-76 में उनके निर्यात का अनन्तिम अनुमान क्रमशः 2,200 लाख रु० तथा 451 लाख रु० है ।

(ख) रुपया मुद्रा क्षेत्र तथा सामान्य मुद्रा क्षेत्र दोनों से सम्बन्धित लगभग 2,300 लाख रु० के आर्डर हाथ में है । इनमें से सोवियत संघ को पूर्ति के लिए हाल ही में बुक किए गए आर्डरों का मूल्य लगभग 2,200 लाख रु० है ।

पश्चिम एशिया को व्यापार प्रतिनिधिमंडल

3897. श्री हाजी तुलफुलहक : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम एशिया के अध्ययन दौरे के लिये दिल्ली वाणिज्य मंडल द्वारा प्रायोजित पश्चिम एशिया के लिये व्यापार प्रतिनिधिमंडल को वित्त मंत्रालय की बाजार विकास निधि से कोई अनुदान दिया गया था ; और

(ख) क्या उक्त प्रतिनिधिमंडल की उपलब्धियों के बारे में सरकार को वाणिज्य मंत्रालय से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बेगोन टेक्नीकल (कीटनाशी औषधि) का आयात

3898. श्री विश्वनारायण शास्त्री : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में बेगोन टेक्नीकल (कीटनाशी औषध) का आयात करने वाली कम्पनियों के नाम क्या क्या है ; और

(ख) न कम्पनियों द्वारा इस सामग्री का आयात, लागत, बीमा, भाड़ा सहित किन दरों पर किया जा रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जहां तक संगठित क्षेत्र का संबंध है, मैसर्स बेयर (इंडिया) लि०, बम्बई, बेगोन टेक्नीकल का आयात कर रहे है ।

(ख) डी० एम०-42 प्रति कि० ग्रा० ।

20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की क्रियान्विति में बैंकों का योगदान

3899. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की क्रियान्विति में बैंकों के प्रभावकारी योगदान के लिये कोई व्यापक योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अंतर्गत समाज के कमजोर वर्गों की सहायता करने के सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रयत्नों को प्रभावकारी दिशा देने और राज्य तथा केन्द्र सरकारों द्वारा किये जाने वाले वित्तीय और प्रशासनिक उपायों के साथ समन्वय करने पर सरकार पूरा ध्यान दे रही है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों को उच्चतम स्तर पर सलाह दी गई है कि वे कार्यक्रम से लाभान्वित होने वाले सभी वर्गों को, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों को सहायता देने की योजनाएं बनाएं जिनमें भूमिहीन मजदूर, मुक्त बंधुआ मजदूर; अतिरिक्त भूमि को पाने वाले और अन्य छोटे और सीमांतिक किसान, हथकरघा बुनकर और ग्रामीण शिल्पी आते हैं। बैंकों ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों के विभिन्न वर्गों के कई उत्पादन प्रयासो के लिए उदार और रियायती शर्तों पर सहायता देने की योजनाएं बनाई हैं।

सोवियत संघ द्वारा औषधियों का आयात

3900. श्री राम भगत पासवान : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ ने हमारे देश से औषधियों का आयात करने की पेशकश की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सोवियत संघ भारत से औषधियों तथा भेषजों के सबसे बड़े आयातकों में से एक है। 1975 के दौरान भारत के निर्यात लगभग 5.5 करोड़ रुपये के रहे। सोवियत संघ के साथ 1976 के व्यापार संलेख में 1976 के दौरान भारत से सोवियत संघ को दवाइयों व भेषजों तथा उनके कच्चे माल के अपेक्षाकृत अधिक निर्यातों की व्यवस्था है। 1976–80 की अवधि के लिए 15 अप्रैल 1976 को हस्तान्तरित भारत-सोवियत व्यापार योजना में भारत से इन वस्तुओं के निर्यातों में वृद्धि की भी व्यवस्था है।

बंगलादेश से मछलियों के आयात के लिए समझौता

3901. श्री आर० एन० बर्मन : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश से मछलियों का आयात करने के लिए कोई समझौता हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की शर्तें क्या हैं ; और

(ग) क्या मछलियों के आयात से बाजार में उनके इस समय ऊंचे मूल्य को कम करने में सहायता मिलेगी ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) जी हां। जनवरी, 1976 में नई दिल्ली में हुई भारत-बंगला देश व्यापार वार्ताओं के दौरान यह सहमति हुई कि :—

(1) भारत 1976 के दौरान 3.5 करोड़ रु० की मछली का आयात करेगा।

(2) दोनों देशो की संविदाकारी एजेंसियां कीमत तथा खरीदी जाने वाली मात्रा बातचीत द्वारा तय करेंगी।

(ग) आयात से स्थानीय बाजार में मछली की कीमतें स्थिर होने की संभावना है।

काली मिर्च प्राधिकरण की स्थापना किया जाना

3902. श्री बरकें जार्ज : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काली मिर्च के बारे में हुई अन्तर्राष्ट्रीय विचार-गोष्ठी ने काली मिर्च उत्पादक देशों में काली मिर्च प्राधिकरण जैसी राष्ट्रीय स्तर की एजेन्सियो की स्थापना करने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां। सिफारिश में मसाला परिषद तथा एपेक्स फेडरेशन जैसे अभिकरण भी शामिल थे।

(ख) मसाला निर्यात संवर्धन परिषद, कोचीन द्वारा प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी मार्च 1976 में हुई थी। इस अवस्था में यह बताना कठिन है कि इस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया होगी।

सब्जियों का निर्यात

3903. श्री एस० सी० सामन्त : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन सी सब्जियों का किन-किन देशो को निर्यात किया जा रहा है ;

(ख) क्या यह सावधानी बरती जाती है कि इस निर्यात से आन्तरिक उपभोक्ता प्रभावित न हों ; और

(ग) गत तीन वित्तीय व र्षों में कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) सब्जी उत्पादों की निम्नलिखित मदों का निर्यात मुख्य रूप से प्रत्येक के आगे दिखाये गये देशों को किया जा रहा है :—

मद	देश का नाम
अचार तथा चटनी	ब्रिटेन, सं० रा० अमरिका, दुबाई, इराक, मस्कत तथा सऊदी अरब।
डिब्बा बंद सब्जियां (करेला, टिंडा, भिंडी)	ब्रिटेन, दुबाई तथा संयुक्त अरब-अमीरात।
निर्जलीकृत प्याज	संयुक्त राज्य अमरीका, सोवियत संघ, पश्चिम जर्मनी तथा आस्ट्रेलिया।
निर्जलीकृत लहसुन	संयुक्त राज्य अमरिका, कनाडा तथा हंगरी।

(ख) सब्जी उत्पादों के निर्यातों की मात्रा कुल उत्पादन को देखते हुए नगण्य है, अतः इस कार के निर्यातों से स्वदेशी उपभोक्ता पर प्रभाव नहीं पड़ता ।

(ग) सब्जी उत्पादों के निर्यातों से कमायी गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा इस प्रकार है :—

1973–74	171.44 लाख रुपये
1974–75	327.99 लाख रुपये
1975–76	269.63 लाख रुपये

(अंतिम नहीं)

Jute Industry

3904. Shri Bhagirath Bhanwar: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any plan for bringing about improvement in and expansion of jute factories with a view to increasing jute trade;

(b) the places where jute industry is functioning satisfactorily at present; and

(c) whether new jute factories are proposed to be set up in private and public sectors and if so, the locations thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce, (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) to (c) . There is a proposal to partially bridge the gap between the existing installed capacity and the likely demand at the end of Fifth Plan period by modernisation, provision of balancing equipment and marginal expansion of spinning capacity of the existing jute mills. Dispersal of the Industry in the entire jute growing area will cause some locational advantages of cheaper raw materials. Government have already approved establishment of eight new units. While one unit each in Assam, Bihar, Orissa and Tripura are being set up in the Public Sector, one unit each in Andhra Pradesh and Meghalaya is likely to be in Joint Sector and one unit in Assam will be in Cooperative Sector.

Crisis in Tea Plantation

3905. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether some tea plantations in the country are facing crisis at present;

(b) whether main reason therefor is that plants in these tea plantations are old and good quality tea is not produced there and if so, the number of those plantations which are more than 20 years old and do not produce good quality tea in adequate quantity; and

(c) whether it is proposed to supply good quality plants to such tea plantations through research centres and if so, the number of research centres functioning at present and the time by which replantation will be done ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) . (a) and (b) : There are over 13,000 tea estates covering an area of 3,60,000 hectares. As on 31-3-71, an area of 2,45,000 hectares was covered by bushes over 20 years in age. Of this, nearly half of the area contains bushes over 50 years in age. Economic life of a tea bush is estimated to be in the region of 50 years. Quality of tea does not solely depend on the age of a bush.

(c) There are two main research centres—one in North East India at Tocklai Jorhat, Assam and the other in South India at Cinchona in Tamil Nadu. There is also a small tea research centre at Palampur in Himachal Pradesh. The scientists in tea research centres are engaged among other things, in evolving improved varieties of planting materials. Tea estates use these better varieties of planting materials as mother bushes and multiply them in their own tea estates. Tea Board also has two clonal multiplication centres in South India for supplying improved planting material to small tea growers. Financial assistance for undertaking replantation is also provided by the Tea Board under its Tea Plantation Finance Scheme and Replantation Subsidy Scheme. Though replantation is a continuous process, an annual rate of 2% of tea area is considered optimum.

Loan Advanced by Nationalised Banks to Unemployed Engineers in Madhya Pradesh

†**3906. Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the amount of loans advanced to the unemployed engineers by various branches of the nationalised banks in Madhya Pradesh from 1974 upto March, 1976; and

(b) the number of engineers whose applications for loans are still pending?

Minister of State in Charge of Deptt. of Rev. and Banking (Shri Pranab Kumar Mukherjee): (a) & (b) Banks do not maintain separate statistics relating to advances to 'unemployed engineers'. Usually, unemployed engineers seek bank assistance for self-employment ventures in such sectors as small-scale industry, small business and professional and self-employment ventures. Data regarding public sector banks' advances to these sectors in Madhya Pradesh as at the end of June, 1974 and June, 1975 are set out in the *Annexure*.

The present system of data reporting does not provide for compilation of data relating to the number of pending applications with commercial banks. Public sector banks have, however, been advised to endeavour to secure disposal of small loan applications involving credit limits of less than Rs. 10,000/-, within a period of sixty days of their receipt.

STATEMENT

Public Sector Banks, advances to Small-Scale Industries, Small Business and professional and Self-employed Persons in the State of Madhya Pradesh.

(Amount in lakhs of Rupees)

Sector	June, 1974		June, 1975	
	No. of A/cs.	Amount Outstanding	No. of A/cs.	Amount Outstanding
1	2	3	4	5
Small-Scale Industries.*	7672	2436.38	8613	2754.66
Professional and Staff-employed persons.	6609	115.03	7450	129.98
Small Business.	4976	67.43	7140	84.22

*No. of units.

Data are provisional.

एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस तथा नागर-विमानन विभाग द्वारा विमानों की खरीद

3907. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनसे गत तीन व र्षों में एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस तथा नागर विमानन विभाग ने विभिन्न प्रकार के विमान तथा विमानों के फालतू पुर्जे खरीदे हैं ;

(ख) ऐसी खरीदों का मूल्य कितना है ;

(ग) क्या भारत में इन कम्पनियों के एजेण्ट/प्रतिनिधि हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना दिखाने वाला विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-10853/76.]**

विदेशी स्वामित्व वाले चाय बागानों का राष्ट्रीयकरण

3908. श्री सी० जनार्दनन : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि सरकार का देश में विदेशी स्वामित्व वाले चाय बागान का राष्ट्रीयकरण करने का कोई विचार नहीं है ;

(ख) क्या केरल सरकार का इस आशय का एक विधेयक केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के लिए विचाराधीन पड़ा है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जब तक विदेशी कंपनियां, चाहे वे चाय के उत्पादन में लगी हों अथवा चाय के विपणन तथा निर्यात में लगी हो, इस ढंग से कार्य करती हैं, जो हमारे राष्ट्रीय हितों तथा नीतियों के अ ुरूप है, तब तक सरकार का उनको इस देश से बाहर निकालने का कोई रादा नहीं है।

(ख) तथा (ग) मामले पर राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके अभी भी विचार किया जा रहा है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा उत्पादकों से खरीदी गई रबड़

3909. श्री सी० जनार्दनन : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने उत्पादकों से उन के पास मौजूद भारी स्टाक की तुलना में अब तक कम मात्रा में रबड़ की खरीद की है ;

(ख) यदि हां, ो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) इससे रबड़ के मूल्य स्थिर करने में कहां तक सहायता मिली है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) से (ग) राज्य व्यापार निगम ने निर्यात के लिए उपजकर्ताओं से 2,000 मे० टन प्राकृतिक रबड़ खरीदा है, जिससे देशी प्राकृतिक रबड़ की मात्रा कम करने तथा उससे इसकी कीमतों में गिरावट की दर पर नियंत्रण रखने में सहायता मिली है।

अमरीका को निर्यात विषय पर गोष्ठी

3910. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राथमिकताओं के सामान्यीकृत पद्धति के अन्तर्गत अमरीका को निर्यात विषयक गोष्ठी में तरजीह शुल्क का पूर्ण लाभ उठाने के लिए दीर्घावधि आधार पर नीति निर्धारण की आवश्यकता पर बल दिया था और तुगलकाबाद (दिल्ली) में स्थल पत्तन की शीघ्र स्थापना करने का सुझाव दिया था, जिससे उत्तरी क्षेत्र के निर्यातकों को लाभ होगा ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, जापान और आस्ट्रेलिया की सामान्य अधिमान प्रणाली-योजनाओं पर हाल ही में सेमिनार हुए। इन सेमिनारों में दीर्घावधि आधार पर निर्यात अवसरों का अधिकाधिक उपयोग करने की नीति तैयार करने की जरूरत पर बल दिया गया। सेमिनारों में उद्योग द्वारा कतिपय सुझाव रखे गए जिनमें निर्यात के लिए उत्पादन बढ़ाने के लिए अपेक्षित कच्चे माल तथा मशीनों के आयात की व्यवस्था करना और दिल्ली के निकट स्थल पत्तन की स्थापना के सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय लेना शामिल था। सरकार द्वारा 1976-77 की आयात-व्यापार नियंत्रण नीति में निर्यात उत्पादन के लिए अपेक्षित कच्चे माल के उदार आयात के लिए व्यवस्था कर दी गई है। जहां तक दिल्ली के निकट स्थल पत्तन की स्थापना के प्रश्न का सम्बन्ध है इस मामले पर विचार हो रहा है।

पटसन उत्पादकों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही

3911. **समर गुह :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने कलकत्ता में अपने हाल के एक वक्तव्य में कहा था कि पटसन मिलों के मालिक जानबूझ कर पटसन उत्पादकों को पटसन के उचित मूल्य से वंचित रख रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है; और

(ग) पटसन उत्पादकों को पटसन का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) तथा (ख) कलकत्ता में 18 अप्रैल 1976 को हुई पटसन वस्तुओं की विकास परिषद की उद्घाटन बैठक में वाणिज्य मंत्री ने इस बात पर खेद प्रकट किया था कि पटसन मिलों ने कभी भी महसूस नहीं किया कि पटसन उपजकर्ताओं को पर्याप्त कीमत सुनिश्चित करना उनके अपने हित में होगा।

(ग) सरकार द्वारा उठाये गये कदमों में ये शामिल हैं। कच्चे पटसन के लिए न्यूनतम कानूनी कीमत में उत्तरोत्तर वृद्धि उपजकर्ताओं के हितों की सुरक्षा करने के लिए भारतीय पटसन निगम के कार्यकलापों की स्थापना एवं विस्तार, विनियमित बाजारों की स्थापना उपजकर्ताओं को ऋण सुविधाओं का विस्तार, तथा मिलों द्वारा खरीद के न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करना तथा घरेलू कीमतों को स्थिर करने के लिए निर्यात प्राधिकृत करना।

बढ़े हुए काम को निपटाने के लिये बैंक कर्मचारियों को प्रोत्साहन

3912. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वेच्छा प्रकटन योजनाओं के अन्तर्गत खाते खोले जाने से काम बढ जाने की स्थिति से निटपने के लिए बैंकों ने अपने कर्मचारियों को कोई प्रोत्साहन देने की घोषणा की है ; और

(ख) यदि हां तो बैंकों द्वारा दिये गये इन प्रोत्साहनों की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख): "स्वेच्छया प्रकटन योजना" के अन्तर्गत कर-अदायगिया और जमाएं स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत राष्ट्रीयकृत बैंकों ने सूचित किया है कि इस कारण बढ़े हुए काम को पूरा करने के लिए उन्हों ने अपने कर्मचारियों को अपरिहार्य होने पर यथावश्यक समयोपरि भत्ते के अलावा और कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं दिया है ।

Opening of Banks in Rural Areas of Hoshangabad and Indore Divisions of Madhya Pradesh

3913. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Finance** be pleased to State the number of banks opened in rural areas of Hoshangabad and Indore Divisions in Madhya Pradesh during 1975 and the number of banks proposed to be opened there during 1976 ?

The Minister of State in Charge of Deptt. of Rev. & Banking (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : Reserve Bank of India has reported that during the calendar year 1975 commercial banks opened 2 rural branches in Hoshangabad Division and 7 rural branches in Indore Division of Madhya Pradesh. Upto the end of March 1976, 1 more rural branch was opened in Hoshangabad Division. It has also been reported that at the end of March 1976, the number of licences/allotments pending with the banks for opening rural branches was 6 in the case of Hoshangabad Division and 13 in the case of Indore Division.

Opening of Regional Rural Banks in Madhya Pradesh During 1976

3914. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Finance** be pleased to state the number of regional rural banks proposed to be opened in Madhya Pradesh in 1976?

The Minister of State in charge of Deptt. of Rev. & Banking (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : In Madhya Pradesh, one Regional Rural Bank was set up on January 20, 1976 with its area of operation covering the districts of Hoshangabad and Raisen. At present data are being collected in requisite proforma evolved by a sub-committee set up by the Steering Committee on Regional Rural Banks to ascertain the best locations in the country which would satisfy the criteria, viz., the areas with adequate potential for agricultural development but with

inadequate coverage by the commercial banks and the co-operatives, for the setting up of a chain of Regional Rural Banks by the end of March, 1977. As such, it is difficult to forecast at this stage how many Regional Rural Banks will be opened in Madhya Pradesh in 1976.

Loans by Nationalised Banks to Industrial and Agricultural Sectors in Madhya Pradesh

3915. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether nationalised banks have given any loan to the industrial and agricultural sectors in Madhya Pradesh during the past six months; and

(b) if so, the percentage of the loan given to the agricultural sector of the State ?

The Minister of State in charge of Deptt. of Revenue & Banking (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) & (b) The public sector banks (including nationalised banks) have been advancing loans to various sectors of the economy including agriculture and industry Data relating to advances for the period asked for and the percentage of loan given to agricultural sector is, however, not available.

Particulars of advance to agriculture and small scale industries by the public sector banks in Madhya Pradesh outstanding as at the end of June 75, (latest available) are as under :

(Amount in lakhs of Rs.)

	No. of Accounts	Amount Outstanding
Agriculture	1,24,879	3306.2
Small Scale industries	8,613	2754.7
	(Figures provisional)	

Value of Government and RBI Notes in Circulation

3916. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether by the amendments to the Reserve Bank Act in 1956 and 1957, the provision for 40 percent gold deposit and 60 percent securities for printing and circulation of bank notes was substituted by provision of gold deposit of 115 crores of rupees and securities worth 400 crores of rupees on the basis of the then prevailing prices and available assets, treating these amounts as minimum reserve; and

(b) if so, the number and value of Government of India and the Reserve Bank notes in circulation at present.

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) The amendments to the Reserve Bank of India Act in 1956 and 1957 abandoning the proportional currency reserve system and substituting it by a reserve of fixed amount of gold and foreign exchange were based on the requirements of the country's economic development, necessitating expansion of currency. The minimum currency reserve is now fixed at Rs. 200 crores, of which at least Rs. 115 crores shall be in gold coin and gold bullion.

(b) The number and value of Government of India and Bank notes in circulation at the end of December, 1975 were as under :—

	Prices	Value in Rs.
Govt. of India Re. 1/- notes	2,93,35,13,000	12,93,35,13,000
Bank Notes	3,92,60,69,000	63,06,32,30,000

Loan Given to Industrial Units by IFC

3917. Dr. Laxinarayan Pandeya : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of industrial units given loans by the Industrial Finance Corporation so far and the amount of loan given to them ;

(b) the number of industrial units, out of them set up in backward areas: and

(c) their number in Madhya Pradesh and Rajasthan and the amount of loan given to them ?

The Minister of State in charge of Deptt. of Rev. & Banking (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) to (c) The required information is as under :—

(Amount in Rs. in crores)

Loans sanctioned	Loan sanctioned by the Industrial Finance Corporation since inception in July 1948 to 31-3-76	
	No. of projects	Amount
(a) To all borrowers	703	445.78
(b) Out of (a) above, to industrial projects located in notified backward districts/areas.	224	149.95
(c) Out of (a) above, to industrial projects located in the State of		
(i) Madhya Pradesh	15	9.56
	(6)	(5.61)
(ii) Rajasthan	17	11.86
	(8)	(6.08)

Note.—The figures in brackets denote the number of projects located in the notified backward districts/areas and the loan assistance sanctioned them.

Tea Production in South India

3918. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether tea production in South India has been adversely affected this year due to drought;

(b) if so the estimated fall in tea production in this region this year; and

(c) the production figures for 1974-75 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh): (a) Yes, Sir.

(b) Production in South India during January to March 1976 was 16.45 m.kgs. compared to 22.26 m.kgs. during the corresponding period last year thus showing decline by 5.81 m.kgs. It is difficult to project a correct estimate for the whole year based on the production of tea in the first three months of the year only.

(c) Total production in South India was 99.67 m.kgs. in 1974 and 106.64 m.kgs. in 1975.

Air Accidents

3919. Shri Bhagirath Bhanwar: Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the success achieved so far in identifying the causes of aircrashes taking place due to bad weather as also the measures taken to check them; and

(b) whether technical requirements in this connection have been met or co-operation of some countries sought, indicating the names of those countries ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur): (a) Investigation into the circumstances and causes of accidents which have occurred during the period : January, 1970 to April, 1976 established that in only four accidents weather was a contributory cause. In order to minimise problems due to weather, the following measures have been taken:

(i) All aircraft engaged in scheduled flights are fitted with radars to detect the in-flight weather conditions and thus avoid as far as possible thunder storms.

(ii) Equipment for making Runway Visual Range observations is provided at the four international airports.

(iii) whether minimas have been laid down and also operational control is exercised by the Airline operators over their services in accordance with instructions issued by the Director General of Civil Aviation.

(iv) 'Visual approach slope indicator' are being installed progressively at all major airprots, as a landing aid to aircraft.

(b) Except for purchase from abroad (Denmark) of technical equipment like Ceilograph, Skopograph, etc. (instruments for measuring cloud height and Runway Visual Range) which are not indigenously manufactured, there has been no need to seek the co-operation of other countries

Export of Fruits

3920. Shri Bhagirath Bhanwar: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether there is a proposal to increase the export of Papaya and other fruits;

(b) if so, the names of the countries to which these will be exported; and

(c) the foreign exchange earnings expected from the export of Papaya and other fruits during 1976-77?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh): (a) The main fresh fruits exported presently are Mangoes, Bananas and Pineapples. Some small quantities of Papayas have been exported. Constant efforts are being made to increase export of fresh fruits including Papaya.

(b) Main destination and likely to be Gulf countries, U.K. and East European countries.

(c) The export target for bananas and mangoes for 1976-77 are Rs. 120 lakhs and Rs. 200 lakhs respectively. No separate targets for Papaya and other fruits have been fixed.

Development of Tourist Centres

3921. Shri Bhagirath Bhanwar: Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether a State-wise list of the proposed new tourist centres has been prepared and if so, the broad outlines thereof; and

(b) the names of tourist centres proposed to be developed on priority basis in the coming years?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh): (a) and (b) The development of tourist centres in the Central Sector is not taken up on State-wise basis. Places are selected for development on the basis of their existing or potential attractions for tourists, easy accessibility, availability of basic infrastructure such as water and electrc supply. etc. The pattern of development of tourist centres in the Central Sector in the coming years will be based primarily on the pattern adopted during the Fourth Five Year Plan. The emphasis in the Fifth Five Year Plan will be on the development of (i) tourist infrastructure (accommodation and transport facilities), disbursement of loans to private entrepreneur as supplementary finance; (ii) beach and mountain resorts such as Kovalam, Goa and Gulmarg and (iii) the development of selected centres of archaeological and historical importance.

न्यायालयों में तस्करों के अनिर्णीत मामले

3922. सरदार स्वर्णसिंह सोखी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के न्यायालयों में तस्करी के 10 वर्ष से अनिर्णीत पड़े मामलों की संख्या कितनी है ;

(ख) न्यायालयों ारा मामले के निपटाने में विलम्ब किए जाने के क्या कारण है ; और

(ग) उनके शीघ्र निपटाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और क्या भविष्य में तस्करी के मामले निपटाने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करने का विचार है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्यमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

(ख) और (ग) विलम्ब के मुख्य कारण यह है : न्यायालयों द्वारा किये जाने वाले काम की बहुत अधिक मात्रा अभियुक्त और गवाहों का पेश नहीं होना, बार-बार स्थगन आदेश होना, अन्तरिम आदेशों के विरुद्ध उच्च न्यायालयों में पुनरिक्षण याचिकाओं का दायर किया जाना तथा कार्यविधि सम्बन्धी अन्य कारण । सरकार, विशेष न्यायालय स्थापित करने और आर्थिक अपराधों के मुकदमों के सम्बन्ध में एक संशोधित कार्यविधि लागू करने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है । कार्यवाही के स्वरूप को देखते हुए ऐसे मामलों के निपटाने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करना संभव प्रतीत नहीं होता ।

Loans Advanced by Nationalised Banks to Small and Cottage Industries in Madhya Pradesh

3923. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the amount of loans advanced by nationalised banks to small industries and cottage industries in Madhya Pradesh from 1973 to 1975 indicating the district-wise figures of the loans given ; and

(b) the number of applications received for these loans and the number of the applications pending consideration after the disbursement of these loans ?

The Minister of State in charge of Deptt. of Rev. & Banking (Shri Pranab Kumar Mukherjee): (a) The district-wise information regarding advances to small scale industries in Madhya Pradesh as at the end of December, 1973 and December, 1974 available in respect of scheduled commercial banks as a whole, is set out in the annexure [**Placed in Library. See No. L.T. 10854/76**].

(b) The present system of reporting does not provide for compilation of data regarding number of applications received and those pending consideration with the commercial banks. Public sector banks have, however, been advised to endeavour to secure disposal of small loan applications involving credit limits of less than Rs. 10,000 within a period of sixty days of their receipt.

यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया के यूनिटों की बिक्री स्थगित करना

3924. **श्री एम० आर० दामाणी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया के यूनिटों की बिक्री स्थगित कर दी गई है ;

(ख) यदि हां तो इसके कारण क्या है ; और

(ग) बिक्री पुन: कब आरम्भ की जाऐगी ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) केपिटल यूनिट स्कीम पहली जनवरी 1976 से शुरू की गई है थी । चूंकि इसका उदेश्य यह है कि इस स्किम के अन्तर्गत जो यूनिट खरीदें जाये उनकी कीमतें बढ़ती रहें इसलिए इस स्कीम से जितनी रकम उपलब्ध होती है उसे कुछ खास-खास उद्योगों

आदि में हो लगाना होता है । ऐसा करने में समय लगता है और पूंजी का सम्प्रेकन करने की जरूरत है इसलिए यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया ने अस्थायी तौर पर इस स्कीम को स्थगित कर दिया है । इस स्कीम को फिर से शुरू करने पर यथासमय विचार किया जाए जो और बातों को साथ-साथ काफी मात्रा में उन शेयरों के मिलने और बाजार की बेहतर स्थिति पर निर्भर करेगा जिनकी कीमतें बराबर बढ़ती रहती है । इस स्कीम के अन्तर्गत यूनिट धारी जुलाई, 1976 से अपने यूनिटों को तत्कालीन पुन: क्रय मूल्यों पर यूनिट ट्रस्ट, आफ इण्डिया के हाथ पुन: बेच सकेंगे ।

यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया के कैपिटल यूनिटों की बिक्री

3925. श्री एस० आर० दामाणी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया के यूनिटों की कूल कितनी बिक्री हुई ;

(ख) कुल कितने व्यक्तियों ने ये यूनिट खरीदें और उन्हों ने कितनी पूंजी लगाई और कुल बिक्री का यह कितने प्रतिशत है ; और

(ग) यूनिटों की राशि के प्रयोग सम्बन्धि ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) केपिटल यूनिट स्कीम पहली जनवरी, 1976 को शुरू की गई थी और 21 अप्रैल, 1976 को अस्थायी रूप से इसका कारभार बन्द कर दिया गया था । इस स्कीम के अधीन 16,699 आवेदनों के अन्तर्गत 7.30 करोड रुपये के यूल्य के केपिटल यूनिट बेचे गए । केपिटल यूनिटों के अंकित मूल्य का लगभग 95 प्रतिशत भाग व्यक्तियों ने खरीदा ।

यूनिट स्कीम—1964 के अधीन, 1975–76 के दौरान, पहली जुलाई 1975 से 27 अप्रैल, 1976 तक कुल 16.92 करोड़ रुपये के यूनिट बेचे गए और इस प्रकार, 21 अप्रैल 1976 तक केपिटल यूनिट स्कीम के अधीन यूनिटों की जो बिक्री हुई वह यूनिट स्कीम—1964 के अधीन 27 अप्रैल, 1976 तक 1975–76 के दौरान हुई यूनिटों की बिक्री का 43.14 प्रतिशत थी ।

(ग) केपिटल स्कीम 1976 से शेयरों आदि में निवेश के लिए अब तक कुल 6.83 करोड़ रुपये की रकम प्राप्त हुई है जिसमें से 2.33 करोड़ रुपये की राशि शेयरों में लगा दी गई और शेष 4.50 करोड़ रुपये की रकम मांग मुद्रा और थोड़े नोटिस पर दिए जाने वाले निवेशों के लिए उपलब्ध है

Purchase of Cotton by National Textile Corporation

3926. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether National Textile Corporation has purchased a large quantity of cotton from Madrya Pradesh on credit and if so, the quantity of cotton purchased from the firms from 1973 to 1975 year-wise indicating the names of the firms from which the cotton was purchased;

(b) after what time the payment in respect of the cotton purchaesd on credit was made and the amount thereof outstanding at present ; and

(c) whether it is a fact that payment of the arrears to the cotton sellers is made by the Officers only after taking commission from them in a clandestine manner ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कारपोरेशन द्वारा भारत को विमान की बिक्री

3927. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कारपोरेशन द्वारा भारत को विमान की बिक्री के सौदे के बारे में जांच करने के लिए एक जांच समिति नियुक्त करने का निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम से सहायता पाने वाले रुग्ण/बन्द हुए एकक

3928. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे रुग्ण अथवा बन्द हो चुके औद्योगिक एककों के नाम क्या हैं जो भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम से सहायता पाने के पश्चात् आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ हुए हैं ; और

(ख) उक्त एककों के प्रबन्ध पर कितना धन व्यय हुआ और रुपयों में उनके उत्पादन का मूल्य क्या था ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लि० ने निम्नलिखित जिन 14 औद्योगिक एककों को सहायता दी थी, उन्होंने, जुलाई, 1974——जून, 1975 वर्ष के दौरान नकदलाभ होने की सूचना दी है ।

1. तड़ित् एप्लायेंसिज एण्ड इक्विपमेंट प्राइवेट लि०
2. इण्डो-जापानीज इण्डस्ट्रीज लि०
3. आर० के० केमिकल्स इण्डस्ट्रीज लि०
4. बंगोदय काटन मिल्स लि०
5. प्रीति पेपर बोर्ड मिल्स प्राइवेट लि०
6. इण्डिया मशीनरी प्राइवेट लि०
7. कन्टेनर्स एण्ड क्लोजर्स लि०
8. गणेश फ्लोअर मिल्स क० लि०
9. जी० टी० आर० कम्पनी प्राइवेट लि०

10. अमृतसर शुगर मिल्स कम्पनी लि० (वनस्पति यूनिट)

11. यंग इण्डिया काटन मिल्स प्राइवेट लि०

12. बंगाल केमिकल एण्ड फार्मेस्यूटिकल वर्क्स लि०

13. सिटी स्टोअर्स सप्लाई प्राईवेट लि०

14. कूपर इंजीनियरिंग लि०

उपर्युक्त क्रम संख्या 5 पर उल्लिखित मैसर्स प्रीति पेपर बोर्ड मिल्स प्राइवेट लिमिटेड का पुनर्निर्माण कर दिया गया है और इसने निगम की ओर बकाया राशि अदा कर दी है।

(ख) इन 14 एककों द्वारा अधिकारियों, कामगारों और अन्य कर्मचारियों के वेतन और मजदूरी जुलाई, पर 1974 जून 1975 वर्ष के दौरान वहन किया जाने वाला कुल प्रभार 594.84 लाख रुपये सूचित किया गया है। उसी अवधि में इन एककों के उत्पादन का कुल विक्रय मूल्य 5099.32 लाख रुपये आंका गया है।

पटना में रक्षा लेखा नियंत्रक के कार्यालय के लिए भवन निर्माण

3929. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना में रक्षा लेखा नियंत्रक के मुख्य कार्यालय के लिए कार्यालय भवन के, निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव के शीघ्र ही स्वीकार किए जाने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो भवन के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) पटना में रक्षा लेखा नियंत्रक के कार्यालय के भवन निर्माण के लिये बिहार सरकार से तीन एकड़ भूमि मार्च, 1973 में प्राप्त की थी। उस भूमि खण्ड के अधिकतर भाग पर अनाधिकृत लोगों का अवैध कब्जा होने के कारण राज्य सरकार खाली भूमि का कब्जा नहीं दे सकी। इसी बीच में आर्मी इंजीनियरों ने उस भूमि पर कार्यालय भवन बनाए जाने के सम्बन्ध में कुछ तकनीकी कठिनाइयां बताई है। किसी दूसरे स्थान पर कार्यालय भवन के निर्माण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) उपर्युक्त (क) और नये कार्यालय भवनों के निर्माण पर लगातार पाबन्दियों को देखते हुए इस समय यह कहा नहीं जा सकता कि भवन का निर्माण कब आरम्भ होगा।

पुर्तगाल को निर्यात

3930. **श्री जगन्नाथ मिश्र**: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुर्तुगाल को लोह-अयस्क, चीनी, काफी का निर्यात करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1976 के दौरान पुर्तुगाल को प्रत्येक मद की कितनी कितनी मात्रा का निर्यात किया जाना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) पुर्तुगाल को लोह-अयस्क, चीनी तथा काफी के निर्यात करने की किसी प्रस्थापना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेशम के कीड़े

3931. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि पश्चिम बंगाल अपने रेशम के उत्पादों के लिए परम्पराओं में प्रसिद्ध है तथापि वहां हाल ही में रेशम के किडों के पालन के परिणाम उत्साहवर्धक नहीं रहे हैं ;

(ख) क्या दार्जिलिंग, जम्मू तथा काश्मीर के भूखण्डों में जापानी कीडों के पालन के लिए जल वायु बहुत ही अनुकूल है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसे अन्य क्षेत्रों का पता लगाने के लिए कोई राष्ट्रीय सर्वेक्षण किया गया है जहां जापानी रेशम के कीडें पाले जा सकें और इस किस्म का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है जो विदेशी मुद्रा के अर्जन के लिए बहुत अच्छा साधन सिद्ध हो सकता है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) ऐसे अन्य क्षेत्रों का पता लगाने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने एक सर्वेक्षण किया है जहां जापानी रेशम के कीडें पाले जा सकते हैं । जापानी रेशम कीडों की जातियां तथा संकर जातियां पश्चिम बंगाल तथा जम्मू व कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में उन्हीं तरीकों पर पाली जा रही हैं जिनकी सिफारिश समय समय पर भारत में आये जापानी विशेषज्ञों ने की थी । पश्चिम बंगाल सरकार ने एक करोड़ रु० की अनुमानित लागत से पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एक विकास कार्यक्रम शुरू किया है । जम्मू व कश्मीर सरकार के पांचवीं योजना के कार्यक्रम में 150 टन उच्च ग्रेड के कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए 4.5 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था है ।

Setting up of a Tourist Service Centre at Mahishi (Bihar)

3932. Shri Chiranjib Jha : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up a Tourist Service Centre under the Central Tourism Department in Mahishi, District Saharsa, Bihar ; and

(b) if so, when ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh) : (a) There is, at present, no proposal in the Central Sector to set up a Tourist Service Centre in Mahishi, District Saharsa, Bihar.

(b) Does not arise.

Collection under Small Savings Scheme

3933. Shri Chiranjib Jha : Will the Minister of **Finance** be pleased to state the state-wise amount of small savings collected through rural and urban post-offices during the financial years 1974-75 and 1975-76 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohotgi): A statement giving the required information is laid on the Table of the House. [**Placed in Library. See No. L.T.—10855/76.**] According to indications available, net collections during 1975-76 (upto February 1976) compare favourably with figures for the corresponding period of 1974-75.

Hotel Projects in Bihar

3934. Shri Chiranjib Jha: Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state the number of hotel projects in Bihar for which credit has been given so far under the Hotel Development Loan Scheme together with the amount of credit provided?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh): One hotel project in Bihar namely "Maurya Clarks" of M/s Bihar Hotels Limited has been granted a loan of Rs. 37.00 lacs under the Hotel Development Loan Scheme. Out of this, a sum of 25.00 lacs has already been disbursed.

पंजाब में विभिन्न विकास कार्यों के लिए बाजार से ऋण

3935. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने विभिन्न विकास कार्यों के लिए बाजार से ऋण प्राप्त करने हेतु रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से अनुरोध किया था ; और

(ख) यदि हां तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) पंजाब सरकार ने, 1976-77 में, भारतीय रिजर्व बैंक से निम्नलिखित बाजार ऋणों के लिए अनुरोध किया था :—

	(करोड़ रुपये)
(1) राज्य सरकार	13.71
(2) राज्य बिजली बोर्ड . . .	4.40
(3) पंजाब वित्त निगम . . .	2.20
	(10 प्रतिशत अतिरिक्त रकम को अपने पास रखने की अनुमति सहित)

(ख) भारत सरकार ने, योजना आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से 1976-77 में, पंजाब के लिए निम्नलिखित बाजार ऋण कार्यक्रम तय किया है :—

	(करोड़ रुपये)
(1) राज्य सरकार	5.50
(2) राज्य बिजली बोर्ड . . .	5.50

रिजर्व बैंक ने, पंजाब वित्त निगम के लिए बाजार ऋण की रकम के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

रुई के मूल्यों को स्थाई बनाना

3936. श्री एन० आर० बेकारिया :
श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन काटन मिल्स फेडरेशन ने रूई के मूल्यों को स्थिर करने की कार्यवाही करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार स्थिति से अवगत है और जो भी कार्यवाही आवश्यक समझी जाएगी उसे वह करेगी ।

इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों का रद्द किया जाना

3937. श्री एन० आर० बेकारिया :
श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974–75 के दौरान इण्डियन एयर लाइन्स द्वारा रद्द की गई उड़ानों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) उन्हें रद्द किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या उन उड़ानों को पुनः आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) और (ख) मुख्यतः विमानन ईन्धन के मूल्य में वृद्धि के परिणामस्वरूप हुई परिचालन लागत में अत्यधिक वृद्धि के कारण इण्डियन एयरलाइन्स के लिए 18 मार्च, 1974 से लागू हुई समय सारणी में 16 शहरों के लिए विमान सेवाएं बन्द करना आवश्यक हो गया । इसके अतिरिक्त, विजयवाडा के लिए भी विमान सेवाओं को 1 नवम्बर, 1974 से बन्द कर दिया गया । बन्द की गई विमान सेवाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ग) 1 नवम्बर, 1975 से लागू शीतकालीन समय-सारणी में, पोरबन्दर तथा रायपुर के लिए विमान सेवाएं पुनः चालू कर दी गई । केशोद तथा विजयवाड़ा के लिए भी शीघ्र ही विमान सेवाएं पुनः चालू करने का प्रस्ताव है ।

विवरण

वे शहर जिनके लिए सेवाओं को बन्द कर दिया गया	वे सेवाएं जिनसे इन शहरों को जोड़ा गया
1. खोवाई 2. कमलपुर 3. कैलासशहर	कलकत्ता/अगरतला/खोवाई/कमलपुर । कैलासशहर ।
4. केशोद 5. पोरबन्दर	बम्बई/केशोद/पोरबन्दर

वे शहर जिनके लिए सेवाओं को बन्द कर दिया गया	वे सेवाएं जिनसे इन शहरों को जोड़ा गया
6. कूच बिहार . . .	कलकत्ता/कूच बिहार
7. नासिक	बम्बई / नासिक बम्बई / इन्दौर
8. कांडला	बम्बई/जामनगर/कांडला/भुज
9. गया . . .	कलकत्ता/गया/पटना
10. इलाहाबाद . . .	दिल्ली/कानपुर/इलाहाबाद
11. मुजफ्फरपुर . . .	मुजफ्फरपुर/पटना/रांची/कलकत्ता
12. रूरकेला	कलकत्ता/रांची/रूरकेला
13. रायपुर	रायपुर/नागपुर/भोपाल
14. जमशेदपुर . . .	कलकत्ता/जमशेदपुर
15. रंगून	कलकत्ता/रंगून
16. पन्तनगर . . .	दिल्ली/पन्तनगर
17. विजयवाडा . .	कलकत्ता/भुवनेश्वर/विशाखापत्तनम/विजयवाड़ा/हैदराबाद ।

तैयार वस्त्रों का निर्यात

3938. श्री एम० आर० बेकारिया :
श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केवल भारतीय फर्मों द्वारा ही तैयार वस्त्रों का निर्यात किया जाता है ;

(ख) क्या अन्य विदेशी फर्में भी इसका निर्यात कर रही हैं ;

(ग) यदि हां, तो ऐसी फर्मों के नाम क्या हैं ; और

(घ) क्या किसी बड़े व्यापार गृह ने तैयार वस्त्रों के निर्यात के लाइसेन्स के लिए आवेदनपत्र दिया है ; और यदि हां, तो उसका क्या नाम है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विदेशी चाय कम्पनियों के बारे में वक्तव्य

3939. श्रीमती पार्वती कृष्णन :
श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे :
क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कलकत्ता में उन्हों ने इस आशय का एक वक्तव्य दिया था कि केन्द्रीय सरकार का विदेशी चाय कम्पनियों से भारत छोड़ कर चले जाने को कहने का कोई विचार नहीं है ; और

(ख) क्या उन्होंने यह भी कहा था कि हमारे राष्ट्रीय योजना ढांचे के अन्तर्गत विदेशी पूंजी निवेश का स्वागत किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) जी, हां ।

लौह अयस्क का निर्यात

3940. श्रीमती पार्वती कृष्णन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972–73, 1973–74 और 1974–75 में लौह अयस्क का कुल कितनी मात्रा में निर्यात किया गया ; और

(ख) क्या सरकार ने इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कोई अध्ययन किया है कि इसका हमारे इस्पात उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जानकारी निम्नोक्त प्रकार है :—

(दस लाख मे० टन)

वर्ष	निर्यात
1972–73 . . .	20.61
1973–74 . . .	23.75
1974–75 . . .	22.30

(ख) जी, हां ।

मद्रास सिटी और मामल्लापुरम के बीच रेतीले तट का विकास

3941. श्री भान सिंह भौरा : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम दलने मद्रास सिटी और मामल्लापुरम के बीच 58 किलो मीटर लम्बे रेतीले तट का विकास करने की एक योजना के बारे में सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) यू० एन० डी० पी० विशेषज्ञ दल द्वारा की गयी सिफारिशों के अनुसार सरकार का मद्रास-मामल्लापुरम तट रेखा का एक अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र तटीय तथा पर्यटक विहार स्थल के रूप में विकास करने का प्रस्ताव है। विकास की प्रारंभिक कार्यवाही के रूप में, तमिल नाडु सरकार से राज्यीय क्षेत्र में मामल्लापुरम का एक मास्टर प्लान तैयार करने का अनुरोध किया गया था। मास्टर प्लान की प्रतीक्षा की जा रही है।

वर्ष 1976-77 के दौरान निर्यात की जाने वाली वस्तुएं

3942. श्री भान सिंह भौरा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1976-77 में किन वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि होने की आशा है और इस बारे में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : 1976-77 के दौरान जिन मदों के निर्यातों में वृद्धि होने की सम्भावना है उनमें ये शामिल हैं : इंजीनियरी माल, लौहा तथा इस्पात, चमड़ा तथा चमड़े से बना सामान, परिधान, रासायनिक पदार्थ तथा सम्बद्ध उत्पाद, कोयला तथा कोक, साधित मांस तथा खाद्य पदार्थ आदि।

उत्पादन आकार के सुदृढ़ करने के लिए आधारभूत निविष्ट साधनों की अपेक्षाकृत अधिक व्यवस्था, रियायती शर्तों पर अधिक ऋण सुविधाएं और विदेशों में बाजारों का पता लगाने के लिए प्रयत्न सघन करना ऐसे महत्वपूर्ण उपाय हैं जिनका उद्देश्य इन तथा अन्य उत्पादों के निर्यात बढ़ाना है।

Searches on Houses of DMK Leaders

3943. Shri K. M. Madhukar: Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether houses of some top D.M.K. leaders, members and former Ministers were searched by the Income Tax Authorities ; and

(b) if so, the amount seized by the Income Tax Authorities in these searches as also the other findings thereof ?

The Minister of State in Charge of Department of Revenue & Banking (Shri Pranab Kumar Mukherjee): (a) and (b) As per information presently available, the Income-tax authorities at Madras have not carried out any search and seizure operations in the cases of D. M. K. leaders such as President, Secretary, Treasurer, etc. or ex-Ministers. However, such operations were conducted at Madras and Papanasam in the case of a former Deputy Speaker of the dissolved Assembly.

No cash or other valuable assets were seized. Of the documents found, some have been taken over by the Central Bureau of Investigation authorities. Some other documents are presently under scrutiny of the Income-tax authorities. Action as called for under the law will be taken.

कालीन के अस्तर के निर्यात पर नकद राज सहायता

3944. श्री राजदेव सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कालीन के अस्तर के निर्यात पर नकद राजसहायता को एक वर्ष के लिए और बढ़ाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे उत्पादन में होने वाली हानि को किसी सीमा तक पूरा किया जा सकेगा और बंगला देश की मिलों से, जो विश्व बाजार में भारत से 10 से 14 प्रतिशत कम मूल्य पर कालीन का अस्तर सप्लाई कर रही है, प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ हो सकेंगे;

(ग) क्या भारत बंगला देश से कच्चे पटसन की खरीद करता हैं ; और

(घ) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा के विचार से पटसन की खेती को अधिक क्षेत्र में करने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) सरकार ने कालीन अस्तर के हमारे उत्पादन तथा निर्यात को उत्पादकों के लिए लाभप्रद तथा विश्व बाजार में प्रतियोगी बनाने के लिए कुछ उपाय किए हैं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) देश में अच्छे पटसन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उपयुक्त उपाय किए जा रहे हैं ।

जीवन बीमा निगम द्वारा राज्यों को धन का नियतन

3945. **श्री राजदेव सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम ने वर्ष 1975-76 में विभिन्न राज्यों को 68 करोड़ रुपये दिए ;

(ख) क्या इस आवंटन में संघ राज्य क्षेत्रों की उपेक्षा की गई और यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) क्या राज्यों की आवश्यकताएं संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं से विभिन्न हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही सदन पटल पर रख दी जाएगी ।

एशियाई विकास बैंक

3946. **मौलाना इसहाक सम्भली :**

श्री एस० एम० बनर्जी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने जकार्ता में अपनी बैठक की थी ;

(ख) यदि हां, तो उसमें लिए गए निर्णयों की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या एशियाई विकास बैंक ने एशियाई देशों में अपनी गतिविधियां बढ़ाई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इससे उन अन्य देशों से ठेके प्राप्त करने में भारत को कहां तक सहायता मिलेगी जिन्हें एशियाई विकास बैंक द्वारा ऋण मिला है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां । एशियाई विकास बैंक की 9वीं वार्षिक बैठक 22 अप्रैल, 1976 से 24 अप्रैल, 1976 तक जकार्ता में हुई थी ।

(ख) इस बैठक में बजट और बैंक के अन्य वित्तीय विवरणों की मंजूरी जैसे कार्यसूची के परम्परागत विषयों के अलावा जिन मुख्य मुख्य बातों पर विचार किया गया उनमें 1975 में बैंक के कारबार की समीक्षा और बैंक की साधन सम्बन्धी स्थिति पर विचार-विमर्श शामिल है। यद्यपि 1975 में बैंक का कारबार काफी संतोषप्रद था, लेकिन बैंक के साधनों को बढ़ाने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया ताकि विशेषकर जरूरतमंद विकासशील सदस्य देशों को उदार शर्तों पर उधार दिया जा सके।

(ग) जी हां, एशियाई विकास बैंक एशियाई और प्रशान्त महासागर के क्षेत्रों के लिये क्षेत्रीय विकास बैंक है। बैंक की सदस्यता अब 42 तक बढ़ गई है। वर्ष 1975 में बैंक ने कुल 66 करोड़ डालर के ऋण दिए जबकि 1974 में 54.77 करोड़ डालर के ऋण दिए गए थे।

(घ) इस क्षेत्र में बैंक द्वारा जितनी अधिक रकम उधार दी जाएगी, लोकों की संख्या में उतनी ही वृद्धि होगी, और चूंकि भारत, बैंक की सामान्य और उदार शर्तों पर उधार देने की पद्धतियों के अधीन पात्र देश है, इसलिए उसे बडी संख्या में ठेके प्राप्त हो सकेंगे।

बम्बई में आयकर अधिकारियों द्वारा मारे गए छापे

3947. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिकारियों ने हाल में बम्बई में गैर-सरकारी क्षेत्र में एक प्रमुख औद्योगिक समूह के चार उच्चपदस्थ प्रबन्धकों के निवास स्थानों पर छापे मारे है तथा उन्होंने दो ट्रेवल एजेन्सियों के परिसरों पर भी छापे मारे है ;

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा हाल के छापों में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में पाई गई ऐसी सम्पत्ति का क्या मूल्य है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) बम्बई स्थित चार उच्च पदस्थ प्रबन्धकों और दो ट्रेवल एजेन्सियों के मामलों में आय-कर प्राधिकारियों द्वारा अप्रैल, 1976 में जो छापे मारे गये और माल पकड़ा गया उनके सम्बन्ध में ब्यौरे निम्नलिखित है :—

(लाख रुपयों में)

उच्च पदस्थ प्रबन्धक	पकड़ी गई परिसम्पत्तियों का मूल्य	
श्री जे० डी० वासा, निदेशक, माल और सामग्री प्रबन्ध, मफतलाल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	जेवर-जवाहिरात	1.6
श्री बी० ए० पटेल, मुख्य रुई विक्रेता, मफतलाल समूह	नकदी	0.1
	जेवर-जवाहिरात	2.5
		(अनुमानतः)
	मीयादी जमा रसीदें	2.6

उच्च पदस्थ प्रबन्धक	पकड़ी गई परिसम्पत्तियों का मूल्य	
		(लाख रुपयों में)
श्री एस० बी० गद्रे, बिक्री प्रबन्धक, प्लास्टीक प्रभाग, होचस्ट डाइज एण्ड केमिकल्ज लिमिटेड	नकदी	0.2
	जेवर-जवाहिरात (अभी मूल्यांक किया जाना है)	
	मीयादी जमा	
	रसीदें और प्रोनोट	0.5
श्री हर्षद ठकोरे, सचिव, नेशनल आग्रेनिक केमिकल्स इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	मीयादी जमा रसीदे	3.3
ट्रवल एजेंट --		
श्री एवं श्रीमती कमर सुलताना मोहम्मद	नकदी	3.9
	जेवर-जवाहिरात	0.2
श्री पी० एस० जैन .		..
श्री विक्टर रोड्रिज .		..

उपर्युक्त मामलों में बही खाते और दस्तावेज भी पकड़े गये थे ।

(ग) बम्बई सिटी, कलकत्ता और मद्रास के आय-कर आयुक्तों के अधिकार क्षेत्रों में सेन्ट्रल अधिकार क्षेत्रों सहित जनवरी से मार्च, 1976 तक की अवधि में आयकर प्राधिकारियों ने जो तलाशी लेने और माल पकड़ने की कार्यवाही की, उनके परिणामत: 257 लाख 50 हजार रुपये से अधिक मूल्य की परिसम्पत्तियां पकड़ी गयी थी ।

Loan to Weavers by Nationalised Banks in Bhagalpur, Bihar

†**3948. Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether there is a large number of weavers in Bhagalpur (Bihar);

(b) whether Government have a programme to provide assistance to these weavers under the 20-point Economic Programme;

(c) if so, whether they have made applications for loan from the nationalised banks in Bhagalpur;

(d) the number of weavers who submitted such applications; and

(e) the figures about the loan recipient weavers as also the amount of loan advanced to them so far;

The Minister of State in Charge of Deptt. of Rev. & Banking (Shri Pranab Kumar Mukherjee): (a) Yes, Sir.

(b) Public sector banks have formulated special schemes for providing financial assistance to weavers under 20-point Economic Programme.

(c) to (e) The present system of data reporting does not provide for compilation of data relating to the number of applications submitted or advances made by public sector banks exclusively for weavers.

Upgradation of Ranchi City

3949. Shri Ramavatar Shastri: Will the Minister of **Finance** be pleased to state whether Government propose to declare Ranchi as B-2 City keeping in view the increase in population?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi): Cities are classified for the purpose of grant of house rent allowance and compensatory (city) allowance on the basis of their population as per last decennial Census Report and any subsequent increase in population till the next Census is not reckoned for the purpose. While for house rent allowance, the population of the city is taken into account, for compensatory (city) allowance, the population of an Urban agglomeration as shown in the 1971 Census Report, wherever it exists, is treated as a qualifying unit. Ranchi on the basis of its population of 1,75,934 as per 1971 Census Report has already been classified as a 'C' class city for the grant of house rent allowance. The population of Ranchi Urban agglomeration has been shown in 1971 Census Report as 2,55,551 which is substantially less than the qualifying minimum of 4 lakhs required for classifying a place as B-2 for the grant of compensatory (city) allowance.

कोका कोला निर्यात निगम द्वारा कच्चे माल का आयात

3950. श्री नानुभाई एन० पटेल : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि कोका कोला कन्सेन्ट्रेट के निर्यात के लिए संपूर्ति लाइसेन्सों के अनुसार कोका कोला निर्यात निगम द्वारा आयातित कच्चे माल का उपयोग निर्यात के लिए किया जाए जैसा लाइसेन्स की शर्तों में कहा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कोका कोला निर्यात निगम द्वारा किये जाने वाले निर्यात में भारी कमी होने के क्या कारण है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पटसन की वस्तुओं का निर्यात

3951. श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पटसन की कुछ वस्तुओं का निर्यात करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में बनाए गए कार्यक्रमों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या उत्पादन लागत को कम करने के लिए भी कदम उठाए गए है जिससे उससे तैयार उत्पादन अधिक प्रतियोगी सिद्ध हों और यदि हां, तो इस दिशा में किस प्रकार की कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) फिलहाल सरकार के पास पटसन माल के निर्यात व्यापार को नियंत्रण में लेने की कोई प्रस्थापना नहीं है ।

(ग) हाल ही में गठित की गई पटसन निर्मित माल विकास परिषद का एक मुख्य कार्य उत्पादन लागत में कमी करने के उपाय सूझाना होगा । पटसन के बारे में कुछ ऐसी विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी योजनागत परियोजनाओं का, जिन्हें कार्यान्वियन के लिए हाथ में लिया गया है, लक्ष्य उत्पादन लागत में कमी करना है । सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को क्रियान्वित के लिए धनराशि उपलब्ध कराई गई है ।

वर्ष 1976-77 के दौरान कृषि तथा लघु क्षेत्र के उद्योगों को संस्थागत ऋण

3952. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976-77 में कृषि तथा लघु क्षेत्र के उद्योगों को, क्षेत्रवार कुल कितनी राशि के संस्थागत ऋण उपलब्ध कराये जायेंगे अथवा उपलब्ध कराये जा चुके है ;

(ख) इन क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कितनी राशि दी जायेगी ;

(ग) उक्त अवधि में उड़ीसा में ऐसे ऋणों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या जनता द्वारा जमा राशियों के अनुपात में उड़ीसा को अन्य राज्यों की तुलना में प्रति व्यक्ति कम राशि के ऋण दिये गये है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के भारी राज्यमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) तक : वर्ष 1976–77 के क्षेत्रवार या राज्यवार ऋणों के संबंध में आंकड़े जिस रूप में मांगे गये है वे उस रूप में उपलब्ध नहीं है । अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित) द्वारा दिये गये कृषि अग्रिमों की बकाया राशि की जून 1975 के अंत की (ताजा से ताजा उपलब्ध) स्थिति और उड़ीसा राज्य में इस प्रकार के अग्रिमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिखाया गया है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और राज्य वित्तीय निगमों द्वारा छोटे पैमाने के उद्योगों को दिये गये कुल अग्रिमों के आंकड़े और उड़ीसा राज्य

में उनके द्वारा स्वीकृत इस प्रकार के अग्रिमों की जून, 1975 के अंत की स्थिति नीचे दी जा रही है :—

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा छोटे पैमाने के उद्योगों को दिये गये अग्रिमों की जून 1975 के अंत की स्थिति

(राशि लाख रुपयों में)

	सम्पूर्ण भारत		उड़ीसा राज्य		
	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	(4) की (2) से प्रतिशतता
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
भारतीय स्टेट बैंक और उसके अनुषंगी बैंक	110051	37046.15	1968	291.62	0.79
राष्ट्रीयकृत बैंक .	118980	57220.34	1038	437.39	0.76
अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक .	10966	10788.80	10	51.17	0.05
	239997	105055.29	3016	780.18	0.74

टिप्पणी : आंकड़े अनन्तिम हैं ।

राज्य वित्तीय निगमों (तमिलनाडु इंडस्ट्रियल इन्वस्टमेंट कार्पोरेशन सहित) द्वारा छोटे पैमाने के उद्योगों को स्वीकृत अग्रिमों की जून, 1975 के अंत की स्थिति

(राशि लाख रुपयों में)

सभी राज्यों के सभी राज्य वित्तीय निगम		उड़ीसा राज्य वित्तिय निगम		
ऋणों की संख्या	बकाया राशी	ऋणों की संख्या	बकाया राशि	(4) की (2) से प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
29781	17150.32	823	426.49	2.5

(घ) और (ङ) जी हां, बहतर बैंक सुविधा वाले राज्यों की तुलना में उड़ीसा राज्य में ऋण-जमा अनुपात कम है। विभिन्न राज्यो में ऋण-उपभोग का स्तर राज्य की आर्थिक गति विधियों के स्तर, और विशेष रूप से, व्यापार एवं उद्योग के संगठित क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों के स्तर से जुड़ा हुआ है। मोटे तौरपर उड़ीसा राज्य में, संगठित क्षेत्र इसकी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंश नहीं है और इसलिए इसमें ऋण-जमा अनुपात कम है। लेकिन अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक राज्य में ऋण प्रसार की गति को बढ़ाने का प्रयास कर रहे है और उनके द्वारा दिये गये अग्रिम दिसम्बर 1972 के 43.53 करोड़ रुपये से काफी बढ़कर, दिसम्बर, 1974 में 68.92 करोड़ रुपये हो गये हैं ।

विवरण

उड़ीसा में बैंकों द्वारा दिए गए कृषि अग्रिमों की कुल बकाया राशि और ऐसे ऋणों के ब्यौरों की जून, 1975 के अंत की स्थिति प्रदर्शित करनेवाला विवरण

अनन्तिम
(राशि लाख रुपयों में)

	सम्पूर्ण भारत				उड़ीसा			
	प्रत्यक्ष ऋण		अप्रत्यक्ष ऋण		प्रत्यक्ष ऋण		अप्रत्यक्ष ऋण	
	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि
भारतीय स्टेट बैंक समूह	738743	17337.90	131562	8578.70	31557	282.55	4326	105.95
राष्ट्रीयकृत बैंक . .	1327573	33809.30	191863	17076.32	16772	159.83	4714	203.30
अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक . .	312962	5206.71	10572	2301.87	1645	28.55	18	4.32
जोड़ ।	2379278	56353.91	333997	27956.89	49974	470.93	9058	313.57

परोक्ष करों के ढांचे अध्ययन करने के लिये आयोग

3953. **श्री आऊसाहेब थामनकर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिक्री कर, सीमाशुल्क, उत्पादनशुल्क और एकल स्तरी करार्धान (सिंगल लेवल टेक्सेशन) सहित परोक्ष करों के ढांचे की जांच करने के लिए अयोग नियुक्त करने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब और उसके निदेशपद क्या होंगे ; और

(ग) करों के ढांचे का और अधिक युक्तिसंगत आधार सुझाने और उसकी सिफारिश करने में आयोग को कितना समय लगेगा ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्यमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) अप्रत्यक्ष-कर प्रणाली के विद्यमान ढांचे की समीक्षा करने और इस दिशा में किए जाने वाले उपायों के बारे में सरकार को सलाह देने के लिए एक समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव है ।

(ख) और (ग) समिति के गठन निर्देश पद और जिस अवधि के भीतर समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा जाना चाहिए, उसके संबंध में अभी भी सरकार विचार कर रही है ।

भारत और नेपाल के बीच व्यापार में कमी

3954. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष भारत और नेपाल के बीच व्यापार में कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष के व्यापार के आंकड़े क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) विगत वर्ष के दौरान भारत और नेपाल के बीच व्यापार में कोई गिरावट नहीं आई है। अप्रैल, 1975 से नवम्बर, 1975 तथा 1974 की सी अवधि के दौरान भारत और नेपाल के बीच व्यापार की मात्रा निम्नोक्त प्रकार रही है :—

(लाख रु० में)

नेपाल को भारत से निर्यात		नेपाल से भारत को आयात	
अप्रैल, 74–नवम्बर, 74	अप्रैल, 75–नवम्बर 75	अप्रैल, 74–नवम्बर 74	अप्रैल, 75–नवम्बर 75
2298	2960	1627	2008

राज्य व्यापार निगम की निर्यात संवर्धन गति विधियां

3955. **श्री पी० गंगादेव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या राज्य व्यापारनिगम गैर सुचीबद्ध वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने का कोई प्रयास कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) क्या इस समय निगम निर्यात संवर्धन के लिए बहुत सी वस्तुओं का पता लगाने में व्यस्त है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) राज्य व्यापार निगम द्वारा गैर मार्गीकृत मदों के निर्यात 1975–76 में 62 करोड़ रु० के रहे जबकि वर्ष 1974–75 में ये 36 करोड़ ० के थे। राज्य व्यापार निगम द्वारा इन मदों के निर्यातों में और आगे वृद्धि करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

(ग) जी हां।

मकानों के निर्माण के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा ऋण दिया जाना

3956. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मकानों के निर्माण के लि राष्ट्रीयकृत बैंकों ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को कितनी राशि का ऋण देना मंजूर किया है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्यमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : पंजाब नेशनल बैंक ने सूचित किया है कि वह गंदी बस्तियों के सफाई-कार्य से प्रभावित व्यक्तियों के वास्ते मकान बनाने के लिए, दिल्ली विकास प्राधिकरण को 2 करोड़ रुपये तक के ऋण मंजूर करने के लिए सहमत हो गया है।

निर्यात बढ़ाने सम्बन्धी नीति

3957. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करगे की :

(क) क्या उनका मंत्रालय निर्यात बढ़ाने के लिए एक 4 सूत्री नीति पर विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस नीति से विदेशी मुद्रा की आय में वृद्धि होगी;

(ग) क्या विदेशों में संयुक्त औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (घ) जैसा कि 3 मई, 1976 को वाणिज्य मंत्रालय की अनुदान संबंधी मांगों के अपने उत्तर में वाणिज्य मंत्री ने बताया था, देश से निर्यातों को बढ़ाने के लि एक नई दस सूत्री निर्यात नीति तैयार की जा रही है। अन्य विशेषताओ में विदेशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करना इस नीति का मुख्य भाग है। आशा है कि नई नीति निर्यात आय बढ़ाने में सहायक होगी।

पटना अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड

3958. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिज़र्व बैंक ने पटना अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड को बैंक व्यवसाय करने की अनुमति नहीं दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) गत तीन वर्षों में देश के अन्य किन-किन बैंको को बैंक व्यवसाय करने से रोका गया है ; और

(घ) उन बैंको के विरूद्ध अन्य क्या कार्यवाही की गयी है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक ने 15 अप्रैल, 1976 को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 की उपधारा (2) के अन्तर्गत, 'दो पटना अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, को भारत में बैंकिंग कारोबार चलाने का लाइसेंस देने से इन्कार कर दिया था क्योंकि यह बैंक उक्त अधिनियम की धारा 56 के पठित धारा 22(3)(क) और धारा 11 के उपबन्धो के पालन में असफल रहा था। उपर्युक्त बैंक अपना काम काज भी जिस तरह से चला रहा था वह उसके जमाकर्ताओं के हितों के वि द्ध था।

(ग) और (घ) देश में गत तीन वर्षों के दौरान, जिन अन्य बैंको के बैंकिंग कारोबार पर प्रतिबंध लगाया गया है उनके नाम और उनके वि द्ध की गयी अनुवर्ती कार्रवाई का विवरण नीचे दिया जा रहा है :—

बैंक का नाम	की गई कार्रवाई
सहकारी बैंक	
1. दी मरकैंटाइल को-आपरेटिव बैंक लि०, जयपुर (राजस्थान)]	4 मार्च, 1976 को, भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बैंक को बैंकिंग कारोबार करने का लायसेंस देने से इन्कार कर दिया था। राजस्थान सरकार ने इस बैंक के परिसमापन के बारे में 9 मार्च, 1976 को एक आदेश जारी किया।
2. घाटकोपर जनता सहकारी बैंक लि० बम्बई (महाराष्ट्र),	रिजर्व बैंक के कहने पर, रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, महाराष्ट्र बम्बई ने 31 मार्च, 1976 को इस बैंक के परिसमापन के बारे में एक आदेश जारी किया।
3. बम्बई कामर्शियल को-आपरेटिव बैंक लि० बम्बई (महाराष्ट्र)	रजिस्टार सहकारी समिति, महाराष्ट्र, बम्बई ने 31 अक्तूबर, 1975 को इस बैंक को समाप्त करने के बारे में आदेश जारी किया।
4. पानूर को-आपरेटिव अर्बन बैंक लि०, जिला कन्नानूर (केरल)	रिजर्व बैंक 26 सितम्बर, 1975 को इस बैंक को बैंकिंग कारोबार करने का लाइसेंस देने से इन्कार कर दिया।
5. पुनालूर को-आपरेटिव अर्बन बैंक लि०, क्विलोन (केरल)	26 सितम्बर, 1975 को भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बैंक को बैंकिंग कारोबार करने का लाइसेंस देने से इन्कार कर दिया।
6. मालवन को-आपरेटिव अर्बन बैंक लि०, रत्नागिरि (महाराष्ट्र)	31 जनवरी, 1976 को, उप-निदेशक-सहकारी समिति रत्नागिरि, ने इस बैंक को समाप्त करने के बारे में आदेश जारी किया।

बैंक का नाम	की गयी कार्रवाई
7. बेतगेरी अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि०, बेतगेरी (कर्नाटक)	8 दिसम्बर, 1975 को भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को बैंकिंग कारोबार करने का लाइसेंस देने से इन्कार कर दिया।
8. श्री कृष्ण को-आपरेटिव अर्बन बैंक लि०, मछलीपट्टनम	16 जनवरी, 1975 को, उप-रजिस्ट्रार, को-आपरटिव सोसाइटीज, कृष्णा, चिलाकापुडी ने इस बैंक को समाप्त का आदेश जारी किया।
वाणिज्यिक बैंक	
कृष्णराम बलदेव बैंक लि०	19-4-1974 से भारतीय स्टेट बैंक द्वारा इस बैंक का कारोबार अपने हाथ में ले लेने के कारण, इस बैंक को जारी किये गये लाइसेंस को रद्द कर दिया गया।
बेलगांव बैंक लि०	यूनियन बैंक आफ इंडिया द्वारा इस बैंक का कारोबार अपने हाथ में ले लिये जाने के कारण, इस बैंक को जारी किया गया लाइसेंस, उसके कारोबार के बन्द होने की तारीख, 29 नवम्बर 1975 से, रद्द कर दिया गया।

लाइसेंसों के रद्द कर दिये जाने का परिणाम यह होता है कि ये बैंक भारत में बैंक कारोबार नहीं कर सकते हैं।

तस्करों की सम्पत्ति का जब्त किया जाना

3959. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसे तस्करों के नाम और पते क्या हैं जिनको अब तक तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम के अधीन सम्पत्ति जब्त करने के लिए नोटिस दिये जा चुके हैं ;

(ख) क्या नोटिस उचित ढंग से दे दिये गये हैं और सरकार ने सम्पत्तियों को अपने हाथ में ले लिया है ;

(ग) सम्पत्तियों का मूल्य लगभग कितना है और इस समय उनसे कितनी आय होती है; और

(घ) कितने मामलों में सम्पत्ति जब्त करने के नोटिस अभी दिये जाने हैं और सम्बन्धित व्यक्तियो के नाम और पते क्या हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के भारी राज्यमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) संलग्न अनुबंध **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-10856/76]** में उन तस्करों और विदेशी मुद्रा छल साधको के नाम और पते दिये गये है जिनको तस्कर तथा विदेशी-मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम की धारा 6 के

अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये हैं, जिनमें उनसे यह कारण बताने के लिए कहा गया है कि उक्त नोटिसों में उल्लिखित सम्पत्तियों को भारत सरकार क्यो नहीं जब्त करे।

(ख) अब तक 99 नोटिस उचित रूप से तामिल किये जा चुके । सम्बन्धित पार्टियो की सुनवाई के बाद ही कानून के अनुसार, सरकार उनकी सम्पत्तियों को अपने कब्जे में लेगी ।

(ग) अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत इन नोटिसो में सम्मिलित सम्पत्तियों का मूल्य अनुमानतः 4 करोड़ 71 लाख रुपये होगा। चूंकि इन सम्पत्तियों को अभी जब्त नहीं किया गया है, इसलिए फिलहाल इन सम्पत्तियों से कोई आय प्राप्त नहीं हुई है ।

(घ) उक्त अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत नोटिस जारी करने और आगे की कार्यवाही करने के लिए, दिल्ली, मद्रास और बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी काफी संख्या में मामलों पर कार्यवाही कर रहे हैं। चूंकि जांच-पड़ताल अभी भी चल रही है, इसलिए उन व्यक्तियो के नाम और पते प्रस्तुत नहीं किये जा सकते जिन पर भविष्य में धारा 6 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये जायेंगे ।

बम्बई मे तस्करी की वस्तुओं का जप्त किया जाना

3960. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रान्समैडिटैरेनियन एअरवेज के बोइंग 707 विमान द्वारा लाये गये तस्करी की वस्तुओं के 28 बंडल गत दिसम्बर में बम्बई में सीमाशुल्क अधिकारियों ने "नोट तथा पास" प्रक्रिया पर "सौम्पेटिव कार्गो" के जाली नाम में निकाल दिये थे ;

(ख) क्या तस्करी की वस्तुओं को लाने ले जाने वाला वाहन जब्त किया जा सकता है ;

(ग) क्या 'कस्टम प्रीवेन्टिव कलेक्टोरेट' द्वारा 15 अप्रैल, 1976 को बोईंग विमान को बम्बई हवाई अड्डे पर अपने नियंत्रण में ले लिया गया था और बाद में एक स्थानीय जेंट के गारण्टी पत्र पर हस्ताक्षर कर देने पर छोड दिया था ; और

(घ) यदि हां, तो यह बोइंग छोडा क्यों गया और जब्त क्यों नहीं किया गया ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां । ट्रांस-मैडीटरिनियन एअरवेज बोइंग-707 विमान द्वारा लाये गये निषिद्ध माल के 28 पकेजों में परीक्षण संबंधी उपकरणों की घोषणा की गयी थी और उक्त माल की "नोट करें और पास करें" कार्यविधि के अन्तर्गत दिसम्बर, 1975 में सीमाशुल्क द्वारा निकासी की गई थी ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना

3961. **श्री वसंत साठे :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना लागू करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या

(ग) क्या इस संबंध में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया गया है ; और

(घ) यह योजना कब तक लागू किए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) सवाल ही नहीं उठता ।

कपड़ा मिलों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए रूई का आयात करने का प्रस्ताव

3962. **श्री वसंत साठे** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन काटन मिल्स फैडरेशन ने सरकार से अनुरोध किया है कि कपड़ा मिलों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सप्लाई बनाने रखने हेतु रूई का पर्याप्त मात्रा में आयात किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सप्लाई स्थिति में वृद्धि करने की दृष्टि से इण्डियन काटन मिल्स फेडरेशन ने विदेशी से रुई की तीन लाख गाठों का आयात करने का सुझाव दिया है। सरकार रुई के आयात की वांछनीयता और संभाव्यता पर विचार कर रही है ।

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस द्वारा विमानों की खरीद

3963. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइस ने वर्ष 1976–77 में कितने तथा कितनी कीमत के विमान खरीदने की पेशकश की है ;

(ख) उक्त विमान किन-किन मार्गों पर उड़ान भरेंगे ; और

(ग) यात्रियों को इनमें क्या क्या विशेष सुविधायें उपलब्ध होंगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) से (ग)

एयर-इंडिया—

यर डिया का 1976–77 के दौरान कोई विमान खरीदने का प्रस्ताव नहीं है ।

इंडियनएयर लाइंस

डियन एयरलाइंस ने तीन ए 300 ी 2 प्रकार के विमान (एयरबस) प्राप्त करने के लिए मैसर्स एयरबस इंडस्ट्री को आर्डर दिये हुए हैं जिनकी डिलीवरी 1976 की अंतिम तिमाही में होनी है। इन विमानों को, जिनमें से प्रत्येक की अधिकतम

अंतिम संविदागत कीमत 244:00 लाख अमरीकी डालर है, शुरू में निम्नलिखित मार्गों पर दिसम्बर, 1976/जनवरी 1977 से नियमित अनुसूचित परिचालन पर चालू किए जाने की संभावना है :—

बम्बई/दिल्ली

बम्बई/कलकत्ता

बम्बई/मद्रास

दिल्ली/कलकत्ता, तथा

बम्बई/बंगलौर

इन विमानों से यात्री जनता को अतिरिक्त स्थान (शुरू में 278 सीटें), आरामदायक चौड़ा बाडी तथा कम शोर स्तर की सुविधाओं का लाभ होगा। इस के अतिरिक्त विमान 10–15 मीट्रिक टन कार्गो क्षमता भी प्रदान करेगा।

इसके अतिरिक्त, कारपोरेशन अपने विमान-बेड़े के लिए कुछ अन्य प्रकार के 'शॉर्ट हाल' जेट विमानों का भी मूल्यांकन कर रही है।

सामान्य बीमा निगम के विकास निरीक्षकों के वेतन-मानों को युक्तिसंगत बनाना

3964. श्री सी० के० चन्द्रप्पन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सामान्य बीमा निगम के विकास निरीक्षकों (फील्ड स्टाफ) के वेतन-मानों को युक्ति संगत बनाने के बारे में कोई निर्णय किया है, यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) क्या राष्ट्रीय बीमा कम्पनी के दो सौ से भी अधिक विकास निरीक्षकों (फील्ड स्टाफ), जिनकी सेवा छः वर्ष से भी अधिक थी की सेवायें हाल ही में समाप्त कर दी गई हैं ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या उनकी सेवायें समाप्त करने से पहले इन व्यक्तियों को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का कोई अवसर दिया गया था ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां। सामान्य बीमा (विकास कर्मचारियों के वेतन-मान और अन्य सेवा शर्तों का युक्तियुक्तीकरण) योजना, 1976 नाम की एक योजना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में 29–4–1976 को अधिसूचित की गयी है और उसे अलग से सभा-पटल पर रखा जा रहा है।

(ख) नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी के 18 क्षेत्रीय कर्मचारियों (फिल्ड) स्टाफ की सेवाएं जिनका कार्यनिष्पादन कम था और लागत अनुपात बहुत अधिक था, हाल ही में समाप्त कर दी गयी थी।

(ग) इन 18 क्षेत्रीय कर्मचारियों की सेवाएं एक जाच समिति की सिफारिश पर समाप्त कर दी गयी थी, जिसने उनमे से 9 का साक्षात्कार किया था।

सरकारी एजेंसी के माध्यम से अभ्रक का निर्यात बंद किया जाना

3965. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी एजेंसी के माध्यम से अभ्रक का निर्यात बंद करने का निर्णय किया है जो 1972 के मध्य से खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य तथा कारण क्या हैं ; और

(ग) 1973 से मार्च, 1976 तक अभ्रक का कुल कितना नि ति किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) श्न नहीं उठता ।

(ग) अभ्रक के कुल निर्यात निम्नोक्त प्रकार रहे :—

वर्ष	मूल्य
	(करोड़ रु० में)
1973–74	17.52
1974–75	24.22
1975–76 (अनुमानित)	22.00

बिहार में पर्यटक केन्द्रों का विकास

3966. **श्री भोगेंद्र झा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में, जिला वार, प र्टन रुचि के किन किन स्था ों का केन्द्र सरकार ने विकास किया है अथवा वह उनकी देखभाल करती है ; और

(ख) आगामी पांच वर्षों में, जिलावार, किन-किन स्थानों का प र्टन केन्द्र के रूप में विकास किया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) केन्द्रीय क्षेत्र में पर्यटन केन्द्रों का विकास राज्य-वार, जिला-वार अथवा स्थानवार आधार पर नहीं किया जाता है। न स्थानो का विकास इन के प्रति पर्यटको के वर्तमान अथवा संभावित आक र्ण, सुगम्यता, तथा बिजली पानी आदि जैसे आधार-भूत उपादानों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्न पर्यटन योजनाओं को हाथ में लिया गया था :—

I-पर्यटन विभाग	किया गया व्यय
(i) राजगिर में रज्जुमार्ग का निर्माण	1,24,000/- रु०
(ii) बोधगया में महाबोधी मंदिर के आसपास के क्षेत्र का विकास (फंड रिलीज़ कर दिये गये हैं किन्तु भूमि का अधिग्रहण व विभाग को हस्तांतरण शेष रहता है)	13,00,000/- रु०
(iii) पालुमा राष्ट्रीय उद्यान में मिनी बस की व्यवस्था	41,000/-रु

II-भारत पर्यटन विकास निगम

(i) पटना में स्वागत केन्द्र-व-होटल (कुल अनुमानित लागत 60 लाख रुपए)	6.76 लाख रुपए
(ii) बोधगया में यात्री लॉज का नवीकरण (कुल अनुमानित लागत 15 लाख रुप)	1.33 लाख रुपए
(iii) पटना में यातायात यूनिट . . .	0.50 लाख रुपए
(iv) बोधगया में यातायात यूनिट (मौसमी) . .	0.45 लाख रुपए

(ख) पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन विभाग का दक्षिण, दक्षिण-पूर्व त । पूर्वी एशिया से बौद्ध तीर्थ यात्रियों को आकृष्ट करने के लिये बिहार में बोधगया, राजगिर एवं नालन्दा में सुविधाओ के विकास का प्रस्ताव है। बोधगया में भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार को 6.55 लाख रुपयो की अतिरिक्त राशि रिलीज़ की गई।

भारत पर्यटन विकास निगम का पटना में स्वागत-केन्द्र-व-होटल को पूरा करने का प्रस्ताव है जिस पर 31-3-76 तक 56.76 लाख रुपये का खर्च किया जा चुका है। कारपोरेशन का ो गया में वर्तमान यात्री लॉज के विस्तार तथा रेलवे से रांची होटल को अपने अधिकार में लेकर पाचवीं पंचवर्षीय योजनाबधि में उसके विस्तार का भी प्रस्ताव है ।

राज्यों के लिए बाजार से ऋण लेने के लिए निधियों के नियतन सम्बन्धी मानदण्ड

3967. **श्री एन० ई० होरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या विभिन्न राज्यों के लिए बाजार से ऋण लेने के लिए निधियों के नियतन के बारे में सरकार ने कोई मानदण्ड निर्धारित किये हैं ; और

(ख) क्या बाजार से ऋण लेने के लिए निधियों के नियतन के मामले में, राज्य सरकारों द्वारा अपनाये गये वित्तीय अनुशासन और क्षेत्र के पिछडेपन जैसे मानदण्ड पर कोई विचार किया जाता है?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) और (ख) सरकारी ऋण कार्यक्रम को पूरा करने के लिए उपलब्ध होने वाले साधनों को ध्यान में रखते हुए 1976-77 की वार्षिक आयोजना बनाते समय यह फैसला किया गया था कि 1976-77 में राज्य सरकारों और उनकी एजेंन्सियों द्वारा खुले बाजार से लिए जाने वाले ऋणों की कुल रकम चौथी आयोजना के अन्तिम वर्ष अर्थात 1973-74 में उनके द्वारा लिए जाने वाले ऋणों की वास्तविक रकम से 10 प्रतिशत अधिक नियत की जाए। योजना आयोग बाजार ऋणों को राज्यों के बीच सुनिश्चित तथ्यों के आधार पर नियत करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है।

Concession in Fares by Air India

3968. Shri Shankar Dayal Singh: Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether various foreign air companies have made some concession in the fares on the occasion of 200th Anniversary of the Independence of U.S.A.;

(b) whether Air India was also requested for making some concession and if so, the facts thereof; and

(c) the reaction of Government thereto?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur): (a) No concessional fares for international travel have been introduced by any foreign airline, on the occasion of 200th Anniversary of the independence of US.A. However U.S domestic carriers have introduced a special bi-centennial fare at US $ 330 for travel **within** the U.S.A.

(b) No Sir.

(c) Does not arise.

हवाई अड्डों पर उपकरण अवतरण पद्धति चाक्षुष पहुंच क्षेत्र संकेतक और प्रकाश

3969. श्री रामन सैन: क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने हवाई अड्डों पर उपकरण अवतरण पद्धति है तथा उनकी श्रेणी क्या है ;

(ख) कितने अन्तर्देशीय हवाई अड्डों पर चाक्षुष पहुंच क्षेत्र संकेतक (विजुअल अप्रोच स्कोप इंडीकेटर्स) लगे हैं ;

(ग) कितने हवाई अड्डों के धावन पथों पर प्रकाश की व्यवस्था है और कितनों पर नहीं है ; और

(घ) क्या सरकार ने सभी हवाई अडडों के धावन पथों पर प्रकाश की व्यवस्था करने के लिये कार्यवाही की है यदि हां तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों तथा गौहाटी विमानक्षेत्र पर उपकरण अवतरण प्रणाली की व्यवस्था कर दी गयी है। दिल्ली, बम्बई तथा कलकत्ता पर लगा उपकरण वर्ग II का है परन्तु इस समय वर्ग I स्तर से परिचालित किया जा रहा है।

(ख) फिलहाल किसी भी अंतर्देशीय विमानक्षेत्र पर दार्ष्टिक पहुंच ढ़ाल संकेतक (वासी) की व्यवस्था नहीं की गई है। तथापि, 10 अंतर्देशीय विमानक्षेत्रों पर इस सुविधा की व्यवस्था की कार्यवाही की जा रही है। इस कार्य के इस वर्ष के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है।

(ग) और (घ) उन 36 अंतर्देशीय विमानक्षेत्रों में से, जिनमें से अनुसूचित सेवाएं परिचालित की जाती हैं, 21 पर विद्युत धावनपथ प्रकाश व्यवस्था कर दी गयी है। शेष 15 विमानक्षेत्रों पर सामयिक/आपात्ती रात्रिकालीन परिचालनों के लिए कैरोसिन प्रदीप्ति पथ की व्यवस्था की गयी है। नागर विमानन विभाग की पांचवी योजना के मसौदे में 7 और विमानक्षेत्रों पर विद्युत धावनपथ प्रकाश प्रतिस्थापन की व्यवस्था की गयी है।

कलकत्ता के ग्रेट ईस्टर्न होटल को वित्तीय सहायता

3970. **श्री रानेन सेन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के ग्रेट ईस्टर्न होटल को नवीकरण के लिये 2.5 करोड़ रुपये की आवश्यकता है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम और औद्योगिक वित्त निगम यह सहायता देने पर सहमत हो गये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) कलकत्ता के 'दि ग्रेट ईस्टर्न होटल' का प्रबन्ध इस समय पश्चिम बंगाल सरकार के हाथ में है। होटल के नवीकरण, आदि, के लिये दीर्घ कालिक वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान 2.46 करोड रुपये बताया गया है।

(ख) नवीकरण के मुख्य पहलू हैं पुराने भवन को गिराना और उसके स्थान पर एक नये होटल का निर्माण जिसमें 216 वातानुकूलित कमरे, शॉपिंग आर्केड, काफी शॉपें विशिष्ट रेस्टोरैंट, बार, बैक्विट हाल, इत्यादि, होंगे। निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर नये भवन को 91 कमरों वाले वर्तमान नवीन विंग के साथ मिला दिया जायेगा और इस प्रकार होटल में 307 वातानुकूलित कमरे हो जायेंगे।

(ग) ऐसा पता चला है कि प्रस्तावित नवीकरणों के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता के प्रश्न पर होटल और 'भारत औद्योगिक पुनर्निर्माण' के बीच बातचीत चल रही है। 'भारत औद्योगिक वित्त निगम' को अभी तक होटल से इस प्रयोजन के लिए वित्तीय सहायता के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

Duty Free Shops set up by I.T.D.C.

3971. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the number of Duty Free shops set up so far by India Tourism Development Corporation together with the total expenditure incurred thereon ; and

(b) the net income accrued therefrom in 1974 and 1975 ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh): (a) The India Tourism Development Corporation has so far set up four duty free shops; one each at Delhi, Bombay, Calcutta and Madras airports. The capital expenditure incurred on fixed assets of the shops up to 31st March, 1975 is as follows :—

(Rs. in lakhs)

Location of the shop	Capital expenditure on fixed assets up to 31-3-1975
Delhi	0.74
Bombay	1.54
Calcutta	1.16
Madras	0.44
Total	3.88

(b) The net profits earned by these shops during 1973-74 and 1974-75 are as under :

(Rs. in lakhs)

Location of the shop	Net Profits	
	1973-74	1974-75
Delhi	5.06	12.10
Bombay	5.54	13.68
Calcutta	5.08	3.62
Madras	0.14	0.16
Total	5.82	29.56

Loans Advances by Dena Bank

†**3972. Shri M. C. Daga:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the number of the parties advanced loans worth Rs. 10 lakhs or above by Dena Bank during the last three years and the number of such parties, out of them, as have not repaid even a part of that amount or interest thereon so far and the action taken by Dena Bank against them to realise the amount of loans; and

(b) the amount which has thus remained unrealised?

The Minister of State In Charge of Deptt. of Rev. & Banking (Shri Pranab Kumar Mukherjee): (a) Presumably, the Hon'ble Member refers to the term loan advanced by Dena Bank, where a schedule of repayment is stipulated. According to the information furnished by Dena Bank, number of such term loans of Rs. 10 lakhs and above with Dena Bank is about 60. The number of cases where not even a part of the loan or interest has been paid is about six. The bank has taken appropriate measures to realise its dues from such defaulters on the merits of each case.

(b) The amount, which has not been realised from these accounts, comes to about Rs. 246 lakhs.

विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी गतिविधियां निवारण अधिनियम के अन्तर्गत पकड़े जाने वाले फरार व्यक्तियों को गिरफ्तारी के लिये पुरस्कार

3973. **मौलाना इसहाक सम्भली:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी गतिविधियां निवारण अधिनियम के अन्तर्गत पकडे जाने वाले फरार व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिये पुरस्कारों की घोषणा की थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) देश में फरार व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है ; और

(घ) सरकार ने उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) प्रवर्तन निदेशक ने प्रत्येक मामले में ऐसे किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 5,000 रू० तक की धनराशि इनाम में देने की घोषणा की है जो ऐसी सूचना देता है जिससे उन व्यक्तियों को पकडा जा सके जिनके विरुद्ध विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1974 के अधीन नजरबन्दी के आदेश जारी किए गये हैं ताकि उन्हें ऐसी गतिविधियों में लगने से रोका जा सके जो विदेशी मुद्रा के संरक्षण अथवा वृद्धि के प्रतिकूल हों। यह इनाम निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिया जायगा :—

(i) ऐसे मामलों में इनाम प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मंजूर किए जाएंगे।

(ii) किसी भी एक मामले में इनाम की रकम 5,000 रु० से अधिक नहीं होगी।

(iii) यह तथ्य कि जिस व्यक्ति के खिलाफ नजरबन्दी का आदेश दिया गया था वह फरार हो गया है या स्वयं को छिपा रहा है, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1974 की धारा 7(1)(ख) के उपबन्धों के अनुसरण में सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया गया है, अथवा नजरबन्दी का आदेश पारित करने की तारीख से कम से कम एक महीने की अवधि समाप्त हो चुकी है।

(iv) ऐसे व्यक्तियों को पकडवाने के संबंध में दी गई सूचना विशिष्ट सूचना है।

(v) ऐसी सूचना प्रवर्तन निदेशालय के ऐसे अधिकारी द्वारा लिखित रूप में रिकार्ड की गई थी जिसका ओहदा सहायक प्रवर्तन निदेशक से कम का नहीं है।

(ग) 8 मई, 1976 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न राज्य सरकारों अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा 340 व्यक्तियों के विरुद्ध नजरबन्दी के आदेश जारी किए गये थे जो या तो फरार है या जिन्हें नजरबंद नहीं किया गया है।

(घ) उपर्युक्त 340 व्यक्तियों में से 225 व्यक्तियों के विरुद्ध विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1974 की धारा 7(1)(क) (अर्थात सम्पत्तियां अभिग्रहण करने की कार्यवाही शुरु करने के लिए संबंधित मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करना) के अधीन और/अथवा उक्त अधिनियम की धारा 7(1)(ख) (अर्थात जिन व्यक्तियों के विरुद्ध नजरबंदी के आदेश जारी किये गये हैं उनके नाम सरकारी राजपत्र में अधिसूचित करना और उन्हें विनिर्दिष्ट अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश देना) के अधीन कार्यवाही की गई है। उपर्युक्त अधिनियम की धारा 7(1)(क) के अन्तर्गत शुरू की गई कार्यवाही के अनुसरण में, 12 फरार व्यक्तियों की लगभग 98 लाख रु० मूल्य की सम्पत्तियों को अभिग्रहण करने के आदेश विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित किये जा चुके हैं।

Charges of Corruption against Income Tax Officers

3974. Shri M. C. Daga: Will the Minister of **Finance** be pleased to state the number of Income Tax Officers dismissed or suspended on corruption charges during the last three years and the disciplinary action taken against them therefor?

The Minister of State In Charge of Deptt. of Rev. & Banking (Shri Pranab Kumar Mukherjee): The required information regarding Income-tax Officers, in respect of the period from the 1st April, 1973, to the 31st March, 1976, is as under:—

(i) Dismissed or removed from service.	—	4
(ii) Penalties other than dismissal removal from service, imposed.	—	2
(iii) (a) Being prosecuted.	—	8
(b) Departmental action being pursued after issue of charge—sheets on allegations of corruption or lack of integrity.		12

(iv) Of the 20 Income-tax Officers who are being prosecuted or against whom charge-sheets have been issued, 8 are under suspension.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए पृथक स्टाफ

3975. **श्री बालकृष्ण वेंकन्ना नायक:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए एक पृथक प्रकार का स्टाफ होगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या नई भर्ती की जायेगी ; और

(ग) क्या कृषि में डिग्री तथा डिप्लोमा धारियों को प्राथमिकता दी जाएगी ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) (क) से (ग) शुरु शुरु में, सम्बद्ध प्रायोजक बैंक, क्षेत्रीण ग्रामीण बैंकों की शाखाओं को सुचारु रुप से चलाने के लिये आवश्यक संख्या में और कार्यानुरुप कर्मचारी देकर उनकी सहायता करते हैं। हालांकि सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की किसी खास शाखा के लिये कर्मचारियों का कोई निश्चित मापदण्ड नहीं निर्धारित किया है, फिर भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं को, उनके द्वारा किये जाने वाले कार्य की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, एक शाखा प्रबन्धक, एक कोषाध्यक्ष एवं लिपिक और एक कनिष्ठ लिपिक नियुक्ति करने की इजाजत दे दी गयी है। किसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की किसी शाखा द्वारा लिये जाने वाले कारोबार की मात्रा को ध्यान में रखते हुए लेखाकार और क्षेत्र अधिकारी (फील्ड आफीसर) भर्ती करने की भी व्यवस्था है।

इरादा यह है कि हर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिये अधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रत्यक्ष नियुक्ति संबद्ध राज्य के भीतर ही और तरजीही तौर पर बैंक के कार्य-चालन क्षेत्र से ही ऐसे उम्मीदवारों में से की जाय जिनमें आवश्यक योग्यता हो तथा जिनमें ग्रामोन्मुखता हो और गांवों के प्रति अभिरुचि हो। ये नये कर्मचारी प्रायोजक बैंकों से प्रतिनियुक्ति पर लिये गये कर्मचारियों का स्थान ले लेंगे। क्षेत्र अधिकारियों के पदों के लिये, उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जायेगी जो किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञानों और वाणिज्य में स्नातक हों।

ताल्लुका स्थानों पर खानपान-व-आवास गृह-व-रेस्टोरेंट

3976. **श्री बालकृष्ण वेंकान्ना नायक :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बदाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताल्लुका स्थानों जैसे छोटे कस्बों में जहां ग्रामीण जनता न्यायालय तथा कार्यालय या बैंक के काम से आती हैं साधारण लोगों के लिये सस्ते खानपान-व-आवास गृहों-व-रैस्टोरेंटों के वित्त पोषण की भावनाओं का पता लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो छोटे होटल मालिक, जो जनता की खाने की व्यवस्था करते हैं, भूमि तथा ऋण के रूप में किन शर्तों पर सहायता प्राप्त कर सकते हैं ; और

(ग) यदि इस समय कोई संस्थागत प्रबन्ध विद्यमान नहीं है तो क्या सरकार का विचार जनता के लिये आवास तथा खानपान कार्यक्रम में सहायता के लिये कोई योजना बनाने का है !

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) पांचवीं योजना के प्रारुप के पर्यटन विषयक प्रलेख में उत्तरदायित्वों के मोटे विभाजन के अनुसार केन्द्रीय सरकार उन प्रायोजनाओं में धन विनियोजन करेगी जिनसे कि मूलतः अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा और विदेशी मुद्रा की आय होगी, जबकि राज्य सरकारें अपने प्रयत्न अन्तर्देशीय पर्यटन सुविधाओं के विकास पर केन्द्रित करेंगी। अतः ताल्लुका स्थानों जैसे छोटे कस्बों में जन-साधारण के लिए सस्ते खानपान-व-आवास गृहों-व रेस्टारेंटों का विकास व उनकी वित्त-व्यवस्था करना राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है।

टोंगा को आर्थिक सहायता

3977. श्री के० लकप्पा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने टोंगा को आर्थिक सहायता देने की पेशकश की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) भारत ने टोंगा को भारतीय विशेषज्ञों की सेवाओं भारत में प्रशिक्षण की सुविधाओं और सिंचाई के पंप सेटों, पुस्तकों तथा वैज्ञानिक उपस्करों के रूप में सहायता प्रदान की है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण का वर्ष 1974-75 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन तथा 31-3-75 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रमाणित लेखे तथा लेखापरिक्षा लेखा

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण अधिनियम, 1971 की धारा 25 की उपधारा (2) के अन्तर्गत भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के वर्ष 1974–75 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(2) अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण अधिनियम, 1971 की धारा 24 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के 31 मार्च, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 10847/76]

समुद्री पोत युद्ध जोखिम बीमा योजना और संघ सरकार (सिविल) राजस्व प्राप्तियां— खंड I और II अप्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष करों के बारे में भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ :—

(1) समुद्री पोत युद्ध जोखिम बीमा योजना के प्रारूप की एक प्रति तथा योजना की एक प्रति। [ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी ०10848/76

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

(2) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1974-75 के प्रतिवेदन संघ सरकार (सिविल) राजस्व प्राप्तियां-खंड-एक-अप्रत्यक्ष कर और खंड दो-प्रत्यक्ष कर (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 10849/76]

टेक्सटाइल समिति (उपकर) संशोधन नियम, 1976

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं टेक्सटाइल समिति अधिनियम, 1963 की धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत टेक्सटाइल समिति (उपकर) संशोधन नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 10 अप्रैल 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सं० नि० 509 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूँ । [ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 10850/76]

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : अध्यक्ष महोदय, चूंकि विदेश मंत्री जिन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्तावपर वक्तव्य देना है, इस समय दूसरे सदन में है। मने उनके पास संदेश भेज दिया है, वह आते ही होंगे। इस बीच हम अगला आइटम ले सकते है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सभा के कार्य के बारे में वक्तव्य।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया)। अध्यक्ष महोदय, मैं घोषणा करता हूँ कि सोमवार, 17 मई, 1976 से, आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिये निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :—

(1) वित्त विधेयक, 1976
(आगे विचार तथा पारित करना)

(2) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 1976
(विचार तथा पारित करना)

(3) राष्ट्रीय पुस्तकालय विधेयक 1972 संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रुप में
(विचार तथा पारित करना)

(4) चाय (संशोधन) विधेयक, 1976
(विचार तथा पारित करना)

(5) अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) संशोधन विधेयक, 1976
(विचार तथा पारित करना)

(6) कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक 1976, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में
(विचार तथा पारित करना)

(7) विवाह विधि (संशोधन) विधेयक, 1976, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में

(विचार तथा पारित करना)

(8) टैरिफ आयोग (निरसन) विधेयक, 1976, राज्यसभा द्वारा पास किये गये रूप में

(विचार तथा पारित करना)

(9) जीवन बीमा निगम (समझौते में रूपभेद) विधेयक, 1976

(विचार तथा पारित करना)

(10) विक्षुब्ध क्षेत्र (विशेष न्यायालय) विधेयक 1972, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित में

(विचार तथा पारित करना)

(11) व्यापार पोत (संशोधन) विधेयक, 1976, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में

(विचार तथा पारित करना)

(12) फार्मेसी (संशोधन) विधेयक, 1976, राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में

(विचार तथा पारित करना)

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

ब्रिटेन में भारतीय नागरिकों को ब्रिटेन की नागरिकता ग्रहन करने अथवा ब्रिटेन छोड़ने के लिए बाध्य करने का ब्रिटिश सरकार का निर्णय

श्री इंद्रजित गुप्त (अलीपुर) : मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर विदेश मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"ब्रिटेनवासी भारतीय नागरिकों को ब्रिटिश नागरिकता ग्रहण करने अथवा ब्रिटेन छोड़ने के लिए बाध्य करने का ब्रिटिश सरकार का निर्णय।"

विदेश मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : सरकार ने इस आशय की खबरें समाचार-पत्र में देखी हैं कि ब्रिटेन के प्राधिकारियों ने ब्रिटेन स्थित भारतीय राष्ट्रिकों से कहा है कि वे ब्रिटिश राष्ट्रिकता ग्रहण करें और नहीं तो निष्कासन के लिए तैयार रहें। अनौपचारिक रूप से पता करने पर ब्रिटिश फोरेन आफिस ने इस बात से इनकार किया है कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को ब्रिटिश नागरिकता ग्रहण करने या ब्रिटेन छोड़ने को मजबूर करने का निर्णय किया है।

[श्री यशवन्तराव चव्हाण]

सदन को ज्ञात है कि ब्रिटेन में भारतीय मूल के लोगों की काफी संख्या है। ठीक-ठीक आंकड़े तो उपलब्ध नहीं हैं लेकिन अनुमान है कि इनकी कुल आबादी लगभग 500,000 है। इनमें से अधिकांश लोक स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद और 1960 दशाब्द के वर्षों के बीच गए थे जब कि ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रमंडलीय आप्रवासन अधिनियम (1962) बनाया और उसके बाद धीरे धीरे आप्रवासन पर प्रतिबंध कड़े कर दिए। हमारे पास इसके ठीक-ठीक आंकड़े तो नहीं हैं कि भारतीय मूल के कितने लोगों ने ब्रिटिश राष्ट्रिकता ग्रहण कर ली है लेकिन अनुमान है कि इनमें से 50 प्रतिशत ने ऐसा कर लिया होगा। ब्रिटेन स्थित भारतीय मूल के लोगों ने उस देश के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान किया है।

ब्रिटिश नागरिकता की स्वीकृति 1948 के ब्रिटिश राष्ट्रिकता अधिनियम के अन्तर्गत की जाती है जिसका समय समय पर संशोधन होता रहा है। इस अधिनियम के अंतर्गत, जो राष्ट्रमंडलीय नागरिक 1 जनवरी 1973 से पहले ब्रिटेन में प्रवेश कर चुके थे वे बिना किसी और अपेक्षा के 5 वर्ष के साधारण आवास की पूर्ति पर ब्रिटिश नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के अधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त 1971 के आप्रवासन अधिनियम में यह व्यवस्था है कि 1-1-73 को यू० के० में बसे राष्ट्रमंडलीय नागरिकों के विषय में यह माना जायगा कि उन्हें अनिश्चित काल तक यू० के० में रहने की छूट है। ऐसा समझा जाता है कि ब्रिटिश नागरिकता से संबंधित कुछ संदिग्धताओं को दूर करने के लिए इस समय राष्ट्रिकता अधिनियम का पुनरीक्षण हो रहा है लेकिन अभी तक न कोई निर्णय लिया गया है और न किसी कानून का प्रारूप तैयार हुआ है।

अखबारों में जिस तरह के कानून का उल्लेख है यदि वह कभी लागू होता है तो वह शायद भारतीय मूल के लोगों के लिए ही नहीं होगा बल्कि दूसरे आप्रवासियों के लिए भी होगा जिनमें एशिया के अन्य भागों, अफ़्रीका तथा केरेबियाई देशों के आप्रवासी भी शामिल होंगे। इसलिए इस प्रश्न को अलग से न देख कर उचित परिप्रेक्ष्य में इसकी अपनी सामग्रता में देखना ठीक होगा। फिर भी सरकार इस अवसर पर यह बताना चाहेगी कि ब्रिटेन में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों के प्रति, जो कि वहां के सामुदायिक जीवन में अपनी उचित भूमिका अदा कर रहे हैं, वहां जो उचित तथा मानवीय व्यवहार किया जाता है, उसको हमारी सरकार कितना महत्व देती है और साथ ही यह आशा भी व्यक्त करना चाहेगी कि ब्रिटिश सरकार इस बात का पूरा ख्याल रखेगी कि कोई ऐसी कार्रवाई न की जाए जिससे इन लोगों के लिए कोई तकलीफ या दिक्कत खड़ी हो जाए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : इस वक्तव्य से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि ब्रिटिश सरकार राष्ट्रिकता अधिनियम में चाहे कुछ भी संशोधन करने का विचार कर रही हो किन्तु उन्होंने हमारी सरकार से कोई परामर्श नहीं किया है। मैं समझता हूँ कि उन्हें ऐसा विचार करने से पहले हमारी सरकार से परामर्श करना चाहिए क्योंकि एक बात तो यह है कि हमारे देश के लगभग पांच लाख लोग वहां रह रहे हैं और काम कर रहे हैं और दूसरे भारत राष्ट्रमण्डल का एक अंग है।

अतः प्रथमतः मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या हमारी सरकार इन समाचारों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार से अनुरोध करेगी कि वह हमें सभी संशोधनों से अवगत करे और भारत सरकार से परामर्श करे।

दूसरे, विवरण को देखने से पता चलता है कि संशोधन राष्ट्रमण्डल के सभी नागरिकों पर लागू न होंगे तथा इस के लिए रंगभेद नीति अपनाई जाएगी। कनाडा, आस्ट्रेलिया के लोग भी

ब्रिटेन के निवासी हैं किन्तु वे गोरे लोग हैं। हमारी सरकार यह कहती है कि यह विधान भारत मूल के लोगों पर ही लागू नहीं होगा बल्कि एशिया, अफ्रीका, आदि अन्य महाद्वीपों के लोगों पर भी लागू होगा। अतः क्या हमारी सरकार ब्रिटिश सरकार से यह स्पष्टीकरण मांगेगी कि क्या न्याय विधान राष्ट्रमण्डल के सभी देशों के लोगों पर लागू होगा या कुछ देशों के लोगों पर यह लागू नहीं होगा ? समाचार पत्रों को देखने से हमारे मन में यह आशंका उत्पन्न हो गई है। अतः सरकार हमें यह बताने का कष्ट करे कि उसका इस बारे में क्या विचार है तथा वह क्या रवैया अपनाने जा रही है ?

तीसरी बात मैं ब्रिटेन में स्थायी रूप से रहने वाले उन भारतीयों के बारे में पूछना चाहता/ जो वहां पर डाक्टर हैं और जिन के बारे में ब्रिटिश सरकार यह सोचती है कि यदि उनको निकाल दिया जाए तो उनकी आधी स्वास्थ्य सेवा भंग हो जाएगी। इसके अलावा ब्रिटेन में कुछ भारतीय लोग ऐसा भी काम कर रहे हैं जो काम ब्रिटेन के लोग नहीं करना चाहते। इन के अलावा बहुत से कारखानों में औद्योगिक कर्मकार भी काम कर रहे हैं।

जहां तक हमारे देश का सम्बन्ध है यह बात सत्य है कि हम उन लोगों को पूरी तरह से रोजगार तथा अन्य सुविधायें नहीं दे सके हैं जिस कारण वे वहां पर जा कर काम कर रहे हैं। वे इस बात को ध्यान में रख कर वहां गए हैं कि चूंकि हम भी राष्ट्रमण्डल के सदस्य हैं इसलिए हमें वे सभी सुविधायें उपलब्ध होंगी जो राष्ट्रमण्डलीय देशों को उपलब्ध होती हैं। मैं इस बात से इंकार नहीं करता कि उन्हें वे सुविधायें उपलब्ध नहीं की गईं परन्तु यदि वे अब यह निर्णय कर लेते हैं और इन लोगों को कहते हैं कि या तो ब्रिटेन की नागरिकता स्वीकार करो या ब्रिटेन छोड़ दो तो क्या इसका अर्थ यह नहीं होगा कि उन्हें अनिवार्य रूप से देश से निकाला दिया जाएगा ? ब्रिटेन में कुछ ऐसे भी भारतीय हो सकते हैं जो भारतीय नागरिकता न छोड़ना चाहें। अतः क्या इसका यह अर्थ नहीं होगा कि उन्हें अनिवार्य रूप से ब्रिटेन छोड़ना पड़ेगा ?

यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि क्या ब्रिटिश सरकार अपनी बेरोजगारी के कारण ऐसा करना चाहती है या किसी विरोधाभास से। परन्तु हम नहीं चाहेंगे कि ब्रिटिश सरकार इस तरह से भारतीयों को तंग करके अपनी बेरोजगारी की समस्या का समाधान करे। इसलिए मैं सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार इन समाचारों को ध्यान में रखते हुए इस मामले को ब्रिटिश सरकार के साथ समय पर उठाएगी जिससे कि ब्रिटिश सरकार के साथ ठीक समय पर इस बारे में विचारविमर्श करके इस सभी समस्या का समाधान किया जा सके और ब्रिटन स्थित भारतीयों को इस प्रकार की परेशानी से बचाया जा सके ?

विदेश मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : इस समय मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि ब्रिटिश सरकार इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है इसलिए हमारे साथ परामर्श करने या हमें कोई जानकारी देने का प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने हमें बता दिया है कि उन्होंने इस बारे में कोई निर्णय नहीं किया है। मैं यह तो नहीं कह सकता कि वह ऐसा नहीं करेंगे किन्तु जब हम इस प्रश्न पर आपस में विचार कर रहे हैं तो मुझे इस बारे में स्पष्ट बात कहनी होगी। वर्ष 1962 से लेकर जो भी इस बारे में कार्यवाही की गई है वह कड़ी कार्यवाही की गई है। प्रथम आप्रवास अधिनियम में भारतीयों के ब्रिटेन में प्रवेश करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया था। भविष्य में क्या संशोधन किए जाएंगे यह इस समय कहना कठिन है। इसीलिए मैंने अपने वक्तव्य में चिन्ता व्यक्त की है। मैंने यह बात भी स्पष्ट कर ली है कि हम चाहते हैं कि हमारे देशवासियों के साथ उचित और मानवीय व्यवहार किया जाए क्योंकि वे ब्रिटेन के सामाजिक जीवन में अपनी उचित भूमिका अदा कर रहे हैं।

[श्री यशवन्तराव चव्हाण]

निस्सन्देह ब्रिटेन एक सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न देश है और वह कोई भी विधान बना सकता है। फिर भी हम उनसे अनुरोध करेंगे कि ऐसी कोई कार्यवाही न की जाए जिससे इन लोगों के लिए कोई तकलीफ या दिक्कत खड़ी हो जाए।

मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि यदि कोई ऐसा कानून बनाया गया जिसमें रंगभेद किया गया तो निस्सन्देह हम उसका विरोध करेंगे। इस समय मैं केवल यही कहना चाहता हूँ।

वित्त विधेयक, 1976—जारी

FINANCE BILL, 1976—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : सभा अब 12 मई, 1976 को श्री सी० सुब्रहमण्यम द्वारा पेश किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी, अर्थात् :—

"कि वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा अब अपना भाषण जारी कर सकते हैं।

Shri Sukhdeo Prasad Verma (Nawada) :I congratulate the Hon. Finance Minister for presenting a budget which reflects Government's determination to remove social and economic disparities that are prevalent in our country. Last year strong action was taken against smugglers and black-marketeers as a result of which people disclosed their black money. Strong action was taken against the tax evaders also. This was certainly a great achievement. Now the question is how to utilise the black money, that has been unearthed or is likely to be unearthed, for the uplift of the down trodden. It was to solve this problem that our Prime Minister had put before the country the 20 point economic programme and in order to implement this programme she had declared emergency. This emergency has proved a boon for the country. Now I would like to say something as to how we should implement this programme. Merely giving of land to the landless out of the surplus land will not solve their problem. Along with this land some financial aid should also been given to them. It is necessary to give them financial aid because otherwise those people will not be able to get any help from the banks or cooperative societies. At present banks and cooperative societies take a long time to grant loans. Government should take steps to make available loans to such people in time so that they could make use of them for developmental purposes. Unless this loan system is revised we cannot do justice with these people. The banks also need the guarantee of two guarantors for giving loans. It is difficult for the small farmers to give guarantee. That is why they are not able to make use of the loans.

In this connection I would like to give one example. As you know I have from Bihar and am also a Chairman of a Committee there. I have seen that in the Aurangabad district of Bihar in Nabi Nagar and Kutumba villages many people are engaged in the handloom industry. Those people are in great difficulty because they do not have money. As a result of paucity of money most of the handlooms are lying idle. On enquiry I have been told that the nationalised banks are not prepared to extend their help beyond eight kilometres. Since Nabi Nagar and Kutumba are at a distance which is more than

eight kilometres that is why the weavers engaged in handloom industry there, who are more than four thousand in number, are not able to enjoy this benefit. Since handloom is one of the items under the 20 point economic programme therefore the banks should be directed to extend help to those persons. This restriction of eight kilometres should also be removed or the pay office at Nabi Nagar should be asked to give loans to them. In this connection I would like to give one more point. The Punjab National Bank had offered to open its branch in Amlea provided they are given office accommodation there. The Collector of Aurangabad has found out accommodation for the branch but it has not been opened so far. Under such circumstances Bihar cannot make much progress.

Our Prime Minister, our Central Government and our State Governments are keen to make 20 point programme a success. But they alone cannot implement 20 point programme. In order to implement this 20 point programme it is necessary to gear up the administrative machinery. The performance of the administrative machinery should also be assessed. But it is our misfortune that the administrative machinery in Bihar is a victim of casteism. The Prime Minsiter had herself told in Patna that the administrative machinery of Bihar is a victim of casteism. Some effective steps should be taken in this regard. Some way should be found out to remedy the situation. In case it is not done then Bihar which is economically and socially backward, will continue to remain backward and it will never come up.

At the end of my speech I would like to say that under 20 point economic programme service societies should be set up in Bihar for the weaker sections of society. These societies will give loans to the weaker sections in Bihar.

With these words I close my speech.

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : वित्त मंत्री ने बड़े बड़े कारोबार-गृहों को और अधिक रियायतें देने की घोषणा की है। सरकार की पहले भी बड़े बड़े कारोबार-गृहों को अनावश्यक रूप से प्रसन्न करने की नीति रही है। इस वर्ष का आयव्ययक भी इसी नीति का परिचायक है। सरकार ये रियायतें शायद इसलिये देना चाहती है कि इससे उनको अधिक बचत होगी और वे उद्योगों में अधिक पूंजी लगा सकेंगे। सरकार की वास्तव में यह धारणा है कि ऐसा करने से अर्थ-व्यवस्था के मामले में जो संकट उत्पन्न हो गया है वह टल जायेगा। इसीलिये सरकार इसे अर्थव्यवस्था के मामले में एक नया मोड़ बना रही है। प्रधान मंत्री ने कहा है कि हम अब बहुत आगे बढ़ जाने की स्थिति में आ गये हैं।

उद्योग मंत्री, श्री टी० ए० पाई ने कहा कि इस देश में मंदी नहीं है। मेरे विचार में उनका यह कहना सर्वथा गलत है क्योंकि मंदी एक वास्तविकता है और इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। यह तो ठीक है कि उत्पादन में वृद्धि हुई है परन्तु यह भी सही है कि इस के कारण तालाबन्दी, जबरन छुट्टी, मिल बन्दी और श्रमिकों की भारी संख्या में छंटनी हो रही है। लगभग 5 लाख श्रमिकों की छंटनी कर दी गई है। यह एक पहलू है और दूसरा पहलू यह है कि उत्पादन बढ रहा है और स्टाक जमा हो रहा है। क्योंकि जिन लोगों की छंटनी कर दी गई है उनकी क्रय शक्ति समाप्त हो गई है। जब कभी भी उत्पादन बढ़ता है, तभी अनाज, कच्चे पटसन, कपास और अन्य वाणिज्यिक वस्तुओं के मूल्य बहुत ही कम हो जाते हैं और इससे किसानों की स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है। क्या ये सब इस बात की द्योतक नहीं है कि देश में मंदी या संकट है। कई कांग्रेसी सदस्यों तथा सी० पी० आई० के सदस्यों ने भी यही कहा है कि उत्पादन तो बढ़ा है परन्तु किसानों को पहले से भी कम पैसा मिला है।

[श्री समर मुखर्जी]

उत्पादन में तो 30 प्रतिशत वृद्धि हुई है जब कि बेरोज़गारों में 13 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इस-लिये अधिक रोज़गार के लिये अधिक उत्पादन का नारा बिल्कुल भ्रामक है क्योंकि वास्त-विकता इस के प्रतिकूल है। यही कारण है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति अधिकाधिक खराब होती जा रही है।

अब यह प्रचार हो रहा है कि मूल्यों में स्थिरता आ गई है। परन्तु मूल्य पहले ही बढ़ने लग गये हैं। इसका क्या कारण है? उत्पादन का बढ़ना, श्रमिकों की छंटनी और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कटौती करना इस बात को सिद्ध करता है कि सरकार शोषण पर आधारित एक पूंजीवादी पद्धति का विकास कर रही है।

आज चीनी का निर्यात हो रहा है जबकि देश में चीनी बहुत महंगी बिक रही है। चीनी की कई मिलें पहले ही बन्द पड़ी हैं। कपड़ा मिलें भी बन्द पड़ी हैं। इस के बावजूद यह कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति में बहुत ही अधिक सुधार होने जा रहा है। यह शायद इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उत्पादन बढ़ा है। परन्तु बढ़े हुए इस उत्पादन का आम लोगों को क्या लाभ हो रहा है— आम जनता को इससे लाभ न होने का कारण यह है कि हमारी समस्त अर्थव्यवस्था पर एकाधिकारवादियों, चोर बाजारी करने वालों और जमा-खोरों का नियंत्रण है और सरकार भी इन्हीं लोगों को अधिकाधिक रियायतें दे रही है। अब देश में एक नया युग आरम्भ हुआ है जिसमें भारत की बड़ी बड़ी कम्पनियां बहु-राष्ट्रीय निगमों के साथ गठजोड़ कर रही हैं और मध्य-पूर्व के देशों में अपनी पूंजी लगाने के लिये नई नई योजनाएं बना रही हैं। चूंकि देश में मंदी है इसलिये निर्यात को बढ़ावा मिल रहा है और इसीलिये बहु-राष्ट्रीय निगमों को रियायतें दी जा रही हैं। इन निगमों का मुख्य प्रयोजन तो मुनाफा कमाना है और एक बार ऐसा समय आयेगा जब ये देश इसका बुरा मनाने लगेंगे और भारत की शान पर धब्बा लगेगा।

विश्व बाज़ार में कड़ी प्रतियोगिता होने के कारण पटसन की सभी मिलें बन्द होती जा रही हैं। पटसन उद्योग में 33,000 स्थायी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। बंगाल मज़दूर यूनियन ने श्री रघनाथ रेड्डी को सम्बोधित अपने एक पत्र में लिखा है कि वहां पर 50,000 श्रमिक भूख से मर गये हैं। अन्य क्षेत्रों में भी ऐसी मौतें हुई हैं। तमिलनाडू में इण्डिया मीटर्ज़ लिमिटेड के श्रमिकों से प्राप्त हुए एक पत्र से पता लगा है कि एक लड़की तथा एक श्रमिक ने आत्महत्या कर ली है। वहां के श्रमिकों की दशा भी दयनीय है। इन परि-स्थितियों में यह कहना कितना भ्रामक है कि हमने देश को संकट से मुक्त कर लिया है।

इस के बावजूद, श्री टी० ए० पाई ने कहा है कि हम अपने आप को विकासशील देश न मानें क्योंकि अब हम विकसित देशों में शामिल हो गये हैं। परन्तु वास्तविकता यह है कि यह देश इस समय मंदी का सामना कर रहा है। स्थिति दिन प्रति दिन बिगड़ती जा रही है और सरकार जिस नीति का पालन कर रही है उससे स्थिति और भी अधिक बिगड़ती चली जायेगी। इस का कारण यह है कि हमारे देश में पुंजीवाद का विकास हो रहा है जबकि विश्व में पूंजीवाद पर संकट आया हुआ है। चुंकि सरकार पूंजीवाद के प्रभाव में है इसलिये वह अपनी अर्थव्यवस्था को पूजीवाद पर आए संकट से बचा नहीं पा रही है। और इसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था दिन प्रति दिन बिगड़ती जा रही है। इस का अन्तिम परिणाम क्या होगा उस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये।

इस समय भारत में लोग भूखों मर रहे हैं और इस से तंग आकर आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि मंदी के कारण वे बेरोज़गार हो गये हैं; जबकि लगभग एक मास पूर्व प्रकाशित

हुए एक चीनी दस्तावेज से पता लगा है कि वहां पर कोई भी बेरोज़गार नहीं है यहां तक कि वहां पर अपंग व्यक्ति भी काम में लगे हुए हैं । इसका कारण यह है कि वहां पर बढ़िया प्रोद्योगिकी का सदा उपयोग किया जाता रहा है ।

श्री एस० आर० दामानी (शोलापुर) : कृपया यह बताए कि क्या चीन में लोकतंत्र और वाक् स्वतंत्रता है ?

श्री समर मुखर्जी : भारत में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है । यहां पर लोग भूखे मर रहे हैं । जबकि चीन ने अपने देश में बेरोज़गारी और खाद्य की समस्या को हल कर लिया है और गरिबी को समाप्त कर दिया है । हम भी ऐसा समाज स्थापित कर सकते हैं परन्तु हमारी समस्त अर्थ व्यवस्था और सरकारी तंत्र पर बड़े बड़े कारोबार-गृह छाये हुए हैं ।

आज हम देख रहे हैं कि बेरोज़गारी को समाप्त करने के लिये विश्व में एक एक करके अधिकतर देश मार्क्सवाद और लेनिनवाद के झण्डे के नीचे श्रमिकों के नेतृत्व में समाजवाद का रास्ता अपना रहे हैं । यह एक ऐतिहासिक क्रम है और इसे रोका नहीं जा सकता । परन्तु हमारी सरकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना कर और लाखों लोगों को नौकरी से हटा कर अपने विनाश की बुनियाद रख रही है ।

इस अर्थव्यवस्था से अनुशासन, आपात स्थिति और विधि और व्यवस्था का प्रश्न जुड़ा हुआ है क्योंकि इस संकट और मंदी से बचने के लिये पूंजीवादी यह भार सदा श्रमजीवी कर्मचारियों पर ही डालते आये हैं । इसीलिये सरकार पर उद्योगों को रियायतें देने के लिये प्रभाव डाला जा रहा है । पटसन की सभी मिलों को करों में छूट दे दी गई है । उत्पादन शुल्क समाप्त कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त उन्हें नकद सहायता भी दी जा रही है । इसके बावजूद भी वे संतुष्ट नहीं है । वे चाहते हैं उत्पादन लागत को कम किया जाये । इसका प्रभाव सीधे श्रमिकों पर पड़ता है । क्योंकि वे कम श्रमिकों की सहायता से ही उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं चूंकि वे जानते हैं कि श्रमिक ऐसा करने में बाधा डालेंगे, इसलिये अब कार्मिक संधों को दबाया जा रहा है । अनुशासन के नाम पर लोकतंत्र को समाप्त किया जा रहा है । वित्त मंत्री ने कहा है कि देश को आगे ले जाने के लिये यही एक अनुकूल वातावरण है और इसे बनाये रखा जाये । स्पष्ट है कि शोषक वर्गों के लिये आपात स्थिति अधिकाधिक मुनाफा कमाने, श्रमिकों और कर्मचारियों की आय में कमी करने तथा बोनस को समाप्त करने के लिये एक अच्छा मौका है ।

यह कितनी शर्मनाक बात है कि जीवन बीमा निगम और उस के कर्मचारियों के बीच 1974 में हुए समझौते को समाप्त करने के लिये इस सभा में एक विधेयक पेश किया गया है ।

"इकानॉमिक टाइम्स" में प्रकाशित हुई एक समीक्षा के अनुसार यहां पर 199 बड़े बड़े उद्योग गृह हैं जो केत्यधिक मुनाफा कमा रहे हैं । इस का अर्थ यह हुआ कि धन केवल कुछ ही बड़े बड़े कारोबार गृहों, पूजीवादियों और मुनाफाखोरों के पास इकट्ठा हो रहा हैं और आम लोगों की दशा दयनीय होती जा रही है । सविधान के निदेशक तत्वों के अनुसार असमानता को दूर किया जाना चाहिये परन्तु वास्तव में यह बढ़ रही है । एक और तो बड़े बढ़े उद्योग गृह अधिकाधिक मुनाफा कमाने में लगे हुए है और दूसरी ओर किसानों और श्रमिकों के जीवन को नष्ट किया जा रहा है । इससे असमानता दिन प्रति दिन और अधिक बढ़ती जा रही है ।

[श्री एस० आर० दामाणी]

हम चाहते हैं कि लोकतंत्र को पुनः स्थापित किया जाये जिससे किसानों को अपनी उपज के लिये वास्तविक मूल्य मिल सके । अमिकों को पूरे अधिकार मिलने चाहिये जिससे वे अपनी मांगे पेश कर सकें। सरकार तो नियोजकों का समर्थन करती है । इसीलिये यह आवश्यक है कि आपात स्थिति को समाप्त किया जाये, सभी नेताओं को रिहा कर दिया जाये तथा नागरिक स्वाधीनता को पुनःस्थापित किया जाये । संविधान संशोधनों पर चर्चा का अवसर नहीं दिया जा रहा जबकि प्रधान मत्री ने भी अनेकबार धोषणा की है कि इस बारे में राष्ट्रीय स्तर पर विचार होगा । आप कार्यपालिका को शक्तिशाली बनाने जा रहे हैं और न्यायपालिक तथा विधान-मंडल के अधिकारों तथा कृत्यों को कम करने जा रहे हैं । संविधान में जनता को जो मूल अधिकार दिये गये हैं वे जनता को एक लम्बे संघर्ष के पश्चात मिले हैं । अतः हम सभी लोग यह चाहते हैं कि इस चर्चा में न केवल सत्तारूढ़ दल को वरन विपक्षी दलों को भी शामिल किया जाये । यह प्रश्न आगामी आम चुनावों के लिए रखा जाना चाहिए जिसके आधार पर नव-निर्वाचित संसद सविधान संशोधनों का मामला उठा सकती है ।

एक के बाद एक कारखाना बन्द होना बहुत गम्भीर प्रश्न है । सरकार यूनियनों को तोड़ने के लिए गुण्डों तक का सहारा ले रही है । सबसे अधिक आश्चर्य की बात तो यह है कि सरकार ने देश भर में मई दिवस जलसे तक नहीं होने दिये । जिस तरह ट्रेड यूनियन आन्दोलन को दबाया जा रहा है और मई दिवस प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाया गया है उससे सरकार के वास्तविक स्वरूप का पता लगता है । यही कारण है कि मैं इस वित्त विधेयक का विरोध करता हूं और सरकार से आपात स्थिति की घोषणो वापस लेने का अनुरोध करता हूं कि ताकि लोगों को अपने विचार निर्बाध रूप से व्यक्त करने का मौका मिले और देश में एक स्वस्थ वातावरण पैदा हो ।

डा० वी० के० आर० वी० राव (बेल्लारी) : मुझसे पहले जो माननीय सदस्य बोल रहे थे उनका भाषण सुनकर मुझे खेद हुआ और उनके इस कथन से कि मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धान्तों पर आधारित समाजवादी समाज की स्थापना हुए बिना कोई आर्थिक समस्या हल होना सम्भव नहीं है । मैंने पहली बार समाजवादी विचारों के एक प्रमुख सदस्य को यह कहते सुना है कि उत्पादन बुरा है और उत्पादन वृद्धि के कारण यह संकट उत्पन्न हुआ है ।

श्री समर मुखर्जी : मैंने यह कभी नहीं कहा कि उत्पादन बुरी बात है । यह कथन को तोड़ मरोड़ा गया है । मैंने केवल यह कहा है कि उसका लाभ जनसाधारण को नहीं मिला है । मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि वितरण व्यवस्था ऐसा होनी चाहिए कि जिससे सामान्य जन को उसका लाभ मिले । आर्थिक मंदी एक अन्तर्राष्ट्रीय समस्या है ।

डा० श्री० के० आर० वी० राव : यदि सदस्य महोदय के भाषण का मूलपाठ देखा जाये तो स्पष्ट हो जायेगा कि उन्होंने उत्पादन वृद्धि को संकट का कारण बताया है । मुझे मालूम है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि होने पर कीमतें घट जाती हैं । 1955 के आसपास भी ऐसा हुआ है जब उत्पादन बढ़ जाने के परिणामस्वरूप किसान परिवारों की कुल आय घट गई थी । परन्तु मेरे विचार से आज यह स्थिति नहीं है क्योंकि वसूली कीमतों में कमी नहीं की गई है । वास्तव में खुले बाजार म कीमतें नीचे चली गई हैं यदि सदस्य महोदय यह कहते कि भंडारण सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं और राज्य सरकारें तथा खाद्य निगम पूरी कार्यकुशलता के साथ काम नहीं कर रहे और इस कारण किसानों को कठिनाई है तो मैं उसका स्वागत करता और यह समझ में आता कि इस वर्ष कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
MR. DEPUTY SPEAKER *in the chair*]

दो तीन वर्ष पहले इस सभा में मैंने सरकार से कहा था कि वह उत्पादन में वृद्धि की ओर अधिक ध्यान दे क्योंकि जब तक उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी तब तक वितरण सम्बन्धी कोई भी कानून गरीबी नहीं हटा सकता उसके बिना बेरोजगारी की समस्या हल नहीं हो सकती । जब तक देश में उत्पादन तथा सेवाओं में पर्याप्त वृद्धि नहीं होगी तब तक सामाजिक न्याय और सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना सम्भव नहीं है ।

यह भी विचारणीय है कि उत्पादन बढ़ने के साथ साथ रोजगार में कितनी वृद्धि हुई है । क्या यह सच नहीं है कि भारी संख्या में छंटनी हुई है और क्या यह समस्या कुछ ही उद्योगों में या सभी उद्योगों में है ? माननीय वित्त मंत्री को मेरा सुझाव है कि तालाबन्दी छंटनी और जबरन छुट्टी आदि की समस्या के बारे में जो पश्चिमी बंगाल में विशेषरूप से है विशिष्ट जांच की जानी आहिए और उनके हल के लिए स्पष्ट नीति विषयक उपाय चाहें वे कर सम्बन्धी हों या अन्यथा निकाले जाने चाहिए ।

मेरा विश्वास है कि हमारी अर्थ व्यवस्था लड़खड़ा रही है । हो सकता है कि मेरी यह धारणा मेरे पुंजीवादी-अर्थशास्त्री होने के कारण हो । मैं पुंजीवादी-अर्थशास्त्री की हैसियत से कह सकता हूं कि भारतीय अर्थ-व्यवस्था में छिन्न भिन्न होने के आज सभी लक्षण विद्यमान हैं क्योंकि विगत वर्षों में आर्थिक विकास के लिए कोई अनुकूल परिस्थिति नहीं रही है । उदाहरण के लिए हम खाद्यान्न की कीमतों और उनके बफर स्टाक की स्थिति को देखें और विदेशी-मुद्रा और निर्यात में वृद्धि की स्थिति को देखें । हम इस तथ्य को भी देखें कि औद्योगिक विवादों से पहले की अपेक्षा कम दिनों की हानि हुई है । परन्तु ऐसी स्थिति होते हुए भी हमारी अर्थ-व्वस्था आगे क्यों तेजी से नहीं बढ़ रही है ?

पहले व्यापारी लोग सरकारी क्षेत्र पर आरोप लगाते रहे परन्तु पिछले एक वर्ष में इस क्षेत्र ने उत्पादन की दिशा में बहुत अच्छा कार्य करके दिखाया हैं । लेकिन स्पष्टत: बजट में निजी उद्यमिनियों को प्रोत्साहित किया गया है ताकि वे अधिक पूंजी लगायें और अर्थ-व्यवस्था को गतिशील रखें । वित्त मंत्री के बजट प्रस्तावों के प्रति व्यापारी वर्ग ने जो प्रतिक्रिया दिखायी उससे मुझे निराशा हूई है । सरकार की इस कार्यनीति के पीछे जो दर्शन है उसका उद्देश्य ऐसी स्थिति उत्पन्न करना है जिसमें अर्थ-व्यवस्था के पक्ष में जाने वाली बहुत सी बातों का फायदा उठाया जा सके और सैकड़ों निजी उद्यमी और निजी क्षेत्र में लगे अन्य व्यक्ति उत्पादन बढ़ायें और जमाखोरी न करें ।

यदि निजी क्षेत्र उन रियायतों का लाभ उठाकर जो उसे इस वर्ष के बजट में दी गई हैं अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करता तो सरकार को इस सम्बन्ध में कदम उठाने होंगे । सरकार ने इस उदार नीति का जानबूझ कर अनुसरण किया है जिससे कि अर्थव्यवस्था को गति मिल सके । निजी क्षेत्र को और अधिक रियायतों की मांग नहीं करनी चाहिए । यदि किसी प्रकार की मांग करनी भी है तो उसका अधिक प्रचार नहीं किया जाना चाहिए ।

वर्ष 1972—73 की तुलना में कीमतों में 15 से 16 प्रतिशत की कमी आई है । पर इसी वर्ष के दौरान कीमतों में 55 से 60 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई । अब हम मुद्रास्थीति का जोखिम नहीं उठा सकते । मन्दी को घाटे की व्यवस्था के लिए बहाना नहीं बनाया जा सकता ।

मैं करों में दी गई रियायतों के विरुद्ध नहीं हूं । हमें अर्थव्यवस्था को गति देने, उत्पादन बढ़ाने रोजगार के अधिकाधिक अवसर पैदा करने और आय में वृद्धि करने हेतु हर सम्भव प्रयास करने चाहिए ।

[डा० वी० के० आर० वी० राव]

वित्त मंत्री ने एकीकृत ग्रामीण विकास का जिक्र किया है जो एक प्रशंसनीय परिवर्तन है। यह कोई चाल नहीं है। यह एक ऐसा कदम है जो अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार और सुधार के लिए एक आधारभूत कारक है। अत: इससे चिर अपेक्षित ग्रामीण विकास की आवश्यकता की पूर्ति होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने लगभग 23 मिनट के लिए है।

डा० वी० के० आर० वी० राव: व्यवधानों को ध्यान में रखते हुए आप मुझे कुछ और समय देंगे।

राष्ट्रीय एकता के लिए कुछ न कुछ आवश्य किया जाना चाहिए। यह कार्य केन्द्र द्वारा पहल करने पर ही किया जा सकता है इस विषय में मेरे कुछ सुझाव है स्कूलों को पाठ्य-पुस्तकें के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए तथा इसके कार्यान्वियन के लिए अपेक्षित धन की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसी प्रकार व्यस्क शिक्षित व्यक्तियों के लिए साहित्य के प्रकाशन के सम्बन्ध में भी राष्ट्रीय नीति अपनाई जानी चाहिए और उसके क्रियान्वयन के लिए भी केन्द्र द्वारा वीतीय व्यवस्था की जानी चाहिए इसके अलावा विभिन्न भाषाओं की पुस्तकों का एक अतिरिक्त सामान्य लिपि, देवनागरी में लिप्यान्तरण किया जाना चाहिए। इससे राष्ट्रीय एकता लाने में मदद मिलेगी।

श्री एच० एम० पटेल (ढ़न्ढुका) : आश्चर्य की बात है कि उत्पादन में वृद्धि होने पर भी इसका देश को समग्र रूप से लाभ नहीं हुआ है। आज भी मंदि का वातावरण यथावत् बना हुआ है। कई उद्योग कठिनाई में है और बन्द हो रही है। बजट में रियायत देने, कई अनेक कार्य करने पर भी अर्थव्यवस्था में गति क्यों नहीं आई? स्थिति का यथावत् रहने का क्या कारण है। इसका उत्तर है कि कुछ औद्योगिक उत्पादन के लिए पर्याप्त मांग नहीं है और पर्याप्त योग न होने का कारण है लोगों की क्रयशक्ति में ह्रास। कपड़ा उद्योग में बहुत मंदी है। कपड़े के अधिकांश खरीददार ग्रामीण होते है और उनके पास कपड़ा खरीदने के लिए पैसा नहीं है। ग्रामीण शहरी दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ रही है। अच्छी फसल होने पर भी किसान लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि नही हुई है।

कहा गया है कि खाद्यान्नों के बाजार मूल्यों में गिरावट आई है पर वसूली मूल्य वही है। यह सही नही है। वसूली मूल्य केवल कागजों में ही निर्धारित किये गये हैं। सरकार ने अनुदेश दिये है कि किसानों के पास जितना भी गेहूं हो जिसे वे बेचना चाहते हों खरीद लिया जाये जिससे किसी भी किसान को अपना माल वसूली मूल्य से कम मूल्य में बेचना पड़े। लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। किसानों को अपना माल निर्धारित वसूली मूल्यों से बहुत कम कीमत पर बेचना पड़ रहा है क्योंकि सरकारी तंत्रव्यवस्था इतनी चुस्त और कार्यकुशल नहीं है जितनी उसकी कल्पना की जाती है। कुछ भी हो किसान की क्रयशक्ति में वृद्धि नहीं हो पाई है इसका प्रभाव उद्योगों पर पड़ रहा है।

सरकार द्वारा उद्योगों को रियायतें दिये जाने के बावजूद वह अपना उत्पादन नहीं बढ़ा पाये है। यदि सरकार वास्तव में चाहती है कि औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हो तो उसे इन उद्योगों को अधिक ऋण सुविधा देनी होगी।

निजी क्षेत्र ऋण इसलिए चाहता है **(व्यवधान . . .)**

उद्योग अधिकाधिक उत्पादन करने के लिए ऋण मांगते है उन्हें ऋण सुविधाएं दी जानी चाहिए जिससे कि वे अपनी कठिनाईयों पर काबू पा सकें।

सरकार को मालूम है कि पिछले वर्ष कपास की बहुत अच्छी फसल हुई इससे उसके मूल्य गिर गये। सरकार को रूई का निर्यात करना पड़ा। जिससे कि किसानों को नुकसान न हो। इस वर्ष उत्पादन कम हुआ और किमतें बढ़ गई। अब हम आयात की बात सोच रहे है। कृषि मूल्यों में इस प्रकार के असंतुलन को समाप्त किया जाना चाहिए। उनमें अस्थिरता और अनिश्चता नहीं आने देना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मूल्य गिरने से किसानो की हानि न हो; ठीक कदम उडाये जाना चाहिए मौलिक एवं वित्त सम्बन्धि नीतियां तैयार करने में सरकार को वित्तीय या राजनितीक यथार्थताओं को ध्यान में रखनाही पड़ेगा। की भी सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उत्पादन बढ़ने से किसान को हानि न हो। इस बात पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि हमारी 70 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है।

मालूम नहीं विधेयक के खण्ड 25 में शामिल उद्योगों की सूची में खान उद्योग के क्यों नही सम्मिलित किया गया है, जबकि यह उद्योग वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित सभी मानदण्डों की पूर्ति करता है। इस सूची में इस उद्योग को शामिल न करना एक आश्चर्यजनक बात है। सरकार को इस मामले पर पुनर्विचार करना चाहिए। मैं वित्त मंत्री को आर्थिक प्रस्ताव तैयार करने में उदार निती अपनाने के लिए बधाई देता हूं लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि सरकार आर्थिक वास्तविकताओं का साहस से और पूर्ण रूप से सामना नहीं कर रही है और इस लिए देश की अर्थ-व्यवस्था में इतना सुधार नहीं हो पा रहा है जितनी की आशा थी।

प्रधान मंत्री ने कहा था कि वह संसिवधान सम्बन्धी संशोधनों पर राष्ट्रीय स्पर पर चर्चा करना चाहेंगी इसके लिए विरोधी दलों को अधिकाधिक सुविधाऐं दी जानी चाहिए जिससे कि वे इस विषय पर एक दूसरे से विचार विमर्श कर सकें।

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj): Mr. Deputy Speaker, Sir, I congratulate the Finance Minister for presenting such a nice budget. But I would like to draw his attention to a few things.

Nothing has been done for development of backward areas. In this respect I want to mention North Bihar and Eastern U.P. having a population of about 5 crores which is 13 or 14 per cent of the national population. The expenditure incurred to remove backwardness of these places is inadequate. Would you kindly tell me as to what has been done for the development of backward areas and what results have been achieved?

An announcement was made to give concessions to set up industries there but no industry has been set up there, particularly in North Bihar.

Private money-lending system in States has almost been abolished. Private money lenders do not want to advance loans to the poor. Poor persons are not getting money for their day-to-day needs. We are abolishing bounded labour system, but we are not making proper arrangements to help the poor. Banks are in inadequate number. They are not serving the purpose. There should be one branch of the bank at a radius of every 10 miles from which people may get loans. If such arrangements are not made at an early date, the poor will be much harassed by private lenders.

Budget proposals are not properly implemented. Bureaucracy misuses power and thus there is resentment in the Department and unscrupulousness grows there.

Unless there is infrastructure in backward areas, how can integrated rural development take place? A scheme should be formulated therefor and small villages, which have not been developed, should be included under integrated

[Shri D. N. Tiwary]

development scheme. You will see that their condition has improved. The areas facing unemployment problem, less per capita income, shortage of power etc. should be covered under it. They should be developed first. So that they think that thy have been included in the main stream of the nation.

श्री शक्ति कुमार सरकार (जयनगर): आज प्रत्येक व्यक्ति प्रत्यक्ष करों में 10 करोड़ रुपये की पर्याप्त कटौती करने के कारण राहत महसूसकर रहा है। इससे देश की अर्थव्यवस्था अच्छी बनेगी।

ऐसी कुछ बातें अवश्य हो रही है जिनसे इन्कार नहीं किया जा सकता जैसे कारखानों में छंटनी जनरल छुट्टी हो रही हैं तथा कारखाने बंद भी हो रही है और संगठित क्षेत्र को घाटा हो रहा है। इसके साथ ही बाजार में उपभोक्ता सामान की मांग नहीं है। अखबारो में देखा जा रहा है कि प्रतिदिन प्रत्येक चीज घटे हुए मूल्य पर बेचने के लिए दी जाती है। इससे इस बात का पता चलता है कि लोगों की क्रयशक्ति समाप्त हो गई है इसीलिए क्रेता को इतना अधिक प्रलोभन दिया जा रहा है। इस वास्तविकता की उपेक्षा नहीं की जा सकती। केन्द्र द्वारा केवल प्रशुल्क में छूट दे देना अथवा करों में कुछ कटौती कर देना ही पर्याप्त नहीं है। हम इस बात को भी उपेक्षा नहीं कर सकते कि राज्य सरकारें ऐसे कर और शुल्क लगाने का प्रयास कर रही हैं जो लोगों के कष्ट निवारण करने के लिए बनाए गए कार्यक्रमों को ही प्रभावित कर रहे हैं। आज हम छूट दे रहे हैं परन्तु उससे लाभ उठाने की स्थिति में कोई नहीं है। समस्या का सार यही है। हमें इस पर गौर करना होगा। अर्थव्यवस्था में इस तरह की कमी पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

बडे बड़े दावे किए जाते हैं कि हमारा कृषि उत्पादन बढ़ा है। मैं इससे इन्कार नहीं कर रहा हूं परन्तु इसका परिणाम क्या हुआ है? क्या किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में कुछ निवेश करने और इससे सुदृढ़ करने को तैयार हैं? कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य अंग है। 80 प्रतिशत लोग कृषि कार्य करते हैं। यदि ये लोग कोई योगदान करने को तैयार नहीं होते हैं तो आप ऐसी किस चीज की आशा कर सकते हैं जिससे हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सकती है? इस पर गौर करना होगा। जब तक किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलेगा, तब तक वे अधिक उत्पादन नहीं कर सकेंगे।

यह बड़ी अच्छी बात हैं कि "कोर" (महत्वपूर्ण) क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के विकास के लिए 31 प्रतिशत वृद्धि हुई है। परन्तु मैं इस सम्बन्ध में यहां यह चेतावनी देन चाहता हू कि महत्वपूर्ण क्षेत्र पर भारी अपव्यय होने की पूरी संभावना है, क्यों कि हमारा कार्यान्वयन तंत्र बहुत भ्रष्ट है। और इससे वांछित परिणाम नहीं मिल सकेगा। अतः इस पर मंत्री महोदय को विचार करना होगा।

अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए निर्धन वर्ग के समुदाय की समस्याओं पर ध्यान दिया जाना होगा। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि हमारी जो बड़ी परियोजनायें और समूह हैं उन सबके साथ पिछड़े क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था जोड़ी जा सकती है। इससे समूचे देश को लाभ होगा।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय और मंत्रालय को दो दशकों के दौरान की गयी त्रुटियों को सुधारने का प्रयास करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

Shri Genda Singh (Padrama): Mr. Deputy Speaker, U.P. and Bihar are economically backward today. There are a number of rivers there and we have to face the floods every year, but proper arrangements to solve the flood problem have not been made so far. Solution should be found in this regard at an early date.

There are many sugar mills in our State. It is supplying sugar all over the world and thus earning foreign exchange.

There are cooperative sugar mills all over India except Uttar Pradesh and Bihar and farmers are happy there. Consumers have also benefited thereby. The cooperative sugar mills also the backbone of the country.

Private sugar mills are 31 years old. They have no capital. Even then they are owners of these mills. These mills should be taken over by Government but it is said that a lot of money is required to take them over. Why this money is required? They have looted the country, consumers, labourers and farmers for the last 31 years and even then they want money. A decision should be taken in this regard. The private sugar mills in U.P. and Bihar should be closed completely.

श्री ए० एम० बनर्जी (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय जो राहतें अभी हाल में दी गई है उनका सभी लोगों ने स्वागत किया है। मैं यह आशा कर रहा था कि वित्त मंत्री मध्यवर्गीय कर्मचारियों को कुछ राहत देंगे और छूट की राशि 8000 रुपये से बढा कर 12000 अथवा कम से कम 10,000 रुपये कर दी जायेगी। किन्तु दुर्भाग्य की बात तो यह है कि जब उन लोगों को ढेर सारी राहतें दी गई जिन्हें उनकी आवश्यकता ही नहीं थी। किन्तु वेतनभोगी कर्मचारियों की मांग कि कर छूट राशि की सीमा बढ़ाकर 12000 अथवा 10,000 कर दी जाये स्वीकार नहीं की गई। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह मांग क्यो नहीं मानी गई।

अनिवार्य जमा योजनाको एक वर्ष और जारी रखने से क्या लाभ है? जब मूल्यों में कमी आ रही है और महंगाई भत्ते की और किस्त देने का प्रश्न नहीं है तो एक वर्ष तक इस योजना जारी रखने का क्या औचित्य है। मैं यह चाहता हूं कि इस योजनाको समाप्त कर दिया जाये। जो कर्मचारी इस राशिको भविष्य निधि में जमा करना चाहता है उसे जमा करने दिया जाये और जो इस धनराशि को वापिस लेना चाहता है उसे दे दी जाये। हम इस योजना को जारी रखने का विरोध करते हैं।

जहाँ तक बोनस का सम्बन्ध है इसे घटा कर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज मामलों का क्या होगा? जब कर्मचारियों को 5 प्रतिशत से अधिक बोनस नहीं दिया जायेगा तो अनिवार्य जमा योजना को जारी रखने की क्या आवश्यकता है।

देश में बेरोजगारी और अल्प-रोजगार में होड-सी लगी है। अनेक एककों को अर्ध अथवा पूरी तरह से बन्द किया जा रहा है। आज लगभग $5\frac{1}{2}$ लाख लोग जबरन छुट्टी और एककों के बन्द होने से बेरोजगार हो गये हैं। बंगाल में लगभग दो लाख व्यक्ति बिना नौकरी के हैं।

माननीय मन्त्री प्रो० चट्टोपाध्याय ने यह घोषणा की थी कि कानपुर में कुछ कपड़ा मिलों का प्रबन्ध सरकार द्वारा अपने हाथों में लिया जा रहा है। इसके लिये एक विधेयक लाने की बात थी किन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया है। मैं इस सम्बन्ध में एक स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि इसके लिये कब विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जायेगा।

[श्री० एस० एम० बनर्जी]

दूसरी बात मैं उस विधेयक के बारे में कहना चाहूंगा जिसे जीवन बीमा निगम तथा जीवन बीमा निगम कर्मचारी संघ के बीच हुए समझौते को रद्द करने के लिये लाया जाना था। इस सदन में यह आश्वासन दिया गया था कि सदन में विधेयक पर चर्चा होने से पहले इस सम्बन्ध में हमारी सलाह ली जायेगी और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की भी सलाह ली जायेगी। इस सम्बन्ध में आगे कार्यवाही कब की जायेगी।

मामला विवादग्रस्त होने के कारण 15 प्रतिशत बोनस की अदायगी नहीं की गई है और कुछ मामले न्यायालयों में पड़े है। संसद सर्वोच्च सत्ता है और किसी उच्च न्यायालय में मामलों के होने पर भी वह इसके बारे में निर्णय ले सकती है।

देश में सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में पुनः वृद्धि हो रही है। मूल्यों को बढ़ाने से रोकने के लिये क्या ठोस कदम उठाये जा रहे है ?

एक बार मैंने पदयात्रा का उल्लेख किया था। लोगों ने समझा मैं मजाक कर रहा हूं। किन्तु दिल्ली में जब पदयात्राओं का आयोजन किया गया और बड़े बड़े लोग पदयात्राओं पर निकले तो मूल्यों में गिरावट आ गई किन्तु ज्योंही पदयात्रा समाप्त हुई पुनः मूल्यों में वृद्धि हो गई। इस प्रकार की पदयात्रा का क्या लाभ ?

डॉ० रानेन सेन : एक निरन्तर पदयात्रा चलनी चाहिये।

श्री एस० एम० बनर्जी : जब तक आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्यों में गिरावट नहीं आती, मूल्यों में कमी नहीं आ सकती।

मुझे समझ नहीं आता कि बहुदेशीय निगम जैसे फिलिप्स, हिन्दुस्थान लिवर लिमिटेड तथा अन्य निगमों को विस्तार लाइसेंस क्यों दिये जा रहे है। जिन वस्तुओं का वह उत्पादन कर रहे हैं उनका भारत के लोगों द्वारा आसानी से उत्पादन किया जा सकता है।

इन बहुराष्ट्रीय निगमों ने हमारे देश का अत्यधिक शोषण किया है। देश का समूचा रक्त चूस लिया है। प्रत्येक देश की अर्थ-व्यवस्था को वह तहस नहस करते है। ऐसा ही हमारे यहाँ हुआ है।

कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ते की छटी किस्त देनी है उसका क्या हुआ। आज कर्मचारी बैठक तक नहीं कर सकते। अतः संसद में ही उनकी आवाज उठाई जा सकती है बल्कि संसद की बैठकें के भी गुप्त बैठकों की तरह है दर्शक गैलरियों भी खाली पड़ी है। समाचार पत्रों में कुछ नहीं आयेगा। अतः मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में कुछ बतायें।

पेंशन प्राप्त कर्त्ताओं के लिये जो सरकरने किया है उसके लिये सरकार तथा वित्त मन्त्री महोदय बधाई के पात्र है क्या पेंशनरों को भी महंगाई भत्ते की किस्ते दी जायेगी ?

Shri Chiranjib Jha (Saharsa) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I want to draw the attention of the honourable Minister to the fact that more than 74 per cent of Bihar population is living below the poverty line. Bihar is not getting its due share. The backward and poor states of the country should be brought at par with the other prosperous states of the country. In order to achieve this objective, special projects should be set up and special efforts made to help these states.

As you are aware that due to instability of Bihar in 1967 and after the elections, the poverty has deepened there. As there was no stable Government, so no programme could be undertaken smoothly. The conditions created in 1973-74 and the slogans of total revolutions have played havoc there. Now with the installation of Dr. Mishra Government in Bihar, the situation is changing. Dr. Mishra is trying untiringly to improve the conditions there with the means at his disposal. The Central Government have extended its helping hand to Mishra Government in regard to overdraft of Rs. 104 crores inherited by his Government. But this is not enough. The central assistance given to the state under the fifth Five Year Plan is not enough keeping in view its lower per capita income and the special conditions prevailing there, the Bihar Government should be given maximum assistance. At least the state should be given an amount of Rs. 96 crores annually. But what is happening? It is getting only Rs. 68.68 crores.

As far as mobilising of internal resources is concerned, the state has been able to mobilise Rs. 47 crores.

In 1976-77, the Bihar Government have chalked out a plan of Rs. 279:42 crores but the Planning Commission has sanctioned only Rs. 242.04 crores. The Rs. 37 crores supplementary demands by the Bihar Government should be sanctioned.

चौथी योजना में 1277.77 करोड़ रुपयों के राज्यों के ऋणों में बिहार को केवल 5 प्रतिशत भाग ही मिला है जब कि विकसित राज्यों को, जिनकी आबादी भी कम है जैसे महाराष्ट्र को 13 प्रतिशत, गुजरात को 8.5 प्रतिशत, कर्नाटक को 7.8 प्रतिशत, तमिल नाडु को 8 प्रतिशत तथा पश्चिम बंगाल को 9.8 प्रतिशत भाग मिला है। राज्यों का औसत भाग 23.4 रुपये है।

Out of total deposits of Rs. 186.10 crores, the share of Bihar is 50.6 crores of rupees.

उपाध्यक्ष महोदय : यह माना गया है कि बिहार के साथ भेदभाव बरता गया है। किन्तु केवल आंकड़े देने से ही काम नहीं चलेगा। कोई ठोस सुझाव दीजिये।

श्री रंजीब झा : सरकार की पांचवी योजना में 7232 करोड़ रुपये के बाजार से लिये गये ऋणों की व्यवस्था है इससे बिहार को 290 करोड़ रुपया दिया जाना चाहिये।

Prof. S. L. Saksena (Maharaj Ganj): I am thankful that I have been given opportunity to speak. I am also thankful to the Finance Minister that he has given concessions in taxes to the tune of Rs. 10 crores. But the income limit has not been raised. If it was raised, the middle class would have benefitted. The rate of Kerosene oil is very high. It is not available to the farmers in the villages. Government should make arrangements to ensure supply of kerosene oil to the farmers I congratulate that plan outlay is Rs. 7852 crores this year...

Shri Inderjit Gupta (Alipore): From where the money will come?

Prof. S. L. Saxsena: They say that they have not money. The export targets have been fixed Rs. 4500 crores this year. If these targets are achieved it will be a miraculous achievement. It is also heartening that the rate of our industrial growth of 2½ per cent of 1974-1975 has gone upto 4½ per cent in 1975-76. This has become possible when the installed capacity has been utilised.

[Prof. S. L. Saxena]

I want to draw your attention to the working of the financial institutions which advance loans for setting up new industries. In this connection I would cite the example of the case of my brother-in-law. He took a loan of Rs. 73,000 and purchased a truck for about Rs. one lakh and twenty-five thousand. It was purchased in 1973. Thereafter he fell ill and died. Before his death he could only repay the remaining amount of loan taken from his friends. The financial institution took away the truck and informed that the sale price of the truck was only Rs. 32,000 and demanded an amount of Rs. 78,000 and informed that in the event of failure to repay the amount of Rs. 78,000 the truck would be sold.

उपाध्यक्ष महोदय : आप मंत्री महोदय को क्यों नहीं लिखते, यहां विवरण क्यों देते है।

Prof. S. L. Saxena : I am just telling how the Corporation works. They sold the truck for Rs. 25,000/- which cost about Rs. one lakh. This is a suspicious case. If our financial corporations work like this how can we expect that the industries in our country would develop. I would like the Hon'ble Minister to consider such cases seriously and take action against the officers responsible for that. Then only these financial institutions would work properly and industries would develop. Something should be done for putting an end to the corruption prevailing in these institutions.

The farmers are not getting remunerative prices. What happens that the marketing officers in collusion with the traders, agricultural produce is sold to the traders at low prices and thus the farmers are deprived of the benefit.

Pakistan is manufacturing atom bomb writh the help of France. It is therefore necessary that we should also manufacture atom bomb. Moreover we should not say that we are exploding atom bomb for peaceful purposes. We should declare in clear terms that we are manufacturing atom bombs.

The prices of all the inputs used by the farmers should be brought down so that his gain may increase. Similarly the water charges and land revenue should also be reduced so that the cost of rice, wheat, sugarcane, cotton etc. is brought down. A scientific enquiry should be made in this regard.

I hope due attention would be paid towards this so that farmer is not exploited. With these words I support the Finance Bill.

श्री रबीन्द्र कुमार पात्र (बालासोर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपातकालीन स्थिति के दौरान कृषि उपज में वृद्धि हुई है, औद्योगिक उत्पादन भी बढ़ा है। देश में सर्वत्र, चाहे कार्यालयों में हो या स्कूलों, कालेजों अथवा रेलों में हो अनुशासन आया है।

मैं विशेष रुप से विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग के कार्य की सराहना करता हूं कि किस प्रकार यह विभाग हमारे देश में विदेशी मुद्रा के घुटाले को रोकने में सफल हुआ है। कांग्रेस के चण्डीगढ़ अधिवेशन के बाद यह विभाग लगभग 1,500 करोड़ रुपये का काला धन प्रकट कराने में सफल हुआ है। 1974-75 में विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग ने 500 करोड़ रुपये अर्जित किये है। किन्तु मेरे विचार से इसमें कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई नहीं जानी चाहिए। जो भ्रष्ट अधिकारी है उनकी छंटनी की जानी चाहिए।

आयकर विभाग भी भ्रष्टाचार का अड्डा है। यद्यपि इस विभाग न आयकर की बकाया राशि जमाखोरी तथा आय छिपाने आदि को दूर करने में सफलता हासिल की है किन्तु

पिछले 25 वर्षों में वे क्या कर रहे थे। वास्तव में प्रधान मंत्री ने दृढ़ कदम उठाया है उससे अधिकारियों के दिल में डर पैदा हुआ है। आयकर विभाग से भ्रष्ट अधिकारियों को निकाला जाना चाहिए तथा इमान्दार अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

आज प्रश्न यह उठता है कि छोटे उद्यमकर्त्ताओं, निर्धन व्यक्तियों और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए सरकार क्या कर रही है। बैंकों में लाल फीताशाही तथा अफसरशाही रुख के कारण मध्यम वर्ग के लोगों को ऋण प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई होती है। मंत्री महोदय इस बात में सतर्कता बरतें कि वहां कुछ-जन सम्पर्क अधिकारी अथवा कोई समिति नियुक्त की जाये जिसमें जनता के प्रतिनिधि हों तथा निम्न वर्ग के लोगों की कठिनाइयां दूर हों।

स्वायत्त संस्थाओं में प्रधान मंत्री के निदेश के बावजूद भी व्यय में वृद्धि हुई है और किसी भी प्रकार की मितव्ययता नहीं हुई है। राउरकेला इस्पात कारखाने में 100 लाख टन का उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने पर जो बड़ा भारी समारोह हुआ उस पर सरकारी सूचना के अनुसार $6\frac{1}{2}$ लाख रुपये किन्तु मेरी सूचना के अनुसार 20 लाख रुपया खर्च किया गया। इस प्रकार यदि सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम समारोह करने लगें तो वर्ष में 500 करोड़ रुपया खर्च हो जायेगा। इस बात की जांच की जानी चाहिए। इसका श्रेय केवल उच्च अधिकारियों को हो गया है, मजदूरों को कुछ नहीं मिला है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध तो कोई कार्यवाही नहीं हो रही है किन्तु छोटे कर्मचारीयों के विरुद्ध छोटी अनियमितायों के लिए कार्यवाही की जा रही है और उनकी शिकायतों को दूर करने वाला कोई नहीं है।

आज देश में साइकल उद्योग को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण इस उद्योग का चौथी अनुसूची में रखा जाना है जिससे 1 प्रतिशत मूल्य पर शुल्क लगाया गया है। इसका असर उपभोक्ताओं पर पड़ता है। इसकी जांच की जाये और इस 1 प्रतिशत शुल्क को हटा दिया जाये।

भारत में होटलों के विकास को बहुत गुंजाइश है। भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा बनाये गये होटलों की तुलना विश्व सबसे अच्छे होटलों से की जा सकती है। अरब देशों में तथा मध्य एशिया में भारतीय होटल उद्योग की तकनीकी जानकारी की बड़ी मांग है। हम उन्हें जानकारी दे सकते है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में मेरा सुझाव है कि हमें मजदूरों की क्षमता पर निर्भर रहना चाहिए और केवल प्रबन्धकों पर ही विश्वास नहीं करना चाहिए। मजदूरों को प्रोत्साहन देने से सरकार के हाथ मजबूत होंगे और उपक्रमों में सफलता मिलेगी।

वित्त राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने अपने विचार व्यक्त किये है यह वास्तव में प्रसन्नता की बात है कि उन्होंने चालू वित्त वर्ष के बजट के दृष्टिकोण तथा वित्त विधेयक के संशोधनों से अपनी सहमति प्रकट की है।

श्री पी० पार्थसारथी पी ठासीन हुए
SHRI P. PARTHASARTHY *in the chair.*

हमेशा की तरह बजट प्रस्तुत करने के बाद वित्त विधेयक में जनता की प्रतिक्रिय के अनुसार संशोधन किये जाते है किन्तु इस वर्ष बहुत कम संशोधन करने पड़े है क्योंकि इस वर्ष बहुत ही कम सुझाव आये है।

[श्री प्रणव कुमार मुखर्जी]

बजट पर सामान्य चर्चा के दौरान एक बात उठाई गई है कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष करों में जो रियायत की गई है उसका कोई असर नहीं पड़ा है। किन्तु बजट केवल आठ हफ्ते पहले ही प्रस्तुत किया गया और अभी इतनी जल्दी इसका असर होना सम्भव नहीं है। मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि हमारी जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में कराधान नीती केवल राजस्व वसूल करने तक ही सीमित नहीं रहनी है। नीति बनाने वालों के पास उत्पादन तथा अर्थव्यवस्था का मार्गदर्शन करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण हथियार है। भारतीय अर्थ-व्यवस्था काफी समय से जो कठिनाईयों से गुजर रही थी उसके लिए इसके अतिरिक्त दूसरा विकल्प नहीं था।

जब किसी उद्योग विशेष को कुछ रियायत दी जाती है तो उसका अर्थ यह होता है कि देश में जो संसाधन लगाये गये हैं उनका पूरा-पूरा लाभ मिले। अतः इसका अर्थ यह नहीं है कि हम एकाधिकारियों अथवा समाज के सम्पन्न वर्गों को रियायत दे रहे हैं बल्कि इसका अर्थ यह है कि उद्योग विशेष में जो क्षमता बनाई गई है उसका पूरा लाभ मिले। क्योंकि एक बार क्षमता बनाई गई है तो हमें देखना है कि यह लाभप्रद हो और वह उद्योग अपने पैरों पर खड़ा हो।

एक माननीय सदस्य ने संकेत किया है कि हम ऋण नीति को और उदार क्यों नहीं बना रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने जो नीति बनाई है वह ऋण पर न तो रोक लगाती है और न कोई प्रतिबन्ध लगाती है। बल्कि यह चयनात्मक ऋण नीति है। हम जिस परिस्थिति से देश में गुजर रहे है उसमें हम देश के उत्पादकों में यह विश्वास ले कर ही चल सकते है व सरकार की इच्छाओं के अनुकुल आचरण करेंगे और साथ-साथ हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्र में किसी प्रकार की खराबी न आये।

ऋण सम्बन्धी नीति को उदार बनाने के बारे में मूलभत सिद्धान्त यह है ऋण के रूप में ली गई नीति बचत की अपेक्षा सस्ती न हो जाये। अतः इस क्षेत्र में हमें चयन का रास्ता अपनाना चाहिए। जहां तक मुद्रा प्रसार का सम्बन्ध है आप देखेंगे कि किसी भी उद्योग को ऋण की कठिनाई नहीं हैं। हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय प्राथमिकता के अनुसार ऋण उपलब्ध हो। चूंकि साधन सीमित हैं अतः चयन का सिद्धान्त अपनाना होगा। हमें यह देखना होगा कि जिन साधनों की कमी है उन्हें ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में न लगाये जिनके बिना काम चल सकता है।

श्री साल्वे ने आयकर अधिनियम में निवेश रियायत संम्बन्धी अनुछेद का प्रारुप बनाने के बारे में प्रश्न उठाया है। उन्होंने दो प्रश्न उठाये हैं कि किस वर्ष निवेश आरक्षण किया जाना चाहिए तथा किस वर्ष निवेश रियायत घटायी जानी चाहिए। इन दोनों बातो के बारे में धारा 32 (क) बिल्कुल स्पष्ट है। जिस वर्ष निवेश रियायत दी जाती है उसी वर्ष निवेश आरक्षण बिधि बनाई जानी चाहिए जिस वर्ष कोई मशीन आदि लगाई जाती है उस वर्ष निवेश रियायत मिलेगी। मेरे विचार से इसमें ज्यादा संदिग्धता नहीं है।

दूसरी बात उन्होने राजस्व अधिकारियों की कठोरता के बारे में उठाई है। हो सकता है यह सही हों।

राजस्व अधिकारियों द्वारा ज्यादतियां किये जाने का प्रश्न उठाया गया है। यदि राजस्व अधिकारियों द्वारा ज्यादती या अन्याय किये जाने का कोई मामला हमारे समक्ष पेश किया जाये तो उस सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही की जायेगी।

खेद की बात है कि इंजीनियरी, औषध या विधि व्यवसाय में लगे लोग करों की चोरी करते हैं। इससे कर समाहरण अधिकारियों को कठिनाई होती है। अतः इन अधिकारियों की इस तरह आलोचना नहीं की जानी चाहिए। हमें उनकी उस कठिन स्थिति को महसूस करना चाहिए जिसमें वे कार्य कर रहे हैं।

1973–74 में आयकर विभाग ने पांच सौ के लगभग छापे मारे तथा तलाशियां लीं हैं। दो वर्ष की अवधि के अन्दर छापे मारने के मामले बढ़कर 2625 हो गये। बरामद की गई सम्पत्ति का मूल्य 1 करोड़ रुपये से बढ़कर 20 करोड़ रुपये हो गया।

स्वैच्छया प्रकटन योजना का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। इसने सीमा शुल्क विभाग तथा आयकर विभाग को अधिक छापे मारने तथा अधिक तलाशियां लेने के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार किया है। इन उपायों के फलस्वरूप हमारी अर्थ व्यवस्था अधिक मजबुत हो गई है और विदेशों में रुपये का मूल्य बढ़ रहा है।

कर प्रशासन तथा ग्राहक की सेवा में सुधार करने के लिए प्रत्यक्ष कर के चेयरमैन द्वारा कार्यवाही योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम आरम्भ किय गये हैं। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रक्रिया को सरल बनाना सम्भव हो सकेगा और ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करना सुनिश्चित हो सकेगा ।

पूछा गया है कि आयकर की छूट सीमा 8000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये क्यों नहीं की जा रही है। 1973–74 में देश में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय 890 रुपये थी। यदि हम 8000 रुपये की छूट सीमा निर्धारित कर लें तो यह प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय 9 गुनी हो जायेगी। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष 11,000 रुपये वेतन पाने वाले व्यक्ति को कर देना नहीं पड़ेगा। यह भी ध्यान में रखना है कि इस देश में जनसंख्या के अनुपात से कुल कर दाताओं की संख्या 1 प्रतिशत से भी कम है। अतः छूट सीमा को बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है।

जहां तक बैंककार्य का सम्बन्ध है सुझाव दिया गया है कि क्षेत्रीय अधिकारिता हटा दी जानी चाहिए और किसी भी बैंक को किसी भी क्षेत्र में कार्य करने की छूट होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान में रखनी है कि किसी बैंक को उपलब्ध संसाधन किसी सीमा तक होते हैं। यदि वे किसी सीमित क्षेत्र में कार्य करें तो वे पूरी क्षमता से कार्य कर सकते हैं। दूसरी ओर बैंक रहित क्षेत्रों में ऋण की आवश्यकता होती है। इसके लिए उपाय यह है कि किसी शाखा कार्यालय की क्षेत्रीय अधिकारिता का विस्तार न किया जाये अपितु शाखा विस्तार योजना को बड़े पैमाने पर क्रियान्वित किया जाये।

यद्यपि सरकार तेजी से वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण शाखाओं को स्थापित करने का प्रयत्न कर रही है। 10 या 20 वर्षों में 600 हजार गांवों में ऐसे बैंकों की स्थापना करना सम्भव हो जायेगा। यही कारण है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई है। यदि हम एक वर्ष के अन्दर 50 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना भी कर दें तो भी हम 5,000 अतिरिक्त शाखाएं खोल सकते हैं। अतः इसका एकमात्र उपाय यह है कि हम अधिकाधिक संख्या में सहकारी समितियां खोलें जिनका वित्त पोषण क्षेत्री ग्रामीण बैंकों द्वारा किया जा सकता है। इस प्रकार यह समितियां काफी हद तक ग्रामीण ऋण-ग्रस्तता की समस्या को

[श्री प्रणव कुमार मुखर्जी]

हल कर सकती हैं। जहां सहकारी ऋण समितियां नहीं हैं और जहां उन्हें मजबूत बनाना सम्भव नहीं है; वहां राज्य सरकार को इस समस्या पर ध्यान रखने के लिए कहा गया है। ऐसे स्थानों पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है जिसके माध्यम से सहायता पहुंचायी जा सकती हैं। यदि हम सहकारी ऋण बहुद्देशीय किसान सेवा समितियों की स्थापना कर सकें और सहकारिता आन्दोलन को मजबूत कर सकें तथा वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं का विस्तार कर सकें तो फिर ग्रामीण ऋण-ग्रस्तता की समस्या को हल कर पायेंगे।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

64 वां प्रतिवेदन

Sixty-Fourth Report

Shri Krishna Chandra Pandey (Khalilabad): Mr. Chairman, I beg to move:

"That this House do agree with the Sixty-fourth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 12th May, 1976."

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 64 वें प्रतिवेदन से जो 12 मई, 1976 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

संविधान के अन्तर्गत प्रदत्त स्वतंत्रता की बहाली के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE: RESTORATION OF FREEDOM PROVIDED UNDER THE CONSTITUTION

सभापति महोदय : श्री ए० के० गोपालन का संकल्प पेश किया जा चुका है और उस पर भाषण भी समाप्त हो चुका है। अब क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री० बी० वी० नायक : मैं संकल्प में 'आपात स्थिति के मामले पर देश में मतदान कराने के छः मास की अवधि के भीतर' शब्द जोड़े जाने के लिए संशोधन संख्या 1 पेश करता हूं।

श्री सूरज भान : मैं संकल्प में ये कदम धीरे धीरे और इस तरीके से उठाये जाने के लिए ताकि देश में आपात स्थिति के पश्चात् उत्पन्न अनुशासन, आत्म विश्वास आत्म-नियंत्रण और जिम्मेदारी की भावना आगे भी बनी रहें, संशोधन संख्या 2 पेश करता हूं

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : सत्तारुढ़ दल के तथा अन्य दल के सदस्यों से सदन के भीतर और बाहर यही कहा गया है कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास के लिए विकास कार्यों में लोगों का शामिल किया जाना बहुत आवश्यक है। इसके लिए देश में एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना होगा जिसमें लोग सरकार की नीतियों के बारे में अपने विचार प्रकट कर सक और अपनी शिकायतों को भी बता सकें, लेकिन आपातस्थिति के नाम पर, जिसकी घोषणा जून, 1975 में की गई थी देश के नागरिकों को वैयक्तिक स्वतंत्रता को कम किया जा रहा है। जबसे आपात स्थिति की, घोषणा हुई है तबसे लेकर अबतक सरकार देश के सामने एक भी मामला ऐसा नहीं ला पायी जिससे यह पता लगे कि देश में आपातस्थिति की घोषणा आवश्यक थी। अब यह सिद्ध हो चुका है कि सरकार ने प्रतिपक्ष दल के नेताओं के प्रति जो आरोप लगाये गये थे वे प्रमाणित नहीं हो पाये। यदि सरकार के पास ऐसे कोई प्रमाण होते तो वह उन्हें अवश्य सदन के समक्ष या न्यायालय में पेश करती। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और न ही ऐसा कभी किया जायेगा। इसके विपरीत सरकार का रवैया आपातस्थिति को हमेशा जारी रखने का है।

इस बीच आपात स्थिति का लाभ उठाते हुए सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और 22 के अन्तर्गत दिए गए सभी अधिकारों को छीन लिया है। दूसरे सरकार इन शक्तियों का बड़े विचित्र ढंग से प्रयोग कर रही है। परिवार नियोजन के बारे में की जाने वाली कार्यवाही के लिए लोगों को 'आंसुका' के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया जाता है। दिल्ली में ऐसी एक घटना हुई है परन्तु इस का उपचार कैसे किया जा सकता है क्योंकि उच्चतम न्यायालय के हाल के एक निर्णय द्वारा कार्यपालिका को मनमानी शक्तियां प्रदान की गई हैं और वह अब किसी भी कारण से किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय तक के लिए नजरबन्द कर सकती है। अतः अब लोगों के लिए जो न्यायपालिका से न्याय और सुरक्षा चाहते थे, न्यायालय के दरवाजे बन्द कर दिए गये हैं। इस स्थिति का लाभ उठा कर सरकार अब ऐसी कोई भी कार्यवाही कर रही है जिससे वह अपने लिए उपयुक्त सझमती है।

जो व्यक्ति बड़े बड़े उद्योगों से धन कमाने में लगे हुए हैं वे अब प्रधान मंत्री, उनके दल और उनकी सरकार की प्रशंसा करने में लगे हुए हैं और कहते हैं कि अब स्थिति बिल्कुल बदल गई है। अब अनुशासन लौट आया है। प्रधान मंत्री ने स्वयं कई अवसरों पर कहा है कि अब हम खतरे से बाहर हैं, हमारे सिर से खतरा टल गया है तथा जो अनुशासन देश में पैदा हुआ है उसे हमें बनाये रखना है। केवल प्रधान मंत्री ही नहीं बल्कि बड़े बड़े उद्योगपति भी यही बात कह रहे हैं। कुछ दिन पहले श्री बी० एन० बिड़ला ने उद्योगपतियों की ओर से विदेशी उद्योगपतियों को भारत आने और यह देखने के लिए कि भारत में अब पूंजी लगाना कितना लाभदायक और अनुकूल है, आमंत्रित किया था। यह भी पता चला है कि वह भारत आने के लिए सहमत हो गए हैं। यदि ऐसा ही है, यदि देश में स्थिति बिल्कुल ठीक है तो फिर आपात स्थिति जारी क्यों रखी जा रही है।

संकल्प में यह कहा गया है कि यदि हम वास्तव में देश को उन्नत करना चाहते हैं और आर्थिक दृष्टि से विकसित करना चाहते हैं तो लोगों का सहयोग प्राप्त होना आवश्यक है। किन्तु ऐसे लोगों का सहयोग कैसे मिल सकता है जिन्हें 'आंसुका' के अन्तर्गत नजरबन्द कर दिया जाता है तथा जिसके लिए वह न्यायालय का सहारा भी नहीं ले सकते मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे सभी लोगों को अब रिहा कर दिया जाना चाहिए जिन्हें बिना परीक्षण के बहुत लम्बी अवधि से गिरफ्तार गिया गया है।

[श्री दीनेन भट्टाचार्य]

कर्मचारियों को सभाएं करने का भी अधिकार नहीं है। वे हाल कमरों में भी सभाएं नहीं कर सकते। केवल सत्तारूढ़ दल के लोग तथा उनके मित्र वहां सभाएं कर सकते हैं। यह अधिकार केवल उन्हें ही है।

सरकार 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में इतना कुछ कह रही हैं। हमारी सरकार से कोई शिकायत नहीं है हालांकि हम जानते हैं कि यदि 20 सूत्री कार्यक्रम पूर्ण रूप से सफल हो भी जाए तो भी देश की मूल समस्याएं हल नहीं हो जाएंगी। अब भी हम यह कह सकते हैं कि भू-सुधार के क्रियान्विति के बारे में कोई प्रगति नहीं हुई है। हम अभी तक ग्राम ऋणग्रस्तता और गांवों की गरीबी को दूर नहीं कर पाए हैं। जहां तक की हमारी प्रधान मंत्री को भी यह कहना पड़ गया कि अधिकांश राज्यों में राज्य सरकारों द्वारा भू-सुधार कार्यक्रमों को गम्भीरतापूर्वक लागू नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति केवल भू-सुधारों के सम्बन्ध में ही नहीं है। ऐसी स्थिति विभिन्न उद्योगों के उत्पादन के बारे में भी है। सारे देश में आर्थिक संकट है। सारे देश में मंदी भी है। हमारे देश में कपड़े की कोई मांग नहीं है। इस कारण मिलों में कपड़े के ढेर के ढेर जमा हो रहे हैं। परन्तु सरकार उद्योगपतियों को रियायतों पर रियायत दिए जा रही है। इस के बावजूद भी उद्योगपति अधिकाधिक रियायतें मांगते जा रहे हैं। ऐसे लोग 20 सूत्री कार्यक्रम का समर्थम कर रहे हैं अन्यथा आम जनता असंतुष्ट है।

कुछ दिन पहले हमने इस सभा में लोको संचल कर्मचारियों की मांगों के प्रश्न पर चर्चा की थी। कुछ दिन पहले उन्हें यहां बुलाया गया था। उनमें से केवल छह प्रतिनिधि ही यहां आए थे। परन्तु जैसे ही वे दिल्ली आए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें गिरफ्तार किए जाने का कारण भी नहीं बताया गया। ऐसी हालत में कर्मचारियों की सरकार के साथ परस्पर बातचीत करने में कैसी आस्था हो सकती है। इसी प्रकार से एच० एम० टी० की मान्यताप्राप्त यनियन के 8 नेताओं को 'आंसुका' के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है। उन्हें भी गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया गया है। न्यायालयों ने तो कह ही दिया है कि सरकार के लिए उत्तर देना जरूरी नहीं है।

हम जानते हैं कि हमारे दल के नेता, दो संसद् सदस्य तथा विरोधी दलों के कुछ अन्य सदस्य जेलों में पड़े हैं। आप को यह जान कर हैरानी होगी कि एक नया तरीका निकाला गया है। पुलिस लोगों को गिरफ्तार कर लेती है, फिर थाने में ले जाती है और वहां पर उन्हें ले जा कर मार मार कर मौत के घाट उतार देती है। इस प्रकार से आपको भी 20 सूत्री कार्यक्रम में सफलता मिलने वाली नहीं है। अतः मैं यही कहूंगा कि सरकार को आपात स्थिति समाप्त कर देनी चाहिए, नज़रबन्द लोगों को रिहा कर देना चाहिए तथा लोगों की नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए ताकि वे लोकतांत्रिक कार्यक्रम में लोकतांत्रिक ढंग से भाग ले सक।

Shri B. R. Shukla (Bahraich): Mr. Chairman, I oppose the resolution moved by Shri A. K. Gopalan. There is nothing new in this resolution. All the points that have been brought about in the resolution have already been discussed in one way or the other since the proclamation of emergency in the country. The resolution demands that the detenus who have been arrested during the emergency should be released. According to it all the curbs imposed on the press should be lifted.

Now we have to see what was the atmosphere in the country before the emergency. There is no doubt that before the emergency an atmosphere was being created in the country which was making it difficult for the people to carry on their normal duties. Before the emergency the workers were not able to perform their duties in the factories. During the 1974 railway strike the loyal workers were not allowed to attend to their work. Functioning of the colleges and universities was disturbed. On 25th June, 1975 a call had been given to the Army and armed police to rebel. It were these people who wanted to create chaos in the country. Faced with this sort of conditions there was no alternative left with the Government but to put such persons behind the bars.

When the Parliamentary institutions of the country have to face this sort of danger then bigger laws are needed to face that danger. That was why internal emergency was proclaimed. The proclamation of internal emergency is perfectly constitutional. There is a provision in the constitution to declare emergency to meet the threat to the internal security of the country. The forces which had created the situation for the proclamation of emergency, the forces which had necessitated imposition of emergency are still there. Still there are people who go to jails, meet the leaders and distribute the pamphlets to the public which create rebellious feeling amongst the people. Thus such forces are still active.

Now since the proclamation of emergency there has been all-round improvement in the country. The production in the factories has gone up. The production of foodgrains has also increased. You being a marxist may say that there is recession in the country but that is not a fact. Now there is no scarcity of goods and commodities in our country. Prior to proclamation of emergency people had to stand in long queues to get the commodities. Now all the things are made available to them. A confidence has been created in them that things will remain available to them. Now they do not go in for hoarding. There is discipline in the country now. Implementation of 20-point programme is going on satisfactorily. When there is so good a condition in the country then why should emergency be withdrawn. In case the emergency is withdrawn then the country will again go back to its old position. Now the country should not be allowed to go back to the state of chaos and lawless once again.

Shri M. C. Daga (Pali): The emergency was declared on 26th June, 1975. The Government has not declared it happily. They had declared it with very heavy heart. The Government was compelled to take this painful duty because of compulsions of the situations. There was no alternative left with the Government but to declare the emergency and save the country from chaos. There were such persons in the country who were talking of paralysing the functioning of the Government.

After the emergency the situation has improved a lot. Now the productions of foodgrains has gone up to 114 million tonnes, the production of energy has also gone up. There has also been an increase in the production of coal and textiles. There is also all-round discipline in the country.

Even to-day all the Assemblies, Panchayats and other democratic bodies are carrying on their business smoothly as before. Even in Bihar, where some people had tried to take law into their own hands, all the democratic bodies are functioning well.

[Shri M. C. Daga]

Regarding developmental activities Government has repeatedly been saying that the 20 point economic programme belongs to the 58 crores of people. As such popular committees consisting of representatives of all the people have been formed at district level to watch the implementation of this programme. All the people have thus been actively involved in this developmental work.

At this time a sense of discipline prevails in the country and efforts should therefore be made to maintain this atmosphere of discipline so that the country can advance more rapidly.

But if there is no improvement in the methods of working and in the activities of certain parties and persons, it will not be possible to lift emergency. Because we do not want to loose whatever we have been able to achieve so far. After the emergency an era of discipline has started and now the parliamentary work is being conducted very peacefully and smoothly. Even the opposition parties are attending the sessions and taking part in the debates. Do the hon. Members want that such an atmosphere should again be allowed to be created in the country in which people can indulge in abusing and character assassination.

So far as freedom of press is concerned, various items of news, articles and constructive suggestions are being published in the newspapers. But some people want a licence for abusing others. The habit of abusing others is a bad one and it should be avoided. We should rather imbibe this feeling in the minds of our people that this country belongs to us all and we should extend our co-operation for its development.

I have moved an amendment which should be accepted.

All the political parties like Jana Sangh, Congress (O) and C.P.I. are free to conduct their affairs without any hinderance and there is no ban on them. However, ban has been imposed on such parties as were working against the interests of the country.

There has been all-round progress in the various spheres in the country. Above all, there is discipline and efforts should be made to maintain this atmosphere of discipline in the country.

श्री जयेन्द्र नारायण सिन्हा : (औरंगाबाद) : जहां तक मैं समझ सका हूं, अभी भी देश में भय, आशंका और अनिश्चितता का वातावरण विद्यमान है और इसके कारण लोग अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पा रहे हैं। इसी लिये इस संकल्प का उद्देश्य यह है कि देश में इस स्थिति को सामान्य बनाया जाये और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जाएं जिनमें लोग विकास कार्यों में उत्साहपूर्वक सहयोग दे सकें।

पिछले जून में आपात स्थिति की घोषणा, महत्वपूर्ण संसद-सदस्यों की गिरफ्तारी, प्रेस पर अकस्मात लगाये गये प्रतिबन्ध से लोगों को एक धक्का लगा और इस के फलस्वरुप लोगों के उत्साह में कमी आ गई। शासक दल का चाहे कुछ भी धारणा हो, अधिकांश लोग असंतुष्ट हैं और वे देश के कार्यों में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। वे चुप्पी साधे हुए हैं क्योंकि वे अपनी चमड़ी बचाना चाहते हैं।

आपात स्थिति की घोषणा करने का चाहे कोई भी औचित्य हो, अब राजनैतिक नेताओं को जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है। क्या सरकार वास्तव में यही समझती है कि श्री मोरारजी देसाई तथा अन्य नेता देश की प्रगति में कोई बाधा उत्पन्न कर रहे थे? यदि उन पर कोई आरोप लगाया जा सकता है, तो वह यह है कि उन्होंने देश में हो रही धीमी प्रगति के सम्बन्ध में अप्रसन्नता और असंतोष व्यक्त किया था।

कुछ दिन पहले श्री ओम मेहता ने मैक्सिमों में 'एक्सलियर' नामक समाचारपत्र के संवादाता के साथ एक भेंटवार्ता में इस बात को स्वीकार किया कि जून में आपात स्थिति की घोषणा करने के पश्चात भारी संख्या में लोगों को राजनीतिक बन्दियों के रूप में गिरफ्तार कर लिया गया था, परन्तु अब उन में से अधिकांश व्यक्तियों को रिहा कर दिया गया है। अब केवल वही लोग नजरबन्द हैं जो आतंक वादी तरीकों में विश्वास रखते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार यह मानती है कि श्री मोरारजी देसाई, श्री श्यामनन्दन मिश्र, श्री पीलू मोदी तथा संसद के हमारे कई दूसरे सहयोगी जो इस समय नजरबन्द है हिंसा में विश्वास रखते हैं? यह तो ठीक है कि इन नेताओं की उपस्थिति से सरकार की नीतियों से असंतुष्ट व्यक्तियों को आन्दोलन करने के लिये उत्साह मिलता हो। परन्तु अब तो सरकार स्वयं यह कह रही है कि अब स्थिति में बहुत सुधार हो गया है और देश तेजी से आगे बढ़ रहा है तथा इस बीच हमें कई सफलताएं प्राप्त हुई हैं। मैं नहीं समझता कि इन परिस्थितियों में यदि उन्हें रिहा कर दिया जायेगा तो वे देश में हो रहे विकास कार्य में किसी प्रकार की कोई बाधा डालेंगे।

मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि लोकतंत्र में बहुसंख्यक लोग जो भी निर्णय करते हैं वह अल्पसंख्यकों को मानना चाहिये। परन्तु इतना तो आप मानेंगे कि ऐसे निर्णय की क्रियान्विति के बारे में कुछ मतभेद हो सकता है जिसे आपसी बातचीत द्वारा दूर किया जाना चाहिये। अधिकारी गलति कर सकते हैं। इन गलतियों की ओर सरकार का ध्यान कौन आकर्षित करेगा? इसीलिये प्रतिपक्ष का यह कर्तव्य है कि वे ऐसी गलतियों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करें। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रतिपक्ष वाले किसी कार्यक्रम की क्रियान्विति के मार्ग में कोई रोड़ा अटकाना चाहते हैं। जिस प्रकार से अब परिवार नियोजन सम्बन्धी कार्यक्रम चल रहा है, उस पर तो सरकारी नेताओं तक ने भी रोष प्रकट किया है। क्या इसका अब यह अर्थ लगाया जाये कि वे कार्यक्रम में कोई बाधा डाल रहे हैं? इसलिये प्रतिपक्ष का भी यह कर्तव्य है कि वह अपनी भूमिका को निभाये।

वास्तव में हम 20 सूत्री कार्यक्रम को विरोध नहीं करते हैं। हां, यदि उसको क्रियान्वित करने में कोई भूल की जायेगी तो उसकी ओर सरकार का आवश्य ध्यान दिलाया जायेगा परन्तु सरकार ने अब ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है जिसमें नौकरशाही मनमानी करेगी और अन्ततः लोगों को ही परेशान होना पड़ेगा।

प्रशासन का ढंग अब बदल रहा है। शासक दल और इनके सहयोगी दलों को ही अब सभा में जाने तथा अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति है। समाचारपत्रों पर अंकुश लगा हुआ है। यहां तक कि उन्हें अब संविधान सम्बन्धी संशोधन जैसे राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों पर भी टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। सब से बुरी बात तो यह है कि प्रतिपक्ष दल अब अपने आप को संगठित भी नहीं कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने भी निर्णय दिया है कि असद्भाव से की गई गिरफ्तारियों के बारे में न्यायालयों में कोई सुनवाई नहीं हो सकती है। स्पष्ट है कि पुलिस अधिकारी अब हर प्रकार से मनमानी कर सकते हैं। इस प्रकार लोगों को नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया है।

[श्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा]

वाक् स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई है। क्योंकि सरकार को भय था कि वाक् स्वतंत्रता से सच्चाई बाहर आ जायेगी, और सारा भंडा फूट जायेगा।

[श्री भागवत झा आजाद पीठासीन हुए
SHRI BHAGWAT JHA AZAD *in the chair*]

यदि समाचारपत्रों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा, तो उनमें तथ्य प्रकाशित होंगे और लोग उन से अवगत हो जायेंगे। इस से बचने के लिये समाचार पत्रों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। यही नहीं प्रतिपक्षी दल अब सभाये भी नहीं कर सकते हैं ताकि वे आपात स्थिति की और राष्ट्रीय नेताओं की आलोचना न कर सकें। यह हम भी नहीं चाहते हैं कि समाचारपत्रों को खुली छुट्टी दे दी जाये। उन पर प्रतिबन्ध तो होना चाहिये परन्तु हम उन पर लगाये गये सभी प्रकार के प्रतिबन्धों का विरोध करते हैं। क्योंकि यदि समाचार पत्रों पर इस प्रकार के प्रतिबन्ध लगे रहे तो समाचारपत्रों का स्वरुप बिगड़ जायेगा और वे समाज के पक्ष का पोषण करने की बजाये प्राधिकारवादियों का एक हथियार बन के रह जायेंगे। अतः इस समय देश में जो परिस्थिति हैं उनको देखते हुए समाचारपत्रों तथा प्रतिपक्षी दलों द्वारा सार्वजनिक सभाएं करने पर लगे प्रतिबन्धों का कोई औचित्य नहीं है। यदि ये प्रतिबन्ध ऐसे ही लगे रहे तो लोगों का सरकार पर से विश्वास उठ जायेगा और इससे अन्ततोगत्वा शासित की बजाए शासक को ही अधिक हानि होगी।

गत वर्ष 23 जुलाई को स्वयं श्री जय प्रकाश नारायण ने प्रधान मंत्री को लिखा था कि यदि 20 सूत्री कार्यक्रम में निर्वाचन विधियों में सुधार करने और मंत्री स्तर पर भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये किये जाने वाले उपायों को शामिल कर दिया जाये, तो हम तथा हमारे मित्र न केवल इस कार्यक्रम को स्वीकार ही करेंगे परन्तु उसे क्रियान्वित करने में भी पूरा पूरा सहयोग देंगे। यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बन जायेगा। उस समय प्रधान मंत्री को यही आश्वासन दिया गया था और आज भी हम विश्वास दिलाते हैं कि हम इस कार्यक्रम का न ही विरोध करते हैं और न ही इसकी क्रियान्विति में कोई रोड़ा अटकाना चाहते हैं। इस के विपरीत हम तो आप की सहायता करना चाहते हैं आपात स्थिति किसी देश में सदा नहीं बनी रह सकती है। यदि सरकार वास्तव में लोकतंत्रात्मक ढांचे को बनाये रखना चाहती है और इसके साथ साथ देश को समाजवाद की ओर अग्रसर करना चाहती है, तो इस के लिए उसे देश में अनुकूल वातावरण बनाना होगा, नेताओं को रिहा करना होगा और लोगों के अधिकारों को पुनः स्थपित करना होगा जिससे वे कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में अधिक उत्साह दिखा सकें।

Mr. Chairman: How much time you will take?

Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): Half an hour.

Mr. Chairman: Mr. Ram Singh, you will take 10 minutes.

श्री वीना भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मैं श्री गोपालन की ओर से प्रश्न करुंगा।

सभापति महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

Shri Ram Singh Bhai (Indore): Mr. Chairman, Sir, I strongly oppose this resolution. We have to see as to what is the intention of the resolution. It is to make it possible for the people to be involved in the democratic process and developmental activities. The resolution also aims at enabling the individuals, organisations and political parties to carry on their legitimate political activities. We would like to know whether all that they were doing before 25th June, 1975 was legitimate If not, they should apologise for their past misdeeds. How can we forget that these are the people who are responsible for the closure of mills in Bengal? It were these people who instigated the workers to go on strike every now and then. During the emergency the Government should have been more strict in regard to these people so that still better atmosphere could have been created in the country. Democracy means that all should earn their livelihood by honest means and hard work. No body is prevented from making public speeches. But these people want to indulge in goondaism. Those people who want to create disorder even when the President is speaking really deserve to be kept behind the bars. Keeping such people outside is really endangering democracy. It is to be seen as to what extent goondaism has decreased.

The intention behind this resolution is not good. They want to vitiate the peaceful atmosphere that has been created in the country. So it should be rejected.

डा० रानेन सेन (बारसाट) : मैं दो कारणों से श्री गोपालन के संकल्प का समर्थन नहीं कर रहा हूं । एक तो यह मांग की गई है कि सभी राजनीतिक दलों के व्यक्तियों के विरुद्ध व्यापारी दमनकारी कार्यवाहियों को वापस किया जाये । यह सर्व विदित है कि कुछ दलों पर तो बहुत पहले ही प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए था जिनमें आनंद मार्ग भी एक दल है। दूसरी मांग यह है कि आपातकालीन स्थिति की घोषणा की आवश्यकता नहीं थी । मैं इस बात से सहमत नहीं हूं । हम अमरीकी षड़यंत्र की बात करते हैं और अमेरिका तथा अमरीकी साम्राज्यवाद की बात करते है जिसका भारत तथा भारतीय समाज के प्रति अच्छा रुख नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि अमरीकी साम्राज्यवाद का भारतीय लोकतंत्र को समाप्त करने का षढ़यंत्र नहीं था । बिना विचारण के हिरासत में लेना हम भी अच्छा नहीं मानते किन्तु विश्व की स्थिति को देखते हुए जब कि साम्राज्यवादी षड़यंत्र चल रहे हैं हमें बहुत सतर्क रहना है और स्थिति को साधारण रूप में नहीं लेना चाहिए । चिली और बंगलादेश में जो कुछ हुआ है वह इस बात को अच्छी तरह से सिद्ध करता है । अभी ताजा षड़यंत्र मौलाना मसानी का फरक्का मार्च है । अत: किसी सरकार के लिए यह सिद्ध करना कठिन है कि देश के बाहर अथवा देश में षड़यंत्र हो रहे हैं ।

यह बात माननी पड़ेगी कि सरकार जो कुछ भी अच्छा करना चाहती है वह यह है कि हम उसमें सक्रिय हों । इस समय लोग देश के चल रहे कार्यक्रमों में लगे हुए हैं । इस बात को मानने से कोई इन्कार नहीं कर सकता है कि यदि लोग 20–सूत्रीय कार्यक्रम के अतिरिक्त अन्य कार्यक्रमों में भी सक्रिय सहयोग दें तो उनमें भी सफलता मिलेगी ।

यह सही है कि कुछ राज्यों में मजदूर वर्ग को बैठक करने का कोई अधिकार नहीं है । यहां तक कि भारतीय साम्यवादी दल को जिसने कतिपय मामलों में सरकार का समर्थन किया भारत के कई भागों में बैठकें करने की अनुमति नहीं दी गई । यहां तक कि संसद सदस्यों को कई बार गिरफ्तार किया गया । हमारे दल के सदस्य बिहार में और कई दूसरे स्थानों में गिरफ्तार किये गये । क्या राष्ट्र निर्माण में मजदूरों को सक्रिय बनाने का यही तरीक़ा है ।

[डा० रानेन सेन]

जहां तक प्रैस पर नियंत्रण है यह बहुत ही गलत तथा अफसरशाही तरीके से लगाया जा रहा है। 'न्यूएज' को बार बार धमकी दी गई है कि प्रैस नियंत्रण का उल्लंघन किया जा रहा है। उल्लंघन क्या है। यदि हम 20–सूत्रीय कार्यक्रम तथा मजदूर वर्ग के हितों के बारे में कहते है तो यह उल्लंघन हो जाता है। लोकतंत्र का यह तरीका नहीं है। यदि प्रैस पर इस प्रकार का नियंत्रण मजदूर वर्ग का दमन तथा मजदूरों और जनसाधारण के लोकतांत्रिक अधिकारों को छीना जाता रहा तो देश आगे नहीं बढ़ सकता और जिन सिद्धान्तों के लिए सरकार आगे आई है उसमें सफल नहीं हो सकती है।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : श्री गोपालन के संकल्प में दो बातों के लिए निवेदन किया गया है–राजनीतिक दलों को अपनी वैध राजनीतिक गतिविधियां जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए और आपात स्थिति के बाद लगाए गये प्रेस सेंसर और हाल ही में पास किए गए प्रेस अधिनियमों को निरस्त किया जाना चाहिए तथा राजनीतिक बन्दियों को रिहा किया जान चाहिए। प्रथम प्रश्न के सम्बन्ध में आंसुका के अधीन कानूनों में "अवैध राजनितीक गतिविधि" का उल्लेख किया गया है। यह तो भ्रामक शब्द है। क्या अवैध गतिविधि हिंसा लूट आगजनी हत्या, बंध और घेराव के समान है? मैं स्वयं इस सम्बन्ध में स्पष्ट नहीं हूं कि वैध क्या है और अवैध क्या है।

दूसरा प्रश्न प्रेस की स्वतंत्रता का है। हमें कहा गया है कि हमने इस विशाल देश के मतदाताओं को धोखा दिया है। प्रेस की करामात का सैकड़ों बार उल्लेख किया गया है। प्रेस परिषद विधेयक पर मुझे सुमित्रा देसाई के मामले में रोष व्यक्त करना पड़ा जिसके कारण एक मंत्री को पदच्युत किया गया। 6 महीने बाद मुझे यह जानकारी मिली कि यह सब गैर जिम्मेदाराना प्रेस की कल्पना का स्वरुप था। हम यहां जो कुछ कहते हैं उसका एक या दो पंक्ति जिक्र किया जाता है। परन्तु मत्रियों के भाषणों को अधिक स्थान मिलता है। इससे हमें कोई ईर्ष्या नहीं होती है। पहले कोई सनसनीखेज खबर शीर्षक के रूप में छपती थी लेकिन अब हमें अपने राष्ट्र निर्माण के कार्य को प्रमुखता देनी है।

अधिकांश रूप से लोगों ने आपात स्थिति को स्वीकार कर लिया है। मैं देखता हूं कि आपात स्थिति के दौरान बेहत्तर श्रमिक सम्बन्धों के कारण उर्वरक कपड़े और केन्द्रीय क्षेत्र में ऐसी ही अन्य चीजों का उत्पादन बढ़ा है। परन्तु क्या गृहमंत्री इसी विश्वास के साथ यह कह सकते हैं कि प्रत्येक राज्य सरकार का स्तर सरकार की आशाओं के अनुरुप हुआ है? क्या राज्य सरकारों ने भी इतने ही उत्साह के साथ कार्य किया है? इसमें संदेह नहीं है कि आपात स्थिति से स्थिति सुधरी है।

सभापति महोदय : यह चर्चा 5.30 बजे समाप्त होगी। मंत्री महोदय आधा घंटा लेंगे। माननीय मंत्री जी।

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : इस संकल्प के प्रस्तावक को कुछ गलतफहमी है कि आपात स्थिति का मतलब है लोकतंत्रीय प्रक्रियाओं और मूल अधिकारों को पूर्णतया समाप्त करना। सभा को उन परिस्थितियों की भलीभांति जानकारी होगी जिनकी वजह से आपात स्थिति की घोषणा की गयी। मैं इस बारे में विस्तार से नहीं कहना चाहता, क्योंकि गृह मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में एक पुस्तिका पहले ही प्रकाशित कर दी है। इस पुस्तिका का नाम है "हाई इमरजेंसी"।

माननीय सदस्यों को आपात स्थिति से पूर्व की स्थिति याद होगी। अने विरोधी दल एक होकर सत्तारुढ़ दल और सरकार के खिलाफ खड़े हो गये और उन्होंने हिंसा को भड़काया। उनका उद्देश्य यही था कि सरकार चलने न दी जाये।

सभा गुजरात और बिहार में हुई घटनाओं को भूली नहीं होगी। राज्य विधान मंडलों की भांति लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित निकायों को भंग करने के लिए दबाव डाला गया और जब सदस्य इससे सहमत नहीं हुए तो सभी तरह के हिंसात्मक तरीके अपनाये गये। यहां तक कि गुजरात के अनेक विधायकों के परिवारों को भी नहीं छोड़ा गया। क्या इसे लोकतंत्रीय तरीका कहा जा सकता है ?

हमें ऐसी भी घटनाएं याद हैं जब कि संसद सदस्यों को भी नहीं छोड़ा गया। उन्हें तंग किया गया। इस तरह सतारुढ़ दल को कोई सभा आयोजित नहीं करने दी गयी। तनाव बढ़ता गया। पथराव के अंतिरिक्त लूट और आगजनी की घटनायें हुई। लोगों को रोजगारी का काम नहीं करने दिया गया और कई बार दुकानें भी बंद करनी पड़ी। इससे आम आदमी को अनेक कठिनाइयां सहनी पड़ी। अत्यावश्यक वस्तुएं समुचित स्थानों पर नहीं पहुंचाओ जा सकीं। हड़ताल और छंटनी का उत्पादन पर प्रभाव पड़ा। इससे राष्ट्र की परेशानी और बढ़ गयी तथा देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया। तभी कार्यवाही की गई। हम समझते हैं कि यह कार्यवाही बहुत पहले होनी चाहिए थी।

आपात स्थिति की घोषणा लोकतंत्रीय सिद्धान्तों को कुचलने या किसी के अधिकारों को छिनने के लिए नहीं की गयी। यह तो लोकतंत्रीय प्रक्रिया और मूल्यों को कायम करने के लिए लाई गयी न कि नागरिकों के अधिकारों पर अंकुश लगाने के लिए। अनेक विधेयक पास किए गए हैं और स्थिति के अनुकुल कदम उठाये गये हैं। ये सभी कदम तोड़ फोड़ कारी और राष्ट्र विरोधी तत्वों के विरुद्ध जो देश में अस्थिरता और असुरक्षा उत्पन्न करने के लिए तुले हुए थे उठाए गये हैं।

हम किसी ऐसे संगठन पर रोक नहीं लगा रहे हैं जिन्हें संविधान में विश्वास है। केवल उन्हीं संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया है जिनका संविधान में अथवा संवैधानिक उपायों में विश्वास नही हैं और जो तोड़ फोड़ की कार्यवाहियों में विश्वास रखते हैं। न ही मौलिक अधिकारों को समाप्त किया गया है। केवल मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिये न्यायालय में जाने का अधिकार समाप्त किया गया है। कुछ लोग देश में विध्वंसकारी कार्यवाहियों द्वारा देश में हिंसा का वातावरण बना रहे थे उन लोगों के अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगाया गया तो उन्होंने न्यायालय की शरण ली और न्यायालय ने उन्हें रोकादेश दे दिया। यह विलम्बकारी तरीके देश की सुरक्षा में बाधक हो रहे थे। हमें देश की सुरक्षा सबसे पहले है।

जहां तक किसी अधिकार से निलम्बन का प्रश्न है यह राष्ट्रपति द्वारा संविधान के उपबंधों के अन्तर्गत किया गया है। संविधान निर्माताओं ने एक विशिष्ट स्थिति का सामना करने के लिये कुछ मौलिक अधिकारों के निलंबन का उपबंध किया है। अतः कुछ मौलिक अधिकारों को निलम्बित किया गया है जिसकी व्यवस्था संविधान में की गई है।

श्री बी० बी० नायक : अधिकारों के लिये न्यायालय में जाना एक विशेषता थी।

श्री एफ० एच० मोहसिन : न्यायालय में जाने सम्बन्धी अधिकार को देश हित में समाप्त किय गया है। हम असमाजिक तत्वों को मनमर्जी करने की अनुमति नहीं दे सकते। कुछ सदस्यों ने कहा है कि केवल कांग्रेस को ही बैठक करने की अनुमति है अन्य को नहीं। यह बिल्कुल गलत है.. **(व्यवधान)** . . . . मैं सदन के समक्ष कहता हूं कि विरोधी दलों की बैठकों पर कोई प्रतिबंध

[श्री एफ० एच० मोहसिन]

लगाने के लिये कोई आदेश जारी नहीं किये गये है अगर वह उचित राजनीतिक गतिविधि है केरल में सी० पी० आई० (एम) ने आपात स्थिति लागू होने के पश्चात 33 सार्वजनिक सभाओं का आयोजन किया है इतनी सभाएं किसी अन्य दल की नहीं हुई है। साम्यवादी दल की केवल 3 जनसभायें एक सम्मेलन और एक गोष्ठी हुई है साम्यवादी (मार्क्सवादी) दलने केरल में 4 सम्मेलनों का भी आयोजन किया गया।

यह भी कहा गया है कि साम्यवादी दल को महाराष्ट्र में सभाएं करने की अनुमति नहीं दी गई। महाराष्ट्र में साम्यवादी दल तथा उसके मोर्चा संगठनों की 109 जन सभाएं एक सम्मेलन और एक गोष्ठी हुई। भारतीय रिपब्लिकन पार्टी की 11 जन सभाओं की, जन समाजवादी दल ने 10, शिवसेना ने 3 तथा कांग्रेस (विपक्षी) की 1 जनसभा हुई। पश्चिम बंगाल में भी साम्यवादी दल तथा उसके मोर्चा संगठनों की आपातस्थिति की घोषणा के बाद 62 जन सभाएं हुई। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनसंघ ने 14 तथा कांग्रेस (विपक्षी) दल ने 3 जन सभाएं की।

यह भी सही है कि कुछ स्थानों पर जनसभाओं की अनुमति न दी गई हो। केवल उन्हीं परिस्थितियो में जनसभाओं पर प्रतिबन्ध लगाया गया जबकि यह समझा गया कि ऐसी जन सभाओं के परिणामस्वरुप अव्यवस्था (हिंसा फैलेगी वैसे हमने राज्य सरकारों को सोदेश की जानेवाली जनसभाओं, सम्मेलनों अथवा गोष्ठियों पर प्रतिबंध लगाने के लिये नहीं कहा हैं।

राजनैतिक बंदियों को रिहा करने के लिये भी कहा गया है। राजनीतिक बंदी का क्या अर्थ है यह समझ में नहीं आता हमारे पास केवल वही बन्दी हैं जिनके उपर या तो मुकदमा चल रहा है या जिनकी दोष सिध्दि हो चुकी है अथवा वह बन्दी हैं जिन्हें नजरबन्दी निवारक कानूनों या भारत रक्षा कानूनों के अन्तर्गत नजरबन्द किया गया है। राजनीतिक बंदियों जैसी कोई श्रेणी नहीं है लेकिन कुछ नजरबंद लोगों का सम्बन्ध अवश्य ही राजनीतिक दलों से है। लेकिन हमने उन्हे नजरबंद इस कारण से नहीं किया कि उनका सम्बन्ध किसी विशिष्ट राजनीतिक दल से है उन्हें केवल इसलिये नजरबंद किया गया कि उनकी कार्यवाहियों से देश की सुरक्षा को खतरा था। लोगों को उनके द्वारा की गई कुछ गतिविधियों के लिये बन्द किया गया न कि उन्हें उनकी राजनीतिक विचार-धारा के लिये बन्द किया गया।

अब यह कहा जा रहा है कि इन्हें रिहा किया जाये। हमने सभी लोगों को एक निश्चित अवधि के लिये नजरबन्द नहीं रखा हुआ। उनमें से कुछ को रिहा किया जा चुका है। श्री चरण सिंह उनमें से एक है। श्री महामाया प्रसाद सिंह को भी रिहा कर दिया गया है यह एक निरन्तर प्रक्रिया है और अधिनियम की पुनरीक्षा का भी उपबन्ध है। हमने राज्य सरकारों को नजरबन्दी के सम्बन्ध में समय समय पर पुनरीक्षा करने की सलाह दी है। हमने सभी राजनीतिक बन्दियो को हिरासत में नहीं लिया है। काफी राजनीतिक नेताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओ को हिरासत में नहीं लिया गया है। जब तक कोई ऐसा वातावरण पैदा नहीं करता जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो तब तक उसे गिरफ्तार करने का कोई कारण नहीं है।

कई सदस्यों ने प्रेस सेंसर शिप के बारे में कहा है। यह कोई सामान्य प्रेस सेंसर शिप नहीं है बल्कि कुछ विशिष्ट और नाजुक मामलों जैसे आपातस्थिति की घोषणा अथवा भारतीय रक्षा अधिनियम से प्रयोग आदि के बारे में कुछ प्रकाशित करने से पहले सेंसर कराना पडता है।

सेंसरशिप लगाने का उद्देश्य प्रेस को किसी ऐसे अप्राधिकृत, गैर-जिम्मेदाराना या गलत समचारों या अफवाहों के प्रकाशन से रोकना है जो जनता में आतंक फैलाए या सरकार के प्रति असन्तोष की भावना भड़काने मे सहयोग दे। आपात स्थिति तथा सेंसरशिप लागू करने से पहले समाचार पत्र कुछ ऐसे गलत तरीके अपना रहा था।

सेंसर शिप ने बहुत अच्छा काम किया है। इससे पत्रकारिता स्वस्थ हुई है और साथ ही अफवाहों, गैर--जिम्मेदारी ढंग से लिखना तथा पक्षपात पूर्ण समाचा रों का प्रकाशन बन्द हुआ है जिससे देश की सुरक्षा के लिये समस्या खड़ी हो गई है। प्रेस और मुख्य सेंसर के बीच अब एक समझौता है जोकि भली भांति चल रहा है। यदि ऐसा ही उचित वातावरण बना रहेगा तो फिर किसी भी प्रकार के सेंसरशिप की आवश्यकता नहीं होगी अत: मैं चाहता हूं कि सदन को ए० के० गोपालन द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प को अस्वीकार कर दे।

सभापति महोदय : श्री नायक और श्री डागा के दो संशोधन हैं।

श्री बी० वी० नायक : मैं अपना संशोधन वापस लेता हूँ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

The amendment was, by leave, withdrawn.

सभापति महोदय : श्री डागा उपस्थित नहीं हैं मैं उनका संशोधन सदन के मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूँ।

संशोधन मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

The amendment was put and negatived.

सभापति महोदय : मैं अब प्रमुख संकल्प सदन के सामने रखता हूँ। प्रश्न यह है :

"कि इस सभा को राय है कि लोगों का लोकतन्त्रात्मक प्रक्रिया तथा विकास कार्यों में भाग लेना सम्भव करने के लिये संविधान के अन्तर्गत प्रदत्त व्यक्तियो, संग नों तथा राजनीतिक दलों को अपनी वैध राजनीतिक कार्यवाहियां जारी रखने की स्वतन्त्रता बहाल की जाये, सब राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाये तथा आपात की उद्घोषणा के बाद प्रेस पर लगाई गई सेंसरशिप तथा हाल में पास किये गये प्रेस अधिनियमों का निरसन किया जाये।"

संकल्प अस्वीकृत हुआ।

The Resolution was negatived.

राष्ट्रीय वन नीति के बारे में संकल्प
RESOLUTION RE: NATIONAL FOREST POLICY

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि :

"यह सभा देश में वनों को बड़े पैमाने पर काटे जाने पर चिन्ता व्यक्त करती है और सरकार से अधिक व्यावहारिक राष्ट्रीय वन नीति अपनाने का अनुरोध करती है ताकि देश के 33.3 प्रतिशत क्षेत्र में वन बने रहें।"

मेरे संकल्प में कोई नई बात नहीं है क्योंकि यह संकल्प 1952 में बनाई गई राष्ट्रीय वन नीति की पुनरावृत्ति है। वनारोपण की आवश्यकता का मानकर उस समय यह नीति

[श्री पी० के० देव]

बनाई गई थी कि समूचे देश के 33.3 प्रतिशत क्षेत्र में वनारोपण किया जाये। मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह तीव्र गति से नष्ट हो रहे वनों के सम्बन्ध में और अधिक वास्तविक व्यावहारिक एक राष्ट्रीय नीति तैयार करें। देश में वनों के नष्ट होने से अत्यधिक आर्थिक व पारिस्थितिक (इकालाजिकल) हानि हो रही है।

वनों के संरक्षण के लिए अब तक हमने जो प्रयास किये हैं उनसे हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर पाये हैं। इस समय समूचे देश के केवल 22.7 प्रतिशत क्षेत्र में वन हैं। एशिया के देशों के तुलना में हमारे देश में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र 0.14 हेक्टेयर है जबकि एशिया के अन्य देशों में यह क्षेत्र इसका दूना है। हमारे देश की तुलना में वन क्षेत्र अफ्रीका में 16 गुना, सोवियत संघ में 28 गुना, प्रशान्त क्षेत्र में 34 गुना, दक्षिण अमरीका में 40 गुना और समूचे विश्व में 9 गुना अधिक है। 1952 की हमारी राष्ट्रीय वन नीति के विरुद्ध नदी घाटी परियोजनाओं कृषि विस्तार, नये नगरों के निर्माण व शरणार्थियों के पुनर्वास के कारण 183,625 हैक्टर आरक्षित वन नष्ट हुआ है। विशेषकर उड़ीसा में दण्डकारण्य क्षेत्र व मध्य प्रदेश में विभिन्न उद्योगों की स्थापना करने, सड़कों नहरों, परेषण लाइनों आदि का निर्माण करने में भी बहुत वन भूमि नष्ट हुई है। इसके अलावा अवैध रूप से पेड़ों का काटा जाना देश में वनों के विकास के लिए सबसे अधिक हानिकर है।

एक ओर हमारा वन क्षेत्र घट रहा है, दूसरी ओर ईंधन लकड़ी, इमारती लकड़ी व लघु वन उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। देश में जहां वन सम्पत्ति की जहां वृद्धि होनी चाहिए वहां तेजी से उसकी क्षति हो रही है जो बहुत ही हानिकर है। इससे भूस्खलन व भू-कटाव बढ़ेगा और उत्पादकता घटेगी, नदियों का जल कम हो जाएगा और सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इससे पारिस्थितिक व पर्यावरण सम्बन्धी क्षति पहुंचती है जिसका अन्ततः जलवायु पर प्रभाव पड़ता है।

वनों के नष्ट होने के चार मुख्य कारण हैं। पहला यह कि ग्रामीणों द्वारा अपनी जलाने की लकड़ियों की आवश्यकता पूरी करने के लिए अन्धाधुन्ध रूप से पेड़ों का काटा जाना। यहां तक कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तो इस हेतु 100 या 150-साल के पुराने वृक्षों का तक सफाया कर दिया गया है। इस बारे में अधिकारियों से रिपोर्ट करने पर भी कोई परिणाम नहीं निकलता।

दूसरा कारण यह है कि वन ठेकेदार वृक्षों का बहुत नुकसान करते हैं। वे केवल उन्हीं वृक्षो को नहीं काटते जो उन्हें दिये जाते हैं बल्कि वे पड़ोसी वनों में भी वृक्षो को चोरी छिपे काट डालते हैं जिससे वैज्ञानिक ढंग पर तैयार की गई वन योजना अस्त-व्यस्त हो जाती है।

तीसरा कारण है जनजाति के लोगों द्वारा खेती के लिए वनों का काटा जाना। न लोगों के लिए बहुत धन खर्च किया जाता रहा है। कृषि कार्य के लिए इन लोगों को मैदानी भूमि में बसाया जाना चाहिए। भूमि सुधार के पश्चात् जो भूमि फालतू होगी उसे इन लोगों के बसाने के लिए काम में लाया जाना चाहिए।

चौथा कारण है भूमि की भूख। भूमि के लिए धीरे धीरे जंगलों का सफाया किया जा रहा है। यद्यपि उच्च सरकारी अधिकारी वनों की रक्षा के लिए भरसक प्रयास करते हैं, फिर भी नीचे के भ्रष्ट कर्मचारी फौरेस्ट गार्ड अथवा फौरेस्टरों से मिलकर स्थानीय ग्रामीणों द्वारा वनों को नष्ट किया जाता है।

इस तरह की समस्या कोई पृथक् दृष्टिकोण अपनाने से हल नहीं होगी। हमें उसके विभिन्न कारणों का बारीकी से पता लगाना होगा, केवल तभी समस्या हल हो सकती है। अतः इस

सम्बन्ध में कारगर तथा प्रभावशाली कदम उठाये जाने चाहिए जैसे अमरीका, कनाडा तथा यूरोप के कुछ अन्य देशों में उठाये गये हैं। चीन ने इस सम्बन्ध में साहसिक कदम उठाये है। माओ के प्रशासन काल में प्रत्येक चीनी नागरिक का पेड़ लगाना कर्तव्य हो गया था।

अतः मेरा यह सानुरोध सुझाव है कि चारों ओर भू-कटाव विरोधी उपाय किये जाने चाहिए जैसे कि मेड़े बनायी जायें, भूमि-संरक्षण किया जाये, तथा प्रस्तावित बांधों के जल-ग्रहण क्षेत्रों में बन लगाये जायें। विभिन्न क्षेत्रों में जो भूमि फालतू पड़ी है उसमें यूकलिप्टस, फराश, सिरौल, सागौन तथा बबूल आदि के पेड़ लगाये जाने चाहिए। इसके साथ-साथ मरु भूमि में भी उपयोगी तथा दीर्घजीवी वृक्ष लगाये जाने चाहिए।

इन सारी चीजों की जिम्मेदारी केवल सरकार पर ही नहीं छोड़ी जा सकती अतएव इस सम्बन्ध में लोगों को शिक्षित किया जाना चाहिए। पेड़ों की उपयोगिता के बारे में बचपन से ही बताया जाना चाहिए और स्कूलों के पाठ्यक्रम में इसे स्थान दिया जाना चाहिए। विभिन्न प्रचार माध्यमों द्वारा इस सम्बन्ध में व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए।

खुशी की बात है कि हमारे कुछ लोगो में इस दिशा में एक नई जागृति उदित हुई है। जिसका उदाहरण उत्तर प्रदेश के उत्तराखण्ड में चिपको आन्दोलन है। इसके अलावा सरकार का यह कदम भी सराहनीय है कि उसने सामाजिक वनों के निर्माण व विकास के लिए पांचवी पंच वर्षीय योजना में पंचायतों व राज्यों को राजसहायता देने हेतु 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। राज्य सरकारों ने भी इस हेतु 20 करोड़ पए की व्यवस्था की है।

ऊर्जा के विकल्प ढूंढने होंगे। खाना पकाने के लिए लोगों ने अब पेट्रोलियम गैस का उपयोग आरम्भ कर दिया है, किन्तु यह महंगा पड़ता है। इसलिए गोबर गैस संयंत्र जो हरयाणा में बहुत लोकप्रिय हो चुका है, को अन्य राज्यों में भी लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए। हमारे पास कोयला फालतु है। लोगों को खाना पकाने में कोयले के प्रयोग की आदत डालनी चाहिए।

सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाना चाहिए। लोगों को देशी व सस्ते किस्म के सौर ऊर्जा पाक यंत्र उपलब्ध किए जाने चाहिए।

वन-विज्ञान केन्द्रीय विषय होना चाहिए। इसे हमारे संविधान की सांतवी अनुसूची की सूची संख्या 1 में स्थान मिलना चाहिए क्योंकि यह राष्ट्रीय हित-सम्बद्ध विषय है। इस सम्बन्ध में सरकार राष्ट्रिय हित के लिए जो भी कार्यवाही करेगी उसे हमारे दल का पूरा समर्थन मिलेगा।

सभापति : संकल्प प्रस्तुत हुआ :

> "यह सभा देश में वनों के बड़े पैमाने पर कटे जाने पर चिन्ता व्यक्त करती है और सरकार से अधिक व्यावहारिक राष्ट्रीय वन नीति अपनाने का अनुरोध करती है ताकि देश के 33.3 प्रतिशत क्षेत्र में वन बने रहें।"

अब सभा स्थगित होती है और सोमवार 17 मई, 1976 को पुनः समवेत होगी।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, 17 मई, 1976/27 वैशाख, 1898 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Monday, May 17, 1976/Vaisakha 27, 1898 (Saka).

भा०स०मु०ना०—वि० 2—3 लोक सभा/76—23-8-76—200.